खण्ड-273, अंक-2
मंगलवार, 13 आषाढ़, शक संवत् 1889
(4 जुलाई, 1967 ई0)

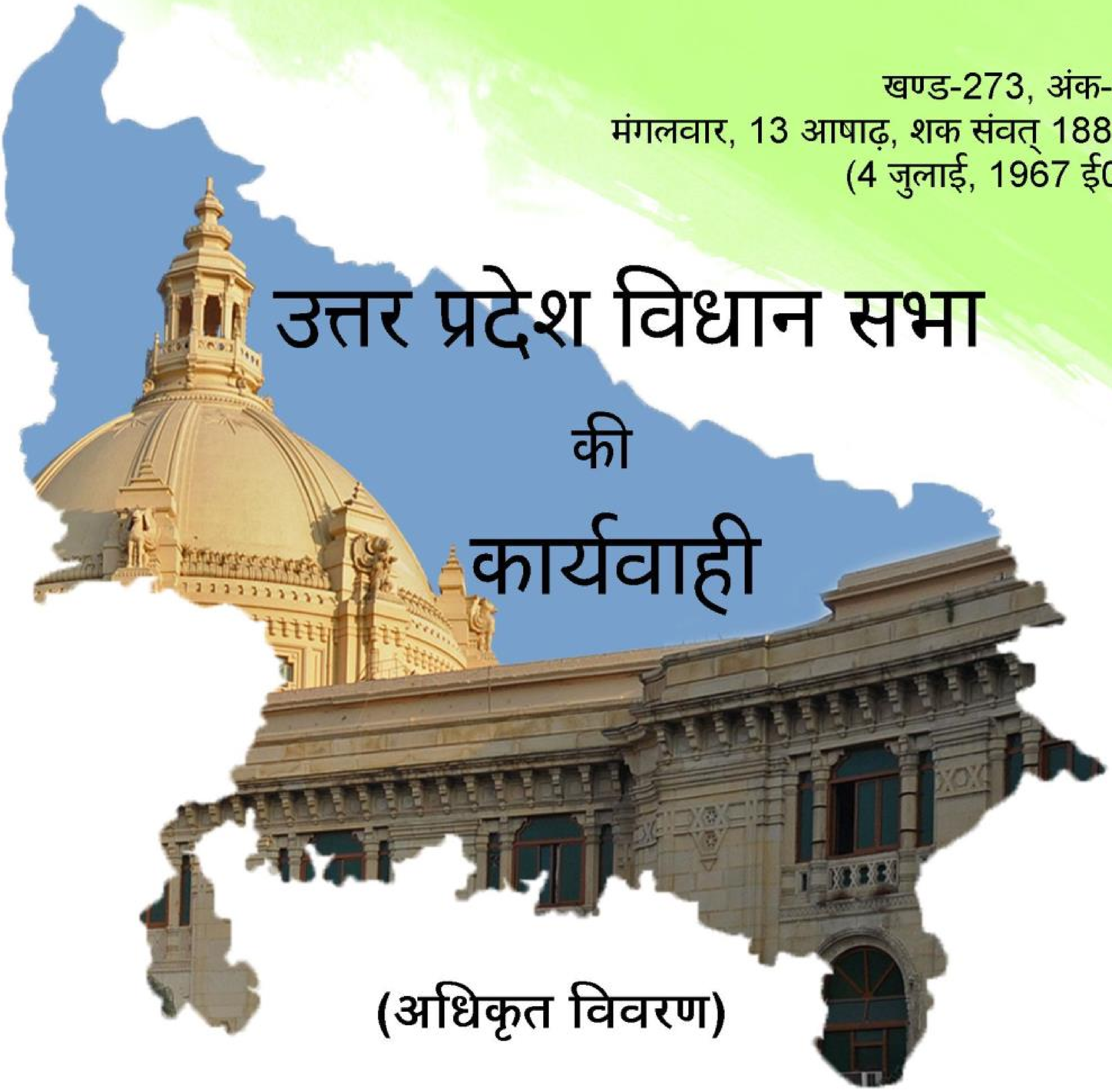

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अहमद उल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खेला, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
प्रीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)

राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताम सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेंगर, श्री
रामआधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश, त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली, मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डा टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धूसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—परिवहन मंत्री, श्री मान सिंह वर्मा तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर एवं कार्यसूची न मिलने पर आपत्ति

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

मेरे प्रश्न संख्या १३–१४ का उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

आपको मिलता है अभी, फौरन।

एक सदस्य—

आज का एजेन्डा मुझे नहीं मिला है, १० बजे तक मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य भी कृपया देख लें, आज बरसात का दिन है। जब कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी तो मैंने स्वयं वहां के जितने कर्मचारी थे उनको बदल दिया और काफी कड़ाई कर दी है। फिर भी मैं इसको देख लूंगा।

प्यारेलाल जी, अभी आपने जो शिकायत की थी उत्तर न मिलने की, मेरे पास जो कागजात हैं उसमें आपके दस्तखत मौजूद है।

श्री प्यारेलाल—

मैं मेरठ का हूं। मुझे उत्तर नहीं मिला है। हो सकता है दूसरे प्यारेलाल भी हैं, उनको दिया हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी छानबीन कर लूंगा, आप भी कृपया देख लें।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सम्भल तहसील में नलकूप

*१—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले की सम्भल तहसील में कितने सरकारी ट्यूबवेल पिछले छः महीने से अधिक से बन्द पड़े हैं और क्यों? सरकार उनको कब तक चालू करा पायेगी?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

मुरादाबाद जिले की सम्भल तहसील में ऐसा कोई भी नलकूप नहीं है जो ६ माह से अधिक से बंद पड़ा है?

श्री महेश कुमार—

मेरी सूचना यह है कि इस जिले के बहुत से नलकूप ६ महीने अधिक से बन्द पड़े हैं, तो क्या वे इसकी जानकारी कराने का प्रयत्न करेंगे?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

ऐसा है कि जब यह प्रश्न सामने आया तो मैंने इसकी जांच पुनः कराई। ६ महीने से ज्यादा समय से कोई भी नलकूप बन्द नहीं पाए गये। यह भी हो सकता है कि ६ महीने पहले कोई खराब रहे हों और जब वह कुछ दिन बाद ठीक हो गये हों तो दूसरे खराब हो गये हों और इसके कारण यह भ्रम हो कि वह ही अभी ६ महीने से ज्यादा समय से खराब पड़ा है। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार ४५ ट्यूबवेल काफी समय तक बन्द रहे हैं लेकिन ६–६ महीने तक कोई नहीं बन्द रहे हैं। ५६ नम्बर का नलकूप २६–४–६७ से २१–५–६७ तक बन्द रहा है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि ४५ कुंये ऐसे हैं जो ६ महीने से कम समय के लिये बन्द रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से बन्द रहे हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो मेरे सामने सूची है उसके अनुसार लगभग ८० फीसदी कुवें ट्रांसफार्मर के चोरी या ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से बन्द रहे हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि ८० फीसदी कुएं ऐसे हैं जो ट्रांसफार्मर की चोरी या खराबी की वजह से बन्द रहे हैं। तो मंत्री जी मुरादाबाद डिवीजन के उन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिन्होंने ३ महीने तक ट्रांसफार्मर वहां ले जाकर नहीं रखे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह प्रयास अवश्य किया गया कि ट्रांसफार्मर क सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बाज जगह रखे गये तो फिर चोरी चले गये, इनमें से लोग तांबे का तार निकाल ले जाते हैं। अब यह गैंग पकड़ लिया गया है, इसलिये ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कमी हो गई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफार्मर चोरी के सिलसिले में जो ट्यूबवेल बन्द हो जाते हैं, उनके लिये विभाग ने ऐसा कर रखा है कि उनका नम्बर बाद में रखा जाए और नये कनेक्शनों को बिजली पहले मिल जाए ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस संबंध में दो व्यवस्थाएं अलग-अलग हैं। नये कनेक्शनों के लिये आर्डर अलग से हैं और चोरी तथा टूट फूट हुये ट्रांसफार्मरों के बारे में व्यवस्था अलग से है। स्टोर में काफी सामान रहता है और ऐसा नहीं होने पाता है कि किसी चीज की कमी के कारण ऐसा हो। इसके लिये मेन्टीनेन्स डिवीजन अलग है और कान्सट्रक्शन डिवीजन अलग है। कान्सट्रक्शन डिवीजन नये कनेक्शन आदि देता है और मेन्टीनेन्स डिवीजन ट्रांसफार्मर चोरी और टूट फूट वाले ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री जी इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं वह चाहे जिस भी कारण से हों, उनकी इस कमी का ब्योरा सम्बन्धित रजिस्टर में कब दर्ज किया गया है ? और वे इतने अर्से तक किसकी असावधानी से बन्द पड़े रहे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जिस दिन से मैंने विभाग संभाला उस दिन से इसकी व्यवस्था मैंने देखी और अब उनमें दिन प्रति दिन काफी सुधार हो रहा है।

श्री महेशकुमार—

बहजोई–५ व बहजोई–५२ के बारे में मेरा प्रश्न है। मंत्री जी ने बताया कि अब वे सब ठीक हैं, तो क्या उक्त नलकूप अब भी यदि खराब हुये तो मंत्री जी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य इसकी लिखित सूचना दे दें तो आधार बन जायेगी और मैं इसकी तत्काल जांच कराऊंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मुरादाबाद डिवीजन में आज से नहीं बल्कि ८, १० साल से ट्रांसफारमर्स की चोरी हो रही है तो क्या मंत्री जी पिछले ८, १० साल की जांच करायेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे भविष्य में गड़बड़ी न हो ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि जो सूचना समय-समय पर विभाग से आती है उसको देखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा । इतनी लम्बी सूचना न तो रिकार्ड में होगी और न किसी को याद ही रह सकता है । फिर भी इस शिकायत को दूर करनेका प्रयास करूंगा ।

श्री महेशकुमार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय नलकूप बन्द हो जाता है तो जानकारी करने पर बिजली विभाग नलकूप विभाग की गलती बताता है और नलकूप विभाग बिजली विभाग की गलती बताता है, कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं ? क्या मंत्री जी ऐसा ताल मेल बिठायेंगे जिससे भविष्य में ऐसा न हो और सही जानकारी मिल सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि दोनों की जिम्मेदारी है किसी एक की नहीं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि केवल मुरादाबाद ही नहीं बल्कि अलीगढ़, बुलन्दशहर वगैरह कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ट्रांसफारमर्स की चोरी की प्रथा बहुत जोरों से है और इस पर कई बार विचार भी किया गया है, इसको रोकने का मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्न को इस तरह से परिवर्तित किये देता हूं कि ट्रांसफारमर्स की चोरियों की जो शिकायत मुरादाबाद आदि जिलों से आ रही है, उसके लिये मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे यह दूर हो सके या इसमें कमी हो सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जहां तक ट्रांसफारमर्स की चोरी का प्रश्न है इसके लिये यह प्रयास किया गया कि किसी स्थानीय आदमी को वहां रखा जाये जो नलकूप को देखे और उसकी व्यवस्था रखे और सूचना समय पर दे । इसकी छानबीन के लिये और ऐसे लोगों के पकड़े जाने के लिये एक रनिंग स्क्वाड की व्यवस्था कर रहा हूं इससे कमी अवश्य होगी और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सुधार होगा ।

रोडवेज मैनुअल

*२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रोडवेज मैनुअल बनाने के लिये अधिकारी की नियुक्ति हो गई है और क्या रोडवेज मैनुअल बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बन जायगा !

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)—

जी हां, परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये मैनुअल बनाने के लिये परिवहन आयुक्त के मुख्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति की गई थी और अब तक रोडवेज मैनुअल के ७ जिल्दों (Volumes) के आलेख्य तैयार किये जा चुके हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कुल कितने वालूम बनने हैं और अब तक कितने बन कर तैयार हो चुके हैं ?

श्री मानसिंह वर्मा—

कुल ९ वालूम हैं, ७ बनकर तैयार हो चुके हैं, २ शेष हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—

यह शेष दोनों कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री मानसिंह वर्मा—

बहुत जल्दी हो जायेंगे ।

श्री मुक्तिनाथ राय—

यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

सन् १९५६ से ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार जितने वालूम बन कर तैयार हो गये हैं उनको लागू करने की कृपा करेगी, क्योंकि सब छप कर तैयार होने में देर लगेगी ?

श्री मानसिंह वर्मा—

ऐसा सम्भव नहीं होगा, जब पूरा मैनुअल तैयार हो जायेगा तो सरकार उसको एग्जामिन करेगी, उसके बाद लागू होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जितने वाल्यूम तैयार हो गये हैं क्या सरकार ने उनको एग्जामिन कर लिया है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

जब यह सरकार बनी थी तब तक ये एग्जामिन नहीं हुये थे । उसकी कार्यवाही अब शुरू की गई है और वे एग्जामिन हो रहे हैं ।

[४ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

छुटमलपुर बस स्टाप पर अव्यवस्था

*१—श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर के अन्तर्गत छुटमलपुर बस स्टाप पर १० बजे से ३ बजे दिन में यात्रियों की अपार भीड़ के कारण यात्रियों को कई घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*२—श्री मुल्कीराज—

क्या यह सही है कि उक्त कारणों से ही सरकार ने दो लोकल बस इस बस स्टाप से सहारनपुर के लिये स्वीकृत की हैं ? यदि हां तो वे अभी तक चालू क्यों नहीं की गई ?

श्री मानसिंह वर्मा—

इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं प्रसारित किया गया । क्षेत्रीय अधिकारियों ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये २०—४—६७ से शटल सर्विसेज चलाना प्रारम्भ किया है ।

श्री मुल्कीराज—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सूचना का आधार क्या है और किस बड़े अधिकारी ने उस मौके का मुआयना किया है और दस बजे तक की भीड़ को देखा है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

यह तो स्वाभाविक है कि हमारी सूचना का आधार हमारे अधिकारीगण ही हैं और उन्हीं के द्वारा हम सूचना प्राप्त करते हैं और दूसरी बात जो पूछी है कि मुआयना किया है.....

श्री अध्यक्ष—

मुआयना किस बड़े अधिकारी ने किया है, वे यह पूछ रहे हैं ।

श्री मानसिंह वर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मुल्कीराज—

श्रीमन्, पहिले सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा "जी नहीं" और दूसरे सवाल के जवाब में "उपरोक्त कारण से ही शटल चलाई गई है", क्या उससे भीड़ का होना साबित नहीं होता ?

श्री मानसिंह वर्मा—

श्रीमन्, जब ये अधिकारिगण देखते हैं कि अमुक स्थान पर आवश्यकता से अधिक भीड़ हो गई है, वैसे तो अधिक भीड़ होती ही है और कभी-कभी विशेष अवसरों पर हो जाया करती है, उन अवसरों पर विशेष करके ऐसी व्यवस्था कर देते हैं । इसी कारण क्षेत्रीय अधिकारी ने शटल सर्विस आरम्भ कर दी है और आवश्यकता पड़ने पर और भी प्रबन्ध किया जा सकता है ।

श्री रामायण राय—

क्या माननीय मंत्री जी छुटमलपुर बस स्टाप पर सर्वेक्षण करने की कृपा करेंगे कि यहां पर यात्रियों का प्रेशर क्या है, जैसा कि रोडवेज विभाग और स्थानों पर ऐसी स्थिति में किया करता है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

छुटमलपुर ऐसा बस स्टाप है कि यहां पर तीन सड़कें मिलती हैं, रुड़की को जाने वाली, देहरादून को जाने वाली और हरद्वार को जानेवाली । इन सब रूट्स पर चवालीस बसें चल रही हैं । यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि इन सब जगहों पर ये बसें कवर नहीं कर पा रही हैं तो सर्वे भी करा लिया जायेगा । बहरहाल हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति की जाय ।

श्री मुल्कीराज—

क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि छुटमलपुर बस स्टाप पर १० बजे से ३ बजे तक टिकट के लिये जनता बड़ी देर खड़ी रहती है और सरकारी कर्मचारियों को टिकट अन्दर से दे दिया जाता है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है।

प्रश्नों के स्थगित कराने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निदेश

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न ३ पर मैं चलता, लेकिन इस से पहले यह कहना चाहता हूं कि आज के एजेंडे में कुल १७ प्रश्न हैं, जिन में से ९ प्रश्नों को स्थगित करने की प्रार्थना हमारे यहां आई है। ९ में ८ सिंचाई विभाग के हैं। मैंने उनके कारणों को देखा लेकिन मुझे उनमें पूरा औचित्य नहीं दिखाई पड़ा। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें सूचना एकत्रित करने में इतना समय नहीं लगना चाहिये। और इनमें कई प्रश्न तो ऐसे भी हैं, जैसे प्रश्न ३ है, क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ ब्लाक (अलीगढ़) में बरतर, बरगवां नीथी तथा किचौरा में ३५,००० बीघा भूमि के लिये कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी नलकूप सिंचाई के लिये निर्माण करायेगी ? इसमें सूचना एकत्रित होने को क्या है ? यह सूचना तो टेलीफोन या स्पेशल मैसेन्जर से मालूम हो सकती है। ऐसे बहुत से प्रश्नों का इतना महत्व तो होना चाहिये। अगर १५ दिन का समय पर्याप्त नहीं माना गया और यह परिपाटी आगे चली, तो शायद प्रश्नों का महत्व ही कम हो जायगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री का विशेष ध्यान दिलाऊंगा कि वह अपने विभाग को इस विषय में सतर्क करें और आपके द्वारा और भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वे भी ज्यादा सतर्कता बरतें और यह देखें कि नियमों के अन्दर अपेक्षित समय के अन्दर ही उत्तर आजावें।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

मुझे बड़ा दुख है कि इन प्रश्नों के उत्तर आज मैं नहीं दे सका हूं। हर फाइल को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा और जब मैंने यह समझा कि जो उत्तर आये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं तो मैंने आप से यह प्रार्थना की है। मैंने सख्त ताकीद कर दी है कि किसी प्रकार की इस काम में ढिलाई न की जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस बात से मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने फाइलों को स्वयं देखा और जो उत्तर आये उन्हें पर्याप्त न समझ कर यह उचित समझा कि सदन को पर्याप्त उत्तर दिये जायें। लेकिन कृपया आप अपने विभाग के अधिकारियों को सचेत करें कि समय के भीतर पर्याप्त उत्तर दें। अधिकांश प्रश्नों के पर्याप्त उत्तर आ सकते थे। मैं आशा करता हूं कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों को कहेंगे कि समय के अन्दर ही पर्याप्त उत्तर दें।

प्रश्नोत्तर— (क्रमागत)

*३–४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५—श्री ऊदल—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

*७—श्री इन्द्रलाल—

[प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर ४थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

धरपा नाला सुधारने की आवश्यकता

*८—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जेवर, जिला बुलन्दशहर के ग्राम धरपा के नाले का जिस से प्रति वर्ष उक्त ग्राम की हजारों एकड़ जमीन में खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंचती है, पक्का बनाने, खुदाई व सफाई कराने व नहर में मिलाने की योजना पर सरकार कोई विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो क्या ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

अधिक वर्षा में जब खुर्जा नाले में पानी भर कर बहने लगता है तब पानी के उल्टे बहाव से धरपा नाले में भी पानी का फैलाव हो जाता है। खुर्जा नाले का पानी उतरने पर धरपा नाले से भी पानी उतरने लगता है। इस कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*९-१०—श्री चन्द्र कुमार—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज में नाइट हाल्ट एलाउन्स

*११—श्री कामता सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रोडवेज में नाइट हाल्ट एलाउन्स सन् १९४७ से १ रु० बस चालक और १२ आने कन्डक्टर को मिलता है ? यदि हां, तो आज इतनी महंगाई के बढ़ जाने पर क्या सरकार उनके नाइट हाल्ट एलाउन्स को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री मानसिंह वर्मा—

सन् ४८ से यही दर है। विचार किया जायेगा।

श्री कामता सिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने बस चालक और कंडक्टर हैं जिन्हें सन् ४७ से इस तरह का भत्ता मिल रहा है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या रोडवेज मनुअल में यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि नाइट हाल्ट की दर बढ़ाई जाय ? यदि हां, तो क्या तय हुआ है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

मैं समझता हूं कि मैनुअल से इसका विशेष संबंध नहीं है। इसका सर्विस कंडीशन से संबंध है। उसमें यह चीज आयेगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ८ श्री रामायणराय द्वारा पूछा गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह देखते हुये कि यह रेट कम है, मंत्री जी एड-हाक बेसिस पर कोई इंक्रीमेंट देने की घोषणा करेंगे जब तक उनका फैसला फाइनल हो ?

श्री मान सिंह वर्मा—

इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

कंडक्टरों और चालकों की ओर से कोई मांग नाइट हाल्ट के भत्ते के लिये आयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मानसिंह वर्मा—

यह तो स्वाभाविक है कि इतनी महंगाई के जमाने में उनके कई यूनियन्स की मांग आई है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—

यह विचार कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मानसिंह वर्मा—

जल्दी ही किया जायेगा और क्योंकि यह वित्त से संबंध रखता है इस पर विचार करने के बाद ही कहा जा सकता है कि कब तक होगा ।

श्री ऊदल—

सन् ४७–४८ से अब तक महंगाई में बहुत अन्तर हो गया है, तो मंत्री जी तुरन्त ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि महंगाई के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हो कर जल्दी मिलने लगे ?

श्री मानसिंह वर्मा—

आपकी भावना के अनुरूप उसमें और शीघ्रता की जायगी ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

जब माननीय मंत्री जी जिलों में दौरे पर गये थे तो वहां भी लोगों ने इस प्रकार की मांग की थी और संभवतः उन्होंने विश्वास दिलाया था कि बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय कर लिया जायगा, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मानसिंह वर्मा—

केवल एक ही बात बार-बार पूछी जा रही है और इसका यही उत्तर है कि बहुत जल्दी की जायेगी । कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

बस कंडक्टर और चालक के नाइट अलाऊंस के अन्तर को समान करने पर क्या माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री मान सिंह वर्मा—

मैं स्वयं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है, दोनों का वेतन-क्रम एकसा है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

विगत २० वर्षों में पिछली सरकार के सामने क्या यह प्रश्न आया था और उन्होंने इस पर कितनी बार विचार किया या निर्णय लिया ?

श्री मानसिंह वर्मा—

यह तो स्पष्ट है कि यह प्रश्न बराबर उठता रहा है। मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि कितने बार यह प्रश्न उठाया गया और क्यों नहीं निर्णय हुआ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि २० सालों में ढाई रुपया किलो दालें और ४ रु० किलो चीनी नहीं मिलती है जो इन दो महीनों में मिलने लगी है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देख कर एक महीने के अन्दर इस प्रश्न पर विचार करके कोई फैसला देंगे ?

श्री मानसिंह वर्मा—

माननीय सदस्य दालों का भाव इस से जोड़ रहे हैं तो ४८ के बाद प्राइसेज बढ़ती ही रही हैं घटी नहीं हैं, तो उनकी सरकार ने ४८-६६ तक कितनी मंहगाई और भत्ता बढ़ाया था ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न थोड़े ही कर सकते हैं, आपको तो जवाब देने का अधिकार है। आप यह बता दीजिये कि एक महीने के अन्दर क्या संभव हो सकेगा।

श्री मानसिंह वर्मा—

जितना भी संभव हो सकेगा, उतना बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा। पी० आर० सी० की रिपोर्ट के अन्दर ऐसे एलाउन्सेज के बारे में कोई इंडीकेशन नहीं हैं। यह सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ गयी है। ये सब प्रश्न इसमें इनवाल्ड हैं। इन सब पर विचार हो रहा है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि "जल्दी" की कम से कम और अधिक से अधिक सीमा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं, मंत्री की भाषा मंत्री को तो पहचान लेनी चाहिये!

श्री भीखा लाल—

यह रोडवेज विभाग सन् ४७ में कायम हुआ था और तब से अभी तक रोडवेज मैनुअल न होने की वजह से और कर्मचारियों के सर्विस कंडीशन्स रूल्स न बनने की वजह से क्या यह दिक्कतें हो रही हैं ?

श्री मानसिंह वर्मा—

जी हां, यह ठीक है इसी कारण से ऐसा हो रहा है ।

*१२—श्री कामता सिंह—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

डासना नाले का रिमाडलिंग

*१३—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मेरठ में मुरादनगर से मेवगढ़ी व डासने से गुजरने वाला नाला जिसकी चौड़ाई व गहराई कम होने के कारण हजारों बीघा भूमि की फसल प्रत्येक बरसात में नष्ट हो जाती है और गांव का संबंध एक दूसरे से खत्म हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की चौड़ाई ३–३ फुट दोनों ओर व ३ से ४ फुट गहरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—अत्याधिक वर्षा में पानी खेतों में भर जाता है परन्तु एक या दो दिन में ही सारा पानी डासना नाले के द्वारा निकल जाता है ।

द्वितीय भाग—डासना नाले के मील १०–४ से मील १०–७ तक रिमाडलिंग सन्–१९६६–६७ के वर्षा के पूर्व हो चुकी है ।

*१४—श्री प्यारे लाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त नाले पर स्थित (डासना) मेवगढ़ी के किसानों को निकटस्थ नगरों व कस्बों में नाले पर पुल न होने के कारण आना-जाना मुश्किल हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल बनाने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण किया जा सकेगा ।

श्री प्यारे लाल—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सूचना आई है यह किस आधार पर एकत्र की गई है ? वहां पर सारी बरसात पानी भरा रहता है और वह केवल बरसात के बाद ही निकल पाता है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

यह विभाग द्वारा पूछते हैं और पानी जब ज्यादा बरसात होती है तो फैलता है और जब बरसात निकल जाती है तो वह कम हो जाता है ।

श्री प्यारे लाल—

यह नाला बहुत छोटा है और वहां जंगल बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन कल्लड़ और बंजर बन गयी है और उसकी वजह से हजारों बीघा जमीन की फसल हर साल मारी जाती है ? अगर यह पानी एक दो दिन में निकल आया करता तो न जमीन कल्लड़ बंजर होती और न फसल ही मारी जाती । तो क्या मंत्री जी उस नाले की गहराई और चौड़ाई को अधिक करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

मैंने बताया कि नाले की चौड़ाई ३ फुट की जगह ६ फुट करा दी गई है और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नाले की सफाई आदि भी कराई जाती है लेकिन जब पानी बढ़ता है तो १२ मील के क्षेत्र से बढ़कर ४० वर्गमील तक फैल जाता है और वह पानी फिर नाले द्वारा निकल जाता है। पानी से जहां नुकसान ज्यादा होता है तो वह इसी दौरान में होता है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के उत्तर में माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि विभाग से यह सूचना आई है, तो उनके इस विभाग के वह कौन कर्मचारी थे जिन्होंने उसका निरीक्षण करके सूचना दी क्योंकि माननीय सदस्य के प्रश्न का जो सरकार द्वारा उत्तर दिया गया है उसमें बड़ा मतभेद है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह की सूचना विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही मंगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि वह किस अधिकारी द्वारा मंगाई गई ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

नाम इस वक्त नहीं मालूम है, बाद में बता सकते हैं।

श्री प्यारे लाल—

यह प्रश्न अप्रैल में भेजा गया था, सूचना यह गलत आई है लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि नाले की सफाई कई साल से नहीं हुई है और जब अप्रैल से सूचना थी तो बरसात से पहले क्यों नहीं कराई गई ?

श्री अध्यक्ष—

श्री प्यारे लाल की सूचना को आधार मानकर क्या इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे, इसका उत्तर आप दे दें।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नाले की सफाई कब हुई है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

श्रीमन्, इस पुल के निर्माण में १० हजार रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ५० हजार की यह योजना है लेकिन हमने सोचा है कि लघु सिंचाई योजना में यदि हमें एक्सटेन्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ रुपया मिल जाय तो इस साल में करा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का आशय है कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में यह प्राविधान होना सम्भव होगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस वर्ष यदि हमारी बचतें हुयीं तो हम करवाने का प्रयास करेंगे ।

श्री प्यारेलाल—

श्रीमन्, इसी नाले पर भटयाला और कनौजा गांवों के बीच में पुल की बहुत आवश्यकता है। दूसरे एक पुल की डासना में आवश्यकता है जिसके कारण वहां पर मोटर, गाड़ी और रिक्शा रुक जाते हैं और इनके न होने से बहुत जन और धन की हानि होती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इन्हें बनवाने की कृपा करेंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मेरा आशय इसी पुल से है जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

श्री प्यारेलाल—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डासना वाले पुल के लिए बी० डी० सी० और जिला परिषद् ने प्रस्ताव किया था कि डासना वाले पुल का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जायगा और यदि धन उपलब्ध हुआ, उसको इसी वर्ष में लिया जायगा।

*१५—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—

[१८ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में बिजली

*१६—श्री दलबहादुर सिंह—

क्या सरकार के सामने रायबरेली को बिजली की अधिक सप्लाई हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक उसके कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां, सुल्तानपुर ग्रिड सब-स्टेशन से रायबरेली तक १३२,००० वोल्ट की एक सिंगल सरकिट लाइन बनाने का प्रस्ताव है जिस पर नवम्बर, १९६७, से कार्य प्रारम्भ होने की आशा है।

श्री दलबहादुर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में जो योजना है उससे कौन-कौन स्थान प्रभावित होंगे और क्या ऊंचाहार ब्लाक भी शामिल हो जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

१३२ के० डब्ल्यू० के जो सब स्टेशन की योजना है उससे तो पूरा जिला ही प्रभावित हो जायगा क्योंकि इतनी अधिक एनर्जी का प्रबन्ध किया जा रहा है। लेकिन जब तक बड़ा स्टेशन नहीं होगा तब तक सब स्टेशन नहीं बन सकेगा।

श्री दलबहादुरसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कोई एक लाइन १,१०० के० डब्ल्यू० की कुंडा से रायबरेली तक लगायी जा रही है और उस के लिए कार्य प्रारम्भ हो गया है और खम्भे रायबरेली से वहां तक सड़क पर बिछा दिए गए हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

विशेष ब्योरे के लिए सूचना चाहिए। १३२ के० डब्ल्यू० लाइन से विस्तार की सम्भावना है और उसी के लिए लाइन लगायी जा रही है, सब स्टेशन वहां बनाया जा रहा है।

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जुलाई, १९६८ तक पूरी हो जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले के कितने गांव इलेक्ट्रीफाई किए जायेंगे?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

कितने गांव लिए जायेंगे यह इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की अलग योजना है और जिले के उन ग्रामों का सर्वे कराया जा रहा है जहां बिजली ले जाने का प्रयास किया जायगा अगले ५ सालों में।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की उन की अलग योजना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना इस वित्तीय वर्ष में लेने जा रहे हैं कि नहीं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, यह प्रश्न तो रायबरेली के लिए है। माननीय सदस्य प्रदेश भर के लिए जानना चाहते हैं तो इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकिट लाइन सुल्तानपुर–रायबरेली की सड़क से हो कर आएगी या गांवों से हो कर आएगी?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इतने विस्तार के लिए सूचना चाहिए। लेकिन जो छोटे से छोटा मार्ग होगा बड़ी लाइन के लिए वही लिया जाता है क्योंकि उस में धन बहुत लगता है और नीचे के लिए अलग सब स्टेशन से ही विस्तार के लिए बिजली दी जाती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जो कम्पनी रायबरेली में काम कर रही है, रोहतक कम्पनी, वह प्रतापगढ़ में भी काम कर रही है और उस का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसकी दर ज्यादा है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उन कम्पनियों को बिजली दी जाती है। सम्भवत: ऐसा है कि यह जो बिजली है उसमें केवल नगरों में ही वह कम्पनियां हैं। बाकी ग्रामीण अंचलों में हमारी बिजली का विस्तार है। तो रायबरेली के ग्रामीण अंचलों में हमारा ही विस्तार है। नगरों में कम्पनी है। माननीय सदस्य अगर कम्पनियों की कोई शिकायत देंगे तो देखेंगे कि उन को जल्दी से जल्दी ठीक किया जायगा।

श्री महेशकुमार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को बिजली ट्यूबवेल लगाने के लिए मंजूर हो गयी है और दो, दो साल हो गए हैं....

श्री अध्यक्ष—

किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं या जनरल सवाल कर रहे हैं?

श्री महेशकुमार—

मैं मुरादाबाद के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

रायबरेली की कोई समस्या हो तो पूछिए।

श्री महेशकुमार—

जिन लोगों को बिजली पहले मंजूर हो जाती है उसके लिए क्या मन्त्री महोदय कोई क्रम बनायेंगे कि जिनको पहले मंजूर हुई है उनको पहले बिजली मिल जाय?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो प्रस्तुत प्रश्न है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसी योजना है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

प्रश्न तो रायबरेली जिले को अधिक बिजली की सप्लाई का है। माननीय सदस्य इसके लिए सूचना देंगे तो अवश्य बतला दूंगा।

श्री रामप्रसाद—

कुंडा से ऊंचाहार तक जो खम्भे बिछाए जा रहे हैं इसकी जो सूचना माननीय मन्त्री जी ने दी है इसकी सूचना उनके अधिकारियों ने क्यों नहीं दी कि यह स्कीम रायबरेली के अन्दर चल रही है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस प्रश्न में यह बात बिलकुल निश्चित रूप से पूछी गयी है कि बिजली की अधिक सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। लाइनों का विस्तार अधिक हो जाता है और बिजली की मांग बढ़ जाती है तो जो लाइनें बिछी रहती हैं उनको अधिक भार वाला और अधिक मजबूत बनाया जाता है। विस्तार के लिए अलग से प्रश्न की सूचना देनी होगी।

जिलाधीश इटावा द्वारा श्रीमती सावित्री देवी को नहरी भूमि की स्वीकृति

*१७—श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवादा, जिला इटावा निवासी श्री सूबेदार सिंह नायक जो हाजीपीर दर्रा में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे उनकी पत्नी, श्रीमती सावित्री देवी के कोई प्रार्थना-पत्र को जिलाधीश इटावा ने २९ जून, १९६६ को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जिलाधीश इटावा ने श्रीमती सावित्री देवी को नहरी भूमि देने की सिफारिश की थी जिसको स्वीकार करके दिनांक ६–४–६७ को आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न

सिकन्दराराऊ तहसील में नलकूपों को बिजली

१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कितने निजी नलकूपों को विद्युत् स्वीकार सन् १९६२ से १९६७ मई तक कर चुकी है और उनमें से कितने नलकूपों को बिजली दे चुकी है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

तहसील सिकन्दराराऊ में मई, १९६७ तक करीब २०८ निजी नलकूपों को विद्युत् स्वीकार हो चुकी है इनमें से ४१ को बिजली दी जा चुकी है।

२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि जिन निजी कुओं को बिजली स्वीकार हो चुकी है उनके अभी तक न तखमीना बने हैं, न एग्रीमेंट तैयार हुए हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी नहीं।

३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ योजना में कितने ग्रामों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है।

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तारांकित प्रश्न १७ श्री रामायण राय द्वारा पूछा गया।

यू० पी० निवास, दिल्ली में जीप की चोरी तथा जन सम्पर्क अधिकारी पर व्यय

४—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० निवास, दिल्ली से १९६६ में एक नई जीप चोरी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी कोई विशेष जांच कराई है कि जीप कैसे चोरी गई ?

न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

जी हां। दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी और वे इसकी तफतीश कर रहे हैं।

५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली में जो सूचना अधिकारी रहता है उस पर साल में कितना व्यय होता है ?

श्री श्यामलाल यादव—

दिल्ली में एक जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त थे। उन पर साल भर में कुल, ९६२९ रु० ७० पैसे व्यय हुआ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आजमगढ़ के सूखा एरिया की जो रिपोर्ट के लिए जो आश्वासन दिया था क्या उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे या आपकी तरफ से कोई आश्वासन मिलना चाहिए या माननीय मन्त्री की तरफ से.....

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं माननीय मन्त्री जी से बात करूंगा ....

श्री केशवदेव (जिला अलीगढ़)—

इस वक्त बोवाई का काम हो रहा है। आपने शनिवार और इतवार दोनों आगे आने वाली छुट्टियां भी खत्म कर दीं। हम किसान हैं। हम अपने घर का सफाया कर देंगे। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए जब हम काश्तकार हैं, यहां पर आए हैं, हमें खेती देखने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि ९ तारीख का एलेक्शन सोमवार को होना चाहिए और शनिवार को भी छुट्टी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो इसमें अपना विवेक इस्तेमाल कर नहीं सकता। आपकी बात सरकार ने सुन ली। सरकार में किसानों की जानकारी रखने वाले बहुत हैं। जो उचित होगा वह होगा। कल एक माननीय सदस्य ने मेरे पास सुझाव भेजा था और वह यह था कि चूंकि वर्षा हो गयी है और बोवाई का काम शुरू है इस लिए सदन को स्थगित कर दिया जाय। सब लोग अपने क्षेत्र में जा कर बोवाई के काम में लोगों को प्रोत्साहित करें। मेरा इस पर अधिकार नहीं। यह आप सरकार से कहिए। नेता सदन और नेता विरोधी दल जो चाहें यहां पर कर सकते हैं।

श्री केशवदेव—

यह दोनों काश्तकार नहीं हैं। बीस वर्ष तक बैरिस्टरी करते रहे। उसके बाद मिनिस्ट्री करने लगे।

श्री अध्यक्ष—

काश्तकार हों या न हों। काश्तकारों ने चुन कर भेजा है, इसलिए वह हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

वैसे यह विषयान्तर होगा, लेकिन आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह बारिश हुई है बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम यहां भी रहें तब भी बोवाई होगी और ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन बीज की सारे देश में कमी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कृषि मन्त्री और मुख्य मन्त्री से कि यदि बीज की व्यवस्था न होगी तो १४-१५ जिले, जो सूखाग्रस्त रहे हैं वहां शायद बोवाई होना मुश्किल हो जायगी। जो उस दिन कृषि मंत्री ने कहा था कि वह इन्तजाम करवा रहे हैं संकर मक्का और बाजरे का उन्होंने बाहर भेज दिया, बिहार को और खुद कोयम्बटूर और मैसूर में ढूंढ रहे हैं। वक्त भी चला गया संकर मक्का बोने का। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूं, वैसे मैं आप को लिखकर भी दे दूंगा। आशा है कि सरकार इस पर बड़ी सतर्कता के साथ सोचेगी ताकि प्रदेश में जो अच्छी बारिश हुई है उसका पूरा लाभ हम उठा सकें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदासिंह जी ने इस समस्या पर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था और उस पर माननीय सम्बन्धित मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि अधिक से अधिक इस दिशा में जो किया जाना सम्भव है वह करेंगे। इसलिए जहां तक ध्यान आकृष्ट करना या आश्वासन सरकार की तरफ से आना था वह सब हो चुका। अब यह प्रश्न अलग है कि जो कार्यवाही हो रही हो उससे भिन्न आप चाहते हों या आपको संतोष न हो तो जिस तरह से नियमों के अन्दर वह प्रश्न उठ सकता हो, उसे उठावें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

किस जिले में कितना बीज बांटा गया उसकी स्टैटिस्टिक्स बनवाकर सदन में अगर बंटवा दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

सरकार आपकी बात सुन रही है और जनहित में यदि उचित समझेगी तो वह कर देगी।

श्री केशवदेव—

मेरा निवेदन है कि बहुगुणा जी ने बीज की जो बात कही है उसमें खाद को और जोड़ दिया जाय।

:—

कोई खास बात हो तो इस समय उठायी जा सकती है, आप बैठिए।

श्री केशवदेव—

मैं वास्तविक काश्तकार हूं। मैं अपने गांव गया था और मैंने जानकारी की तो वहां फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा है किसी सेन्टर पर....

श्री अध्यक्ष—

केशवदेव जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, एक समस्या चाहे कितनी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किन्तु उसके उठाने का कोई स्थान और समय होता है। जब सम्बन्धित प्रांट आवे तो आप अपने सुझाव दे दें। यदि मेरा ध्यान आकृष्ट करने में आप सफल हो जायेंगे तो मैं भी आपको उचित सलाह दे दूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, अभी दो चार रोज से कभी-कभी आप यह सूचना दे देते हैं कि कोई संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गया या कांग्रेस दल में चला गया। विभिन्न दलों की आज कितनी स्ट्रेंथ है इसकी जानकारी आप करके बता देंगे तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो जानकारी रखने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें कोई श्रम नहीं है और आवागमन तो रोज जारी है। इसकी जो सूचना मेरे पास आती है वह मैं सुना देता हूं। जो लिस्ट समय-समय पर छपती रहती है उससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री त्रिवेणी—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने बीज का प्रश्न उठाया था। माननीय कृषि मन्त्री ने उस पर आश्वासन दिया था कि बीज गोदामों में पहुंच गया और वितरित हो गया है। कल मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं न बीज गोदाम पर ही बीज पहुंचा है न बंटा ही है। मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बारिश के बाद बीज बंटेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न व्यवस्था का नहीं है। आपने व्यवस्था के नाम पर दुर्व्यवस्था कर दी। आप प्रश्न कर लीजिएगा। मैं आपको उसमें सहयोग दे सकूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

आपके द्वारा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस समय श्रीमन् बारिश हो रही है और बाहर महिलायें और कुछ अन्य सज्जन उर्दू के विषय में भूख हड़ताल कर रहे हैं ? तो क्या सरकार उनके लिए कोई टिन वगैरह छवाकर तैयार करा देगी वरना उनको निमोनिया हो जाने का खतरा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि सूचना की कोई बात हो तो उसे ही उठावें। किसी कार्यक्रम से सम्बन्धित विषय को इस सदन में उठाया जा सकता है। यह सरकार की खुशी है कि वह कोई मुस्तकिल धर्मशाला विधान भवन के सामने बनवा दे। छवाना तो बेकार हो जायगा। मुस्तकिल धर्मशाला बनवा दें तो अच्छा हो।

श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)—

यह भ्रम रह गया। माननीय केशवदेव जी ने जो प्रश्न उठाया था किसानों के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सदस्यगण के लिए जरूरी है कि हम अपने यहां जाकर अपने खेतों को देख सकें और अपने क्षेत्रों में जाकर बोवाई में कुछ सहयोग दे सकें। अभी आपने यह कहा कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन मिलकर इस प्रश्न को तय करें। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक तय हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि यह निर्णय कब तक हो जायगा। हो सकता है कभी न हो। यह तो नेता सदन और नेता विरोधी दल जो आपस में तय कर लें तो वह हो जायगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अभी माननीय शुक्ल ने अनशनकारियों के बारे में यहां पर कहा। सदन से उसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि जब हम लोग दारुलशफा से यहां आते हैं तो रास्ते में सड़क पर इतनी भीड़ रहती है कि हम लोगों को चलने का रास्ता नहीं मिलता है। विधान सभा के कार्य में भाग लेने में हमको कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने कमरे में उनको ठहरा लें।

श्री बाबू बदरे—

रास्ते में हमको सड़क पार करनी पड़ती है, तो वहां पर भीड़ मिलती है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो मैं इसको देखूंगा ।

विधायक निवास में पानी की कमी के सम्बन्ध में शिकायत

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, एक बात और आपको तय करना है। जो हम लोगों का दारुलशफा यानी विधायक निवास है उसमें पानी की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। नहाने और दूसरे कामों के लिए पानी नहीं मिल पाता है। वैसे तो पानी कभी-कभी बन्द होता था और वैसी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन इधर ७, ८ रोज से इसकी बहुत कठिनाई हो रही है। आज सवेरे पानी बिलकुल नहीं था। इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए आप माननीय मन्त्री जी को आदेश दें।

श्री अध्यक्ष—

वैसे तो मैं यह समझता हूं कि इस सदन में केवल वही प्रश्न उठाए जाने चाहिए जो नियम से संगत हों, लेकिन बहुगुणा जी ने जो बात उठाई, चूंकि माननीय सदस्यों की सुविधा से इसका सम्बन्ध है, इसलिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह कठिनाई कुछ माननीय सदस्य मेरे इल्म में लाए। मैंने सम्बन्धित इंजीनियर को अपने यहां बुलाकर लिखित, एवं मौखिक रूप से कड़ाई से यह आदेश दिया कि इसकी वह व्यवस्था करें और व्यवस्था करने के बाद सम्बन्धित सदस्यों से भी मिलें और उनको सन्तुष्ट करें। उसके पश्चात् भी यदि कोई कठिनाई रह जायगी तो जो कठिनाई रहेगी उसके बारे में फिर देखा जायगा।

सहकारिता मन्त्री द्वारा सदन में असत्य कथन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना आयी है। यह माननीय कृष्णानन्द राय जी की तरफ से है। उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं श्री गंगाभक्त सिंह मंत्री, सहकारिता विभाग के ऊपर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना और अपमान करने की सूचना देता हूं। कल दिनांक ३-७-६७ को सायंकाल ५ बजे के आस-पास श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के ध्यान आकर्षण संकल्प के ऊपर सदन के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते समय श्री गंगाभक्त सिंह ने सदन में यह कहा कि बैंकों में नामजदगी उन्होंने दलीय आधार पर नहीं किया है। जनसंघ के कार्यालयों से संस्तुति मांगकर उन्होंने केवल जनसंघ के सदस्यों की नमाजदगी नहीं की है परन्तु अपनी निजी जानकारी एवं अनुभव के आधार पर सभी दलों के लोगों की नामजदगी उन्होंने की है। उनका यह कथन नितान्त गलत है, असत्य और भ्रामक है। उन्होंने जानबूझकर सदन को धोखा में डालने के लिये यह असत्य कथन किया है। प्राग्दर्शन में भी उनका यह कथन असत्य सिद्ध होता है क्योंकि संयुक्त विधायक दल के आदरणीय सदस्यों ने स्वयं अनेक जिलों में श्री गंगाभक्त सिंह द्वारा दलीय व्यक्तियों के नामजदगी के प्रश्न उठाये हैं और प्रदेश के एक मंत्री को प्रदेश भर की निजी जानकारी हो यह भी असम्भव है। माननीय गंगा भक्त सिंह जी के उपरोक्त कथन की असत्यता की छानबीन पूर्ण रूप से केवल विशेषाधिकार समिति में हो सकती है। अत प्रार्थना है कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सिपुर्द कर दिया जाय और उनके विरुद्ध सदन के अपमान की कार्यवाही की जाय।"

(माननीय कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर)

माननीय कृष्णानन्द राय जी, मैंने आपको बुलाया नहीं है। सदन में आज जो प्रश्न कृष्णानन्द राय जी ने उठाया है उसका मतलब यह है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने यहां कल जो वक्तव्य दिया कि उन्होंने नामांकन जिलों में किये हैं, कोआपरेटिव बैंक में, वह उन्होंने किसी एक पार्टी के ही नहीं किये हैं, जनसंघ पार्टी के ही नहीं किये हैं, यह सूचना वह कहते हैं कि गलत है और इसके लिये उन्होंने तथ्य दिये कि किसी मंत्री को सारे सूबे की जानकारी नहीं हो सकती। दूसरे, उन्होंने यह कहा कि संयुक्त विधायक दल के कई माननीय सदस्यों ने इस बात का खंडन किया और आरोप लगाया कि केवल जनसंघ के ही लोगों के नामांकन हुए हैं। यह उनके आधार हैं और इसलिये वह यह कहते हैं कि सहकारिता मंत्री का वक्तव्य गलत है, प्रारम्भदर्शन में।

मैंने इस पर माननीय कृष्णानन्द राय जी को नहीं बुलाया और अब भी मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं, इसका कारण यह है कि यह विषय इस सदन के सामने बहुत विस्तारपूर्वक आ चुका है। अगर मान लिया जाय कि सहकारिता मंत्री जी की एक राय है और उन्होंने एक भाषण दिया और दूसरे जो माननीय सदस्य संयुक्त विधायक दल के हैं या किसी अन्य दल के हैं उन्होंने उसके विरोध में सूचना दी और उन्होंने कहा कि यह बात असत्य है, वास्तविकता यह है कि केवल जनसंघ के ही व्यक्तियों का नामांकन हुआ, तो यह सूचना माननीय कृष्णानन्द राय जी को भी हो सकती है। तो फिर वही बात हुई कि एक विषय में कई माननीय सदस्यों की विभिन्न सूचनायें हैं, विभिन्न जानकारियां हैं और विभिन्न रायें हैं। वे सब सदन के समक्ष आ चुकीं। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं मानता उन्हीं कारणों के आधार पर जो मैं पहले दे चुका हूं बहुत विस्तार से...

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, आपने जो निर्णय दिया है वह तो शिरोधार्य है और उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपका ध्यान "ला आफ पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज इन इंडिया" बाई रामचन्द्रन की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके माने यह हो गये कि मैं आप को किसी और कानून जो मेरी व्यवस्था के खिलाफ जाता हो, उसको सुन कर उस पर विवाद की अनुमति दूं। मैंने इसको पढ़ा है। इसमें लिखा है कि अगर किसी बयान की फेलासिटी सिद्ध हो जाय तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। तो मेरी जो विस्तृत रूलिंग है उससे यह कवर्ड है। किसी बयान का गलत सिद्ध होना तभी सिद्ध हो सकता है जब कोई निर्विवाद तथ्य सामने हो। एक माननीय सदस्य की एक राय है, एक मंत्री की एक राय है, एक कथन है, एक दावा है, एक एसरशन है, दूसरे माननीय सदस्यों का दूसरा एसरशन है। तो इसमें निर्विवाद तथ्य की बात हमारे सामने नहीं आती। जब यह स्थिति नहीं आती है तो विभिन्न माननीय सदस्यों की रायों को उनके कथनों को एक सा आदर मुझे देना चाहिये और सदन को देना चाहिये, वह स्थिति आ जाती है, और यही स्थिति सदन के सामने है। जितने प्रदेश के जन प्रतिनिधि यहां आते हैं और यहां जो जन प्रतिनिधि हैं वे उससे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किन्तु वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं हो सकता और न यहां विशेषाधिकार समिति का यह कार्य हो सकता है की जो-जो विभिन्न माननीय सदस्यों की जानकारी में विभिन्नता है उसमें वह जानकारी करे, सही तथ्य की जानकारी करे अथवा उसके लिये साक्ष्य आदि ले। यह असंभव बात है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आपने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपने कहा है कि यदि एक माननीय सदस्य कोई अपनी जानकारी या कोई सूचना या अपनी कोई राय इस सदन में व्यक्त करते हैं और दूसरे दल के लोग को उसकी उस जानकारी अथवा

[श्री कृष्णानन्द राय]

सूचना अथवा राय में कुछ मतभेद मालुम होता है तो यह प्रश्न प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता। यह राय आपकी सही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। वैसे तो आपकी कोई भी आज्ञा होगी उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें राय और जानकारी का प्रश्न नहीं है। स्वयं उन्होंने एक स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स दिया है कि उन्होंने अपने दल के लोगों का बैंक में नामिनेशन नहीं किया है। श्रीमन्, मैं असर्ट कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं कि उनका यह बयान बिलकुल असत्य है— राय का सवाल नहीं है, केवल जनसंघ के आदमियों की प्रदेश के सारे बैंकों में नियुक्ति की गयी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट रुक जायं।

श्री कृष्णानन्द राय—

रूलिंग की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। आपका जो विशेष निर्णय है उसके विरुद्ध कुछ नहीं है। मेरा यह कहना है कि जब दो प्रकार के फैक्ट्स आते हैं तो . . . .

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस प्रकार से कैटेगरिकली जब दो तथ्य सामने आवें कि "हमने नहीं किया है" और "हमने किया है" तो इस सदन में निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए यदि विशेषाधिकार समिति में या हाई लेविल में इसका निर्णय करा लें कि उन्होंने सही बात कही है या नहीं, उसके बाद यदि विशेषाधिकार समिति इस निर्णय पर पहुंचती है कि गलत फैक्ट्स कहे हैं तब प्रिविलेज का सवाल बन जाता है। अगर नहीं पहुंचती है तो नहीं बनेगा। इसीलिए निवेदन है कि उस कमेटी के पास भेजें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा निवेदन यह है कि आये दिन विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाते हैं और आपके द्वारा अस्वीकृत किये जाते हैं। अभी तक मुझे एक भी जानकारी नहीं है कि जिसमें विशेषाधिकार स्वीकृत किया गया हो और विशेषाधिकार समिति को भेजा हो। उस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस प्रक्रिया नियमावली के नियम ७४ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "ऐसी अवस्था में जब कि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, वाद-व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो ५०० रुपये से अधिक न होगी।" मैं समझता हूं कि इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए और आज से ही कृष्णानन्द राय के ऊपर इसकी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि सदन का समय इस प्रकार से नष्ट होता रहता है और व्यर्थ में विवाद उठते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि अभी आपका एक निर्णय हुआ। आपने कहा कि इस पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता और कृष्णानन्द राय जी को बोलने की इजाजत नहीं दी गयी और फिर भी उन्होंने १० मिनट तक खड़े होकर भाषण दिया, आपने रोका नहीं। इससे जो यहां की

व्यवस्था है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय के विरुद्ध आप अवश्य कुछ न कुछ निर्देश दें कि आपके आदेश की अवहेलना करके उसी बात को उन्होंने कहा जिसको आपने मना किया था।

श्री सुखदेव प्रसाद—

मैं तो केवल इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपने उस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय दे दिया तो कृष्णानन्द राय जी किस आधार पर खड़े होकर मनमाने तौर से विधान सभा का समय लिये? उन्होंने जो कहा वह आपके निर्णय के विरुद्ध कहा है, और आपका अपमान किया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि मेरी जो शक्ति है, सब चीजों को हजम करने की इतनी नहीं है। जो मेरे सामने प्रश्न हैं पहले मैं उनको साफ कर दूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ही अनुमोदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अभी बैठें। अगर आवश्यकता होगी तो मैं आपको पूछ लूंगा। माननीय हरीश कुमार जी और माननीय सुखदेव जी ने करीब करीब एक से ही प्रश्न उठाए हैं, शब्दों में कुछ अन्तर हो सकता है। माननीय हरीश कुमार जी की माननीय कृष्णानन्द राय जी के सम्बन्ध में शिकायत यह है कि मेरी व्यवस्था के बाद उन्होंने इतना लम्बा सब कुछ कह दिया, यह कहां तक उचित है। मैं इसके बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरी कठिनाई यहां पर यह है कि जब कोई माननीय सदस्य खड़ा होता है तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता, पहले से यह नहीं समझ सकता कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे वही कहना चाहते होंगे जो कि उचित है, नियमानुकूल है और जो उनका अधिकार है। इसलिये मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं अपनी ओर से ही बीच में उनको रोकूं। बीच में रोकने से कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो बात वे कहना चाहते हैं उसे कहने से रह जाते हैं। इसलिये ठीक यही मालूम होता है कि पहले वे अपनी बात कहें। तो माननीय कृष्णानन्द राय जी की बात के बाद मेरा जो कुछ इस विषय पर अपना मत होता, उसको मैं व्यक्त करता, इसके पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठ गया।

माननीय हरीश कुमार जी ने कहा कि आये दिन यहां विशेषाधिकार के प्रश्न उठते हैं और इसलिये उन्होंने नियम ७४ का हवाला दिया कि मैं उसका प्रयोग करूं। इसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उस तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया, साथ ही साथ उन लोगों को भी इस तरह से बतला दिया और उनका ध्यान आकृष्ट कर दिया जो कि इसको नहीं जानते थे। लेकिन जरा इसका अध्ययन कर लें, उसकी परिभाषा में किसी तरह से विशेषाधिकार का प्रश्न जो यहां उठा है, आता नहीं है। मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेते हुए अगर माननीय हरीशकुमार जी को याद होगा, तो ये शब्द कहे थे उसकी प्रस्तावना में कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया है। महत्वपूर्ण मानते हुए मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दी थी। किसी माननीय सदस्य को यह मानना कि उनकी बातें निराधार हैं या नियम ७४ के प्रयोग का प्रश्न, ये दोनों बातें गलत हैं और इस तरह से ये दोनों इसमें कवर हो जाती हैं। अब माननीय कृष्णानन्द राय जी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। मैं उनका इस बात के लिये अनुग्रहीत हूं जो उन्होंने यह कहा कि आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर देखा जाय तो जो कुछ उन्होंने कहा—वह दूसरे शब्दों में व्यवस्था के बारे में ही था। लेकिन जो व्यवस्था की बात उस रोज मैं विस्तार में कह चुका उन्हीं बातों को आज मैंने दोहराया।

[श्री अध्यक्ष]

तो उस पर मैं दुबारा कहना आवश्यक नहीं समझता। मैं यह कठिनाई मान सकता हूं कि कभी-कभी लोगों के सामने हेल्पलेस की स्थिति दिखलाई पड़े कि मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य जिस बात का कहे उसी का मंत्रिमंडल का दूसरा सदस्य या सदन का कोई माननीय सदस्य गलत समझे। तो ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा करना कि कोई विशेषाधिकार कमेटी बैठायी जाय जो इसकी छानबीन करे कि किस आदमी ने कब क्या बात कही और इस तरह से हर आदमी का वक्तव्य छानबीन के लिये रेफर होता रहे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा और उसका कोई अन्त नहीं होगा।

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े हो पर)

माननीय नेकराम शर्मा कुछ कहने जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न यहां हनुमान सेतु के सम्बन्ध में उठाया था जिससे यह मालूम होता था कि कदाचित् ३०–३५ लाख रुपये का नुकसान हुआ है लेकिन जो उत्तर माननीय सदस्य को मिला उससे पता चला कि केवल ५००० रुपये का अनुमानित लास होगा। अब अगर कोई माननीय सदस्य यह कहे कि यह ब्रीच आफ प्रीविलेज का प्रश्न हो गया तो यह उचित नहीं होगा। क्योंकि माननीय नेकराम शर्मा ने जो कुछ भी कहा वह जनहित के संरक्षण के लिये उस तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। जानबूझ कर उन्होंने कोई अतिरंजना या अतिश्योक्तिपूर्ण बात नहीं कही थी। तो हर ऐसी बात के लिये विशेषाधिकार कमेटी बैठायी जाय कि किस हद तक यह सही है और किस हद तक सही नहीं है, यह नहीं हो सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि सर्वसम्मति से या बहुमत से सदन का निर्णय होगा उसे आप मानेंगे। माननीय गंगवार ने एक प्रश्न उठाया है और नियम ७४ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि माननीय कृष्णानन्द राय ने गलत आरोप लगाया है और जो विवाद के लिये सदन का समय लिया है उसके लिये ५०० रुपये वे दें। श्रीमन्, मैं इस बात का समर्थन करता हूं जो उनकी तरफ से कही गयी है। माननीय कृष्णानन्द राय के ऊपर जो यह आरोप लगाया है और प्रस्ताव है कि उनके ऊपर ५०० रुपये का दण्ड होना चाहिये, आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सदन में कल जो प्रश्न उठा था उसमें सदन में यह एक राय थी कि जनसंघ के माननीय मंत्री जी ने अपने जनसंघ कुछ वर्कर्स को नामिनेट किया है और इस प्रश्न के ऊपर माननीय गंगवार जी चाहते हैं कि बहस हो जाय। सारा सदन इसके ऊपर एक मत है कि बहस हो जाय। आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, किन्तु यह आरोप सत्य है अथवा नहीं, इसके ऊपर सदन में चर्चा होने की आप कृपया अनुमति दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था के बाद कोई माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। आपकी व्यवस्था के बाद माननीय नेकराम शर्मा उसी पर बोलें, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम शर्मा ने मेरी व्यवस्था को क्वेश्चन नहीं किया; न उस पर कोई एतराज किया। उन्होंने एक नया प्रश्न यह रखा कि जब सारा सदन एकमत से कोई बात कहे तो नियमों को निलम्बित करके भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। उनका कहना है कि इस ५०० रुपये वाली बात पर यहां विचार किया जाय। तो विचार तो तब होगा जब इस सदन में उसके ऊपर बहस हो और सदन इस निश्चय पर आवे कि उस पर बहस होनी चाहिये। माननीय नेकराम शर्मा ने जो इस प्रश्न पर मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैंने उस पर अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है, इसलिये आपकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इस सदन में माननीय हरीशकुमार गंगवार जी ने जो प्रस्ताव रखा है नियम ७४ के अन्तर्गत, और उसके अनुसार कार्यवाही करने की मांग की है, माननीय नेकराम जी ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, मैं भी उसी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रश्न पर विचार करने की अनुमति दें। आपको नियम ७४ के अन्तर्गत विचार करना होगा कि जितने भी प्रीविलेज के मोशन आपके समय में आते हैं उन सब पर कैसे विचार किया जाय, क्योंकि अभी आपने कोई प्रीविलेज कमेटी का गठन नहीं किया है, इसलिये यह सदन ही उन सारे मोशन्स पर विचार कर सकता है। सभी लोग चाहते हैं कि आप इस प्रश्न पर विचार करने की अनुमति दें। मैं उनसे प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम हो जायेगा कि इस सदन में हमने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरह से किया है या नहीं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सब कुछ कहें, पर मान्यवर कृपा कर यह न कहें कि हम सदन का समय खराब कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष पद से पहले कई बार यह रूलिंग भी हो चुकी है कि ऐसा कहना कि सदन का कोई माननीय सदस्य समय खराब कर रहे हैं असंसदीय है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि चूंकि माननीय गंगवार जी ने बड़ी सतर्कता के साथ इस प्रस्ताव को उठाया है, आप उस पर यहां चर्चा हो जाने दें। मुझे इतना निवेदन और करना है कि कभी गंगवार जी भी इधर बैठते थे और हमने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने सदन का समय खराब किया।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, नियम ७४ के पढ़ने से स्पष्ट है कि नियम ७४ के अन्तर्गत निश्चित प्रस्ताव लाना होगा। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय हरीशकुमार गंगवार के कोई निश्चित प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रक्खा है। इसलिये उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा होता कि यह बात आप मेरे लिये छोड़ते। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो वस्तु स्थिति है। मैंने उसमें अपनी कोई राय नहीं दी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं तो एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय हरीशकुमार गंगवार जी ने जो प्रस्ताव रक्खा उस सन्दर्भ में मैं केवल एक बात रखना चाहता हूं। पहली बात है—"इन्टेंशनली मिसलीडिंग दि हाउस" जिसका कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी जिक्र था कि किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि वह इन्टेंशनली इस हाउस को मिसलीड कर सके। दूसरी बात यह है कि इन्टेंशनल सप्रेशन आफ फैक्ट्स। मैं इन दोनों चीजों के अन्तर्गत श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हरीशकुमार गंगवार जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय और उसी सन्दर्भ में मैं केवल इतना कहूंगा कि हम लोग इधर के बैठने वाले माननीय मंत्री जी पर यह चार्ज करते हैं कि उन्होंने इन्टेंशनली मिसलीड किया इस सदन को।

मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं आपकी रूलिंग्स के सन्दर्भ में, उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन्टेंशनली मिसलीडिंग दि हाउस या इन्टेंशनली सप्रेशन आव फैक्ट्स यह सप्रेशन आव फैक्ट्स ऐन्ड टुथ ये दोनों आवश्यक अंग हैं। परन्तु जनतांत्रिक प्रणाली में यदि उसका सहारा लिया जाय तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि फिर उसके बाद वह इन्टैंशनली सप्रेस न आफ फैक्ट्स एन्ड ट्रुथ या इंटैंशन्ली मिसलीडिंग दि हाउस है या नहीं। इसके लिये कोई न कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो शब्द आप अंग्रेजी में बोल गये हैं उसका आप हिन्दी में अनुवाद करें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं। इन्टैंशनली मिसलीडिंग अर्थात् जानबूझ कर सदन के सामने गलत तथ्य रखने या जानबूझ कर सदन के सामने वह तथ्य रखना जिस से कि सदन गुमराह हो जाय। इस तरह की दो चीजें हैं। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि कदाचित इसकी कोई न कोई प्रक्रिया हो और यदि वह प्रक्रिया केवल यह है कि आप एक बात कर दें और मैं दूसरी बात कह दूं और उस पर मैं कह दूं कि आपने सदन को गुमराह किया या आप एक बात को बार बार दोहरायें मैं कहूं गलत है या मैं कहूं सचमुच आप सदन को गुमराह करते हैं। इसकी कौन सी प्रक्रिया है? अन्त में हम तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माननीय गंगवार जी का प्रस्ताव अत्यन्त शुद्ध है और उसे स्वीकार किया जाय। हमें स्वीकार है। जितने हमारी ओर से अवमान के प्रश्न किये गये हैं उस पर सदन पूरे दिन बैठ जाय और उस पर विचार कर ले।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह जो चर्चा चल रही है उस पर मैं आपका एक मिनट समय चाहती हूं। मैंने दो चार दिन पहिले एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और आपने जो रूलिंग दी थी उसके अनुसार वह बन्द हो गया था। लेकिन आज जो प्रश्न उठाया गया है अगर वह निराधार हो तो मैं पांच सौ रुपये देने के लिये तैयार हूं। वह व्यय मुझसे लिया जाय। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाया था उस पर इसी सदन में विवाद हो। अगर मैं झूठी साबित होऊं तो मैं रुपया देने के लिये तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक नया पहलू उत्पन्न हो गया है। माननीय गंगवार जी ने यह कहा है कि मैं ने जो कुछ आरोप लगाये हैं वे निराधार हैं और यह कि मेरे विरुद्ध नियम ७४ में कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने शिकायत यह की थी कि माननीय सहकारिता मन्त्री ने हाउस को मिसलीड किया है इस लिए उन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठना चाहिये। अब एक आरोप नहीं रह गया, दो हो गये हैं। एक तो मेरा माननीय सहकारिता मन्त्री पर और दूसरा माननीय गंगवार जी का मेरे ऊपर। आप इन दोनों को विशेषाधिकार समिति को भेज दें। वह इस बारे में जांच कर ले और जिसकी गलती हो वह ५०० रुपये का दण्ड दे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही बात हो गयी।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि आप की व्यवस्था के बाद में हम लोगों का बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस समय एक ऐसा ही प्रश्न हां उठ गया

है। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और दूसरे कहते हैं कि उन्होंने किया है। और दूसरे कहते हैं कि उन्होंने किया है। एक साहब ने कहा कि जनसंघ के लोगों को कोआप्ट किया गया है और दूसरे कहते हैं कि केवल जनसंघ के लोगों को नहीं किया गया था, थोड़ा ही किया गया है, दूसरी पार्टी के लोगों को भी किया है कुछ इधर के हैं और कुछ उधर के हैं। इस प्रश्न को, चूंकि दोनों ओर के लोग ही उठा रहे हैं इसलिए आप इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दें और वहां उसका फैसला हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से शान्ति की प्रार्थना करूंगा। हमारी प्रक्रिया नियमावली का केवल नियम ११० ऐसा है जिसमें बिना सूचना के प्रस्ताव आ सकता है, अन्यथा नहीं है। माननीय हरीश कुमार जी ने, जिसे आप प्रस्ताव कहते हैं, केवल मेरा ध्यान आकृष्ट किया है कि सदन में जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है वह निराधार है, अतः मुझे नियम ७४ में कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन यह एक निश्चित प्रस्ताव द्वारा ही हो सकता है। अगर आप वाकई समझते हैं कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है और जिस पर मैंने अपनी रूलिंग दी, उसको अगर आप अब भी समझते हैं कि वह प्रश्न निराधार उठाया गया था, तथा नियम ७४ के अनुसार ५०० के दण्ड की प्रक्रिया होनी चाहिये, तो आप लिखित प्रस्ताव कर दें। इधर के माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि इस पर विचार विनियम हो जाय। इन सारी बातों के सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नाराण शर्मा)—

मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नियम ७४ की ओर ध्यान देंगे और उसस पहले नियम ७१, ७२ और ७३ को देखेंगे, तो उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि जब एक बार यह निर्णय हो जायगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तब नियम ७४ की गुन्जाइश होती है, तभी उसकी तरफ देखा जायगा, लेकिन उसकी सूरत यह है कि...

श्री अध्यक्ष—

आपने जो बात कही आप जरा उसको दोहरा दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नियम ७४ तो तभी लागू होगा जब पहले इस बात के बारे में आपका निर्णय हो जायगा, प्राइमाफेसी फैक्ट के बारे में कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। यदि यह बात सदन तय कर दे कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, या विशेषाधिकार समिति ऐसा निर्णय कर दे कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद ही उस पैनल क्लाज या नियम ७४ के दण्ड विधान का प्रश्न उठता है कि आप क्या सजा देंगे। जितने भी विशेषाधिकार के प्रश्न यहां उठाये गये सब में आपने यह निर्णय किया कि इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपके निर्णय से यह स्पष्ट है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और उसको समिति में भी भेजना आपने जरूरी नहीं समझा। तो नियम ७४ का प्रश्न ही नहीं उठता, उसके लागू होने का प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप शांत रहें, मैं अब किसी को नहीं सुनना चाहता और व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दूंगा। माननीय शर्मा जी ने अभी प्रश्न उठाया कि नियम ७४ में तभी सवाल होता है जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो। लेकिन मैं समझता हूं कि स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। जब सदन को यह लगे कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निराधार उठाया गया है तो

[श्री अध्यक्ष]

नियम ७४ आता है। अगर यह तय हो जाय कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठा और अवहेलना हुई है विशेषाधिकार की तभी तो ७४ लागू होगा। लेकिन विशेषाधिकार की अनुमति मैंने नहीं दी और मैं उसको अस्वीकृत कर चुका। नियम ७४ में प्राविधान है कि जब पता चले कि जब अवहेलना या अवमान का आरोप निराधार है, तो प्रश्न उठाने वाले को मैंने अनुमति नहीं दी यह बात तो हुई, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य निराधार थे या सदन का समय बरबाद करने के लिए उठाये गये थे। नियम ७४ इस प्रकार है कि ऐसी अवस्था में जब कि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, वाद-व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो ५०० रुपये से अधिक न होगी।" माननीय शर्मा जी की जो आपत्ति है इसको पढ़ने से उसमें एक बात मुझे लगती है कि अगर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार होने के बाद यह तय हो कि यह निराधार है और यह उतनी हद तक निराधार माना जाय जो कि समय को बरबाद करने की हद तक आता हो जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में दावा किया जाय तो एक दफा ३५ ए० है जिस में है कि कोई मुद्दई दावा करे और कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचे कि दावा निराधार था तो उस में साधारण कास्ट के अलावा स्पेशल कास्ट दिलायी जाती है। इस में लिखा है कि "अगर विचार हो यह निश्चय और हो जाय कि आरोप निराधार है तब...." इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे कि नियम ७४ पर विचार करना चाहिए और आरोप को निराधार घोषित करना चाहिये तभी यह होगा। माननीय सदस्य, श्री हरीश कुमार गंगवार ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है और मुझ से यह कहा कि दफ ७७ के अन्तर्गत इस को निराधार घोषित करना चाहिये। अगर इसमें हम चलें तो फिर सदन में विचार होगा। मेरी रूलिंग तो यह थी कि वह इस योग्य नहीं है कि इस पर विचार किया जाय। इसलिए मैंने रूल आउट कर दिया था, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य यह कहे कि यह निराधार है तो सदन विचार कर सकता है। मैंने भी इसे अग्राह्य माना है। यह केवल अग्राह्य ही नहीं निराधार भी है जिस के फलस्वरूप ५०० रुपये का दण्ड शिकायत करने वाले पर होना चाहिये। अगर कोई माननीय सदस्य चाहे तो उसके लिए कोई प्रस्ताव होना चाहिये। जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने खुद यह आह्वान किया कि इस पर सदन को विचार करना चाहिये और अगर माननीय सदस्य दण्डित हो सकते हैं तो हमें दण्ड देना चाहिये। तो मैं केवल एक बात माननीय हरीश कुमार गंगवार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस में कोई प्रस्ताव कर रहे हैं? यदि वे प्रस्ताव कर रहे हैं तो फिर जो प्रस्ताव की प्रक्रिया है, उसके अनुसार मेरे पास उसे भेज दें।

श्री नेक राम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस में आप का ध्यान आकृष्ट किया गया है। नियम ७४ के अन्तर्गत कांग्रेस की ओर से मैंने और माननीय बहुगुणा जी ने समर्थन किया है। उसके पश्चात् उसका समर्थन माननीय आचार्य दीपंकर जी ने किया और इस के अतिरिक्त और जितनी पार्टियों के सदस्य हैं, उन सबों ने इस प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान आकृष्ट करते ही यह सदन की प्रापर्टी हो जाती है। जब किसी ने इसका विरोध नहीं किया, न तो कांग्रेस दल ने जो विरोधी दल है, न माननीय दीपंकर जी ने और न ही एस० एस० पी० के सदस्यों ने, तो ऐसी परिस्थिति में कोई आधार नहीं रह जाता कि इस पर चर्चा न करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी ने जो प्रश्न उठाया है अगर उनकी मंशा यह है कि नियमों को निलम्बित करके मैं इस पर चर्चा करा दूं, तो उसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि भले ही सदन के काफी लोग, काफी कांस्टीटचुएंट अंग, इसके पक्ष में हों, लेकिन सारा सदन इसके पक्ष में नहीं हो सकता। इसलिए वे निलम्बित जब तक नहीं हो सकते जब तक कि एक सदस्य भी इसके विरुद्ध हो। तो जब नियमों की परिधि में आते हैं तो नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा

चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण विषय हो और चाहे किसी अंगों की इच्छा हो, तो ध्यान आकृष्ट होने से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो कोई प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत् मान लिया जाता। मैं माननीय हरीश कुमार गंगवार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे प्रस्ताव विधिवत् नियम ७४ के अन्तर्गत प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस पर सदन विचार करे ? (शोर) (श्री उदित नारायण शर्मा के खड़े होने पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि क्या माननीय मन्त्री जी बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़े हो सकते हैं ?

(श्री उदित नारायण शर्मा ने स्थान ग्रहण किया।)

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न उठान का सब को अधिकार है। प्रत्येक आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है।

(श्री उदित नारायण शर्मा के पुनः खड़े होने पर)

(व्यवधान)

सारे माननीय सदस्य एक साथ खड़े न हों। माननीय शर्मा जी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, फिर आप बैठ गये तो मैंने समझा कि आप नहीं उठाना चाहते। अब आप उठा रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। मान्यवर, अभी मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया जा रहा है व्यवस्था के नाम पर मेरी तरफ से दूसरी बातें उठायी जाती हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता था कि व्यवस्था का प्रश्न इस माने में है कि इस वक्त न तो रूल का सवाल है और न किसी बात का सवाल है। मेरा कहना यह था कि नियम के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है और पहले हमें सुन लें उस के बाद निर्णय अपना दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शर्मा जी ने जो बात कही वह व्यवस्था की बात नहीं है और इन्टरप्रिटेशन का सवाल बाद को आयेगा। अगर आवश्यक होगा तो अवश्य सुनूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूं माननीय हरीश कुमार गंगवार जी से कि क्या वह नियम ७४ के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं सदन के सामने ?

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि आप मेरे वक्तव्य को जो टाइप हो गया होगा देख लें। मैंने यह कहते हुये कि इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रस्ताव कई दिनों से सदन के सामने आते रहे हैं जिन से कि हमारा समय नष्ट हो रहा है इन कामों में, यह बात मैंने कही और इसलिए इस पर मैंने आप का ध्यान आकृष्ट किया था कि माननीय कृष्णानन्द राय का जो आरोप है वह भी निराधार है, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह मेरी भाषा है। तो इसमें न तो मैंने कोई प्रस्ताव किया... (शेम, शेम) (तालियां)।

श्री अध्यक्ष--

(श्री हरीशकुमार गंगवार से) इस सदन में अगर कभी कोई क्लैपिंग हो जाय तो मैं कैसे रोक सकता हूं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जब मैंने यह बात कही तो उधर के सदस्यों ने कहा और आपने उस के ऊपर यह निर्णय दे दिया कि इस में निराधार या आधार का प्रश्न कहां उठता है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यह इस पर लागू नहीं होता। यह व्यवस्था निश्चित रूप से दे दी आपने। इसलिए अब सवाल किसी प्रस्ताव का या किसी और बात का कहां उठता है? आपने निर्णय दे दिया इस में निराधार का प्रश्न ही नहीं है। तो जब आपने व्यवस्था दे दी तो इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता, वह मामला समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि आपने जो ध्यान आकृष्ट कराया था वह कहा, लेकिन कोई विधिवत् प्रस्ताव इस नियम ७४ के अन्तर्गत आप नहीं रखना चाहते।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जी हां।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि भले ही माननीय हरीशकुमार गंगवार जी ने नियमतः कोई प्रस्ताव नहीं रखा है लेकिन श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न की तरफ आप का ध्यान आकृष्ट किया है और उस ध्यान आकर्षण में एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया। यह मेरे विरुद्ध जो आरोप है, जांच का प्रश्न है उसको मैं स्वीकार करता हूं उनके इस ध्यान आकर्षण तथ्य को, उसकी जांच होनी चाहिये और यदि हमारी गलती हो तो उचित कार्यवाही की जाय। तो अब प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है। उनका ध्यान आकर्षण करना और मेरे द्वारा उस को स्वीकार करना ही काफी है, और नियम ७४ के अधीन उस के ऊपर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस विषय पर आगे नहीं सुनूंगा।

यह विषय मैं समाप्त करता हूं। माननीय हरीशकुमार गंगवार जी ने कह दिया कि मेरे विचार सुनने के बाद वह कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कह दिया कि वह चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहरहाल, वह बात सदन के सामने आयी और सारा सदन उससे निष्कर्ष निकाल सकता है। अब मैं मजबूर नहीं कर सकता कि वह प्रस्ताव रखें और जो ध्यान उन्होंने मेरा आकृष्ट किया वह प्रस्ताव की शक्ल नहीं ले सकता। इसलिए यह विषय अब समाप्त हुआ।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १५—पुलिस (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

कल आचार्य दीपंकर अपना भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखें।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपके सामने पुलिस के प्रशासन और अनुदान के सम्बन्ध में अपनी बात कह रहा था। मैं यह समझता हूं कि दो चीजें हमारे सामने आईं जिनकी वजह से व्यक्तिगत रूप से उलझन मुझे हुई। जिन प्रश्नों को लेकर आम समाज व जनता को जो तकलीफ होती है

---

*३ जुलाई १९६७ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह एक अलग नीति सम्बन्धी समस्या बन जाती है । लेकिन जो मामले उन्हीं प्रश्नों को व्यक्तिगत रूप लेकर आते हैं वे हमारी व्यक्तिगत उलझनें भी बन जाती हैं । कालागढ़ से आये हुए मजदूर नेताओं से माननीय सिंचाई मंत्री ने उनका प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया और उनसे कह दिया कि उनके कमरे से निकल कर वे बाहर चले जायं और जो कुछ उन्होंने कर दिया वह फाइनल है । क्या फाइनल है ? ४५ मजदूरों पर मुकदमे चलाना, १४, १५ व १६ तारीख को जो मजदूर नेता मंत्रियों से बातचीत करने आये उनके वारंट जारी रहना क्या यही फाइनल है ? मैं कहना चाहता हूं कि कल अगर कोई ट्रेयबुनल यह केस लड़ता है, और वह केस लड़ा जायगा, तब क्या होगा ? आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी मजदूरों के मुकदमे लड़े गये । अनडिफेन्डेड नहीं रहे । कांग्रेस के २० साल के शासन में भी जब मजदूरों पर मुकदमे चलते थे तो वे मुदकमे अनडिफेन्डेड नहीं रहे और संयुक्त विधायक दल की सरकार में भी अगर मजदूरों पर मुकदमे चलेंगे तो हम उनको डिफेंड्स करेंगे और अगर उसके लिये एक-एक पैसा भीख मांगना पड़ा तो भीख मांग कर मुकदमा लड़ेंगे । सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे की अदालतों में काम करने वाले वकील हैं वे उनकी पैरवी करेंगे और हम उन पैरवियों में खुले आम मिनिस्टर से यह सवाल पूछेंगे कि १४, १५ व १६ तारीख में मजदूरों के नेता उनको बाहर भड़का रहे थे अथवा तुम्हारे कमरे में बैठे हुए सलाह कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय, शामली का जो होशियार सिंह का मामला है उस सम्बन्ध में उनके सुपुत्र पवन कुमार ने जो पत्र लिखा है अपने दस्तखतों से, उसकी एक कापी मुझे भेजी है, उसको मैं पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसका उद्धरण पढ़ दें और मेरे पास कागज भेज देंगे ।

आचार्य दीपंकर--

बहुत अच्छा, मैं नहीं पढ़ता हूं । आपके पास भेजे देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप पढ़ दीजिए ।

आचार्य दीपंकर--

उन्होंने कहा कि हम ११ बजे रात्रि थाने में पहुंचे तो हमें अन्दर जाने नहीं दिया गया । चार सिपाही दरवाजे पर मौजूद थे । उनमें एक का नाम फेरूसिंह है । बार-बार कहने पर भी हमें अन्दर जाने नहीं दिया । हमारे शोर पर १४ मिनट बाद इंसपेक्टर साहब ने हमें जाने की इजाजत दी और अन्दर जाते ही साहब व सुरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर थानेदार ने कहा कि तुम्हारे पिता जी की तबीयत बहुत खराब है । अब आप इनको अपने घर ले जाओ । हमने देखा कि मेरे पिता बाहर कम्बल पर सहन में लेटे हुये हैं । उनके सिर तथा मुंह से खून जारी था । हाथ लगाकर देखा तो उनमें कोई सांस बाकी नहीं थी । हमने कहा कि अब इनको ले जाने से क्या लाभ है । हम वहां से चलने लगे तो हमें बाहर नहीं जाने दिया गया । इतने में डाक्टर पाठक थाने में आये । उन्होंने मेरे पिता को देखकर कहा कि यह तो मर चुके हैं । हमने चलने की कोशिश की तो फेरूसिंह ने हमें रोक लिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप ४/५ लाइन्स पढ़ना चाहते थे ।

आचार्य दीपंकर--

इसके बाद श्रीमन्, १,३०० रुपये का किस्सा है, मारपीट है और जबर्दस्ती रिपोर्ट लिखाई गई । ये तमाम चीजें हैं ।

(व्यवधान) (पूरी रिपोर्ट पढ़ने दी जाय की आवाजें ।)

श्री अध्यक्ष—

अब यह तो माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ दीजिये । वह चाहेंगे तो पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे । उनका मैंने ध्यान दिलाया है ।

आचार्य दीपंकर—

मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

इसलिये पूरी पढ़ने दें कि हमारे सामने फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमारी जी आप कृपया बैठ जांय ।

आचार्य दीपंकर—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं अनुरोध किसी का कैसे मानूं । आगे चलकर उन्होंने कहा है कि लोग इकट्ठे हो गये और उनसे जबर्दस्ती रिपोर्ट लिखाई गई, उन्होंने १,३०० रुपये मांगे तो कहने लगे कि तुम्हें १,३०० रुपये प्यारे हैं या तुम्हारे पिताजी । अंत में १८० रुपये उनको वापस किये गये ।

श्रीमान्, यह पुलिस है । जब जांच की बात आती है तो शासकों का दृष्टिकोण हो गया है कि प्रत्येक जनता का आदमी अपराधी है जब तक वह निर्दोष साबित न हो जाय और प्रत्येक पुलिस का आदमी ईमानदार है, जब तक वह बेइमान साबित न हो जाय । इसलिये अगर जनता शिकायत करती है तो पहले साबित करे कि शिकायत सही है और साबित हो जाये कि पुलिस वाला अपराधी है तब वह अपराधी है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इस सदन में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि दो होस्टाइल कैम्प्स हों । हम देखते हैं कि लोग रोज इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं । इस तरह से पोलिटिकल पोलेराइजेशन नहीं होता है । आज कांग्रेसियों को यह शोभा नहीं देता है कि जब हम उधर बैठते थे तो इनका क्या ऐटीट्यूड था और आज क्या है । हम विचारों के आधार पर अपना फैसला करेंगे । अगर जनसंघ हर जगह जाकर अपने राजनीतिक आधार को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा तो हम उसके साथ नहीं हैं और हम उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करेंगे । कांग्रेस ने जो २० साल तक किया है अगर हम वही करने लगेंगे तो हम निन्दित साबित होंगे । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सवाल न कम्युनिज्म के विरोध का है और न कांग्रेस के विरोध का है, बल्कि प्रश्न यह है कि जो जनता पुलिस के संरक्षण में रहती है. . . . (लाल बत्ती होने पर) । श्रीमन्, मुझे तीन मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपके तीन मिनट हैं ।

आचार्य दीपंकर—

इसके अलावा ३ मिनट दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप ५ मिनट बोलिये ।

आचार्य दीपंकर—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आमतौर से समाज के अन्दर अव्यवस्था पैदा करने वाले हमेशा ऐन्टी-कम्युनिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं । वह जहां से चले थे वहीं से अपनी कब्र में पहुंच गये हैं । लेकिन कम्युनिज्म का प्लेग पूरे संसार में फैलता चला जा रहा है और फैलेगा ।

और कम्युनिज्म को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समाज के अन्दर जो शोषण और दमन है उसका उन्मूलन सिवा कम्युनिज्म के दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकती। लेकिन मुख्य प्रश्न कम्युनिज्म क विरोध का या कांग्रेस या जनसंघ के विरोध का नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है जिस पुलिस को यह प्रोटेक्टर बना कर चलना चाहते हैं, आम जनता का रुख उसके प्रति अच्छा नहीं है। पुराने जमाने का गोरखधंधा ज्यों का त्यों चला आ रहा है। दरोगा का घोड़ा पचास रुपये की घास खाता है और कप्तान का घोड़ा ८० रुपये की घास खाता है। घोड़ों ने फैसला कर रखा है कि अगर दरोगा के पास जायेंगे तो ५० रुपये की घास खायेंगे और अगर कप्तान साहब के पास जायेंगे तो ८० रुपये की घास खायेंगे। नौकरशाही की वही घिसीपिटी परिपाटी चली आ रही है। उसी पर अंग्रेज चले, उसी पर ये चले और उसी पर हम चलने को तैयार हैं।

इसी तरीके से धारा १०७, ११७ और १०९ हैं जो जनता को परेशानी के अमोघ अस्त्र हैं। धारा १०९ का एक सीजन होता है। उस सीजन में यह देखा जाता है कि इतने आदमी धारा १०९ में पकड़े गये। आज भी पुरानी सामन्ती बेगार ली जाती है। आज भी चौकीदार को तीन रुपये वेतन मिलता है। तन कट जाय इस लिये वेतन हो गया। इसी तरह से पुलिस की ऐट्रासिटीज का सवाल है। ८ मई से २४ मई तक गाजीपुर में १६ हत्यायें हुई जिसमें एक जिला किसान सभा, गाजीपुर के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह यादव, दूसरे कांग्रेसजन राजवंशी, जिला परिषद् सदस्य दोनों की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी। भगवान सिंह की हत्या हरिहरसिंह दरोगा ने साजिश करके करवायी, जिसकी सूचना पब्बर रघुवीर ने पहले ही एस० पी० को दे दी थी। भगवानसिंह ने भी हत्या की दरोगा से शिकायत की थी कि दरोगा की वजह से मेरी जान खतरे में है इनका ट्रान्सफर किया जाय। मिनिस्टरों से बात कीजये तो कहते हैं कि एम० एल० एज को सिफारिश नहीं करनी चाहिये। जो लोग फाइल लिये मिनिस्टरों के दफ्तरों में घूमा करते थे आज वही कहते हैं कि एम० एल० एज को हमारे यहां सिफारिश करने के लिये नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

आचार्य दीपंकर---

इस तरीके से, अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम चल रहा है। इसी तरह से अर्ज करूं कि १३ मई को डिप्टी मिनिस्टर, होम मुजफ्फरनगर गये थे। मैंने सुना। उनके सामने खुद बयान किया गया था। एक आदमी जो सचमुच अपराधी था उसको पुलिस ने थाना, बुढ़ाना में गिरफ्तार किया। सही हालत में गिरफ्तार किया। बाद में भारी पत्थरों से उसके घुटने और पांव तोड़ दिये और कह दिया कि पकड़ते समय पांव टूटे हैं। यह पुलिस का प्रशासन उसी प्रकार चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। न उनका रुख जनता की तरफ बदला है और न जनता का रुख उनकी तरफ बदला है। अध्यक्ष महोदय, आप का धन्यवाद। मैं केवल यह बात कहना चाहता था।

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)---

श्रीमान् अध्यक्ष जी, यह पुलिस प्रशासन पर जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें यह देखना है कि उसमें क्या-क्या गल्तियां हैं, इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

कृपया माइक को और थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो अच्छा हो।

श्री विश्वनाथ प्रसाद---

श्रीमन्, पुलिस बदनाम है, जनता क साथ बहुत दिनों से खिलवाड़ कर रही है और अपने उदर का पालन कर रही है, इसमें दो मत नहीं हैं। जो महानुभाव आज उस तरफ बैठे हैं वह

[श्री विश्वनाथ प्रसाद]

इधर १५–२० वर्षों तक बैठे थे और हमेशा यही कहते थे। इसमें दो रायें नहीं कि पुलिस पर नित्य प्रति इल्जाम लगाते थे और इस तरफ जो बैठे हैं वह इस मसले को अपने मत के अनुसार बराबर दबाते रहे हैं। इसलिये यह साबित है कि पुलिस का व्यवहार अमानुषिक और अनाचारी रहा है। यह क्यों है ? जब सन् ३९ की लड़ाई आई, उसके बाद से पुलिस का रवैया धीरे-धीरे खराब होता गया। क्यों खराब हुआ ? यह आप भी समझते हैं और यहां के महानुभाव भी समझते हैं कि उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ीं। धीरे-धीरे रिश्वत लेते-लेते वे इतनी हद तक रिश्वत लेने लगे कि उनकी ऐशो आराम भी इसमें शामिल हो गई और वे अब जनता की बात बिना रिश्वत के सुनते ही नहीं। डकैती, चोरी, राहजनी, कत्ल जितने भी ऐब के काम हैं वह दिन दूने रात चौगुने बढ़ गये हैं। एक मीटिंग में चौधरी साहब ने स्वयं कहा है कि इससे तो मजबूरन कहना पड़ता है कि अंग्रेजों का राज्य अच्छा था जब हर समय चाहे जहां आ जा सकता था और इस तरह से वह लूटा मारा नहीं जाता था। तो हमें अब सही स्थिति देखनी चाहिये। उस वक्त उनके विचार स्वच्छ थे, कहीं फंसे हुए नहीं थे जैसे कि आज हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह नौबत कहां पहुंची। पुलिस वाले अगर रिश्वत न लें तो उनका काम ही नहीं चलेगा। वे दिन रात यही किया करते हैं वे कोई कार्य ऐसा नहीं करते हैं जिसमें न्याय हो। रिश्वत लेकर बेगुनाह फंसाये जाते हैं, रिश्वत लेकर गुनाहगार साफ छोड़ दिये जाते हैं। पुलिस ऐसा क्यों करती है, इसका कारण यही है कि महंगाई बढ़ी है और लंगोटी बांधकर और भूखों मर कर कोई पुलिस वाला अपना काम नहीं कर सकता है। भूखों मरकर और लंगोटी लगाकर कोई काम करे तो शायद ही वह अपना काम ईमानदारी से कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन इस ऐशो-आराम के वक्त में पुलिस उस तनख्वाह में चाहे पुलिस का छोटा सिपाही हो या एस० एस० पी० हो सबका हाल ऐसा ही है कि बिना उसके उसका काम हीं नहीं चल सकता है। कोई ही भलेमानुष इस प्रकार के होंगे जो पेट काटकर काम करते हों, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। पुलिस का जनता के साथ व्यवहार दूसरे किस्म का होता है और दूसरे जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्त्ता हैं उनके प्रति पुलिस का काम दूसरा होता है और यह सरकार अपने माफिक जहां बात होती है उसी तरह की बात बना लेती है।

अभी एक माननीय सदस्य ने गोलीकांड के विषय में कहा कि उस पर जांच होनी चाहिये, किन्तु उस पर जांच की बात सरकार के समझ में नहीं आयी और आपने देखा आपके सामने देहातों में ट्रान्सफार्मर बराबर चोरी होते जा रहे हैं। और सरकारी माल की चोरी हो जाती है। यह बड़े शर्म की बात है कि रोज सरकार के माल चोरी हो और सरकार चुप देखती रहे। शहरों में मेनहोल की लाइनें, पाइपों की टोटियां, बिजली के बल्ब कुछ नहीं बचतें और पता नहीं यह सरकार और पुलिस क्या करती रहती है, मेरी समझ में नहीं आता ? यह कह सकते हैं अभी दो ढाई महीना हुआ, लेकिन होनहार बिरवान के होते चीकने पाते। अगर कुछ कर सकते होते तो दो ढाई महीने बहुत काफी थे। मगर मैं जानता हूं कि ये कुछ कर नहीं सकते।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरीश कुमार गंगवार पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इनको क्या कहूं ! एक सज्जन ने यहां मेरा नाम ले लिया। श्रीमन्, बनारस में सन् ३८ में रायट हुआ था। उसमें एक कांग्रेसी जो जरा हिन्दू विचारधारा के थे उनको वहां के पुलिस कप्तान काजिम रजा ने खून के जुर्म में फाँसना चाहा, जिसका मैंने उस समय खुलकर विरोध किया था और उस वक्त पंत जी महाराज यहां चीफ मिनिस्टर थे। उस रायट के समय में लाखों रुपया लगाकर १०४ बुखार में १५ दिन घूम-घूम कर मैं शहर में अमन कायम करने में मशगूल रहा मगर पंत जी महाराज की मिनिस्ट्री ने उस एस० पी० को हटाने से बराबर इन्कार किया। रायट के दिन बढ़ते गये और करीब ४० खून हुये। जब मैं १०५ डिग्री बुखार में हुआ तो दो बजे रात को मुझे गिरफ्तार कराया गया और पूज्य मालवीय जी की कृपा से १ घंटे में मुझे छोड़ दिया।

गया । एक सौ साढ़े पांच डिग्री बुखार की हालत में मैं एक महीने तक लगभग बेहोश रहा जब मुझे होश आया तो पता लगा कि एस० पी० का ट्रान्सफर हो गया है । यह रवैया आज की सरकार का नहीं बल्कि यह बहुत दिनों से है । सरकार किसी न किसी वजह से अपना मनमाना किया करती है मुझे इसका बड़ा दुख है । श्रीमन्, इधर और उधर के लोगों को पुलिस प्रशासन और बजट पर जो भी खराबियां उनके सामने हैं उनको रखने का अधिकार है वह कह सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इधर के लोगों को जरा समझबूझ कर गम्भीरता से बातें कहनी चाहिये क्योंकि अभी ये लोग सरकार में थे अभी इनकी सरकार गयी है इसलिये इन्हें अपने तरीके में थोड़ा-सा संशोधन कर लेना चाहिये ।

श्रीमन्, उनको क्या कहूं ? मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश का होम विभाग एक कम्युनिस्ट नेता को दे दिया । मैं आपसे क्या कहूं ? मैंने जिस वक्त यह मिली जुली सरकार बनी थी उसी वक्त उसका विरोध किया था, अखबारों में वक्तव्य दिया कि मैं इस संगठन में नहीं रहना चाहता क्योंकि जिस जनसंघ ने इन कम्युनिस्टों को बुरे से बुरे शब्द कहे थे जो कि इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता, इन्होंने कहा था कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते । वह शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं । लेकिन श्रीमन्, ये बैठा दिये गये । मैंने वही बातें कहीं और आज भी कहता हूं कि इनके साथ काम करने को मैं कभी मंजूर नहीं कर सकता । इसी लिहाज से मैंने अपना एक वक्तव्य दे दिया । मगर श्रीमन्, इन्हें तो कुर्सी प्यारी थी, देश चाहे रसातल में जाय इन्हें कोई मतलब नहीं है । यह मिली-जुली सरकार बनाई गई है । आगे होता क्या है ? जो मैं सोचता था वही होकर रहा । हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन मैं जानता था और समझता था कि यह क्या हो रहा है । मैं इसका भुक्त भोगी था । मैं जानता था कि इसके आगे क्या होगा । इनको पता नहीं था । मुझे मालूम था, तो मैंने इसका विरोध किया और वही बात मेरे सामने आई ।

रुस्तम सैटिन जो कम्युनिस्ट नेता हैं वह कुछ खास लोगों के बल पर यहां चुनकर आये हैं । जिन्होंने इनका जुलूस देखा था शहर के अन्दर उन्होंने कलेजे पर हाथ रखकर कहा कि बड़ा जुल्म किया इनको एलेक्ट करके ? यह बनारस जहन्नुम में चला गया । मैं जानता था कि यह क्या हो रहा है । मैं पहले से सचेत था मगर जो होने वाला होता है वह होकर रहता है । लोगों ने समझा नहीं था । ये एक साम्प्रदायिक लोगों के वोट पर चुने गये । इनके दोस्त सत्यनारायण सिंह कांग्रेस में थे, वह हार गये । उनको भी एक दल ने वोट दिया । उनका दिमाग पहले कुछ रहा हो मगर इस चुनाव के बाद उनका दिमाग फिर गया और अब वह पूरे साम्प्रदायिक हो गये और सब जगह साम्प्रदायिक बातें फैलाने लगे । अखबारों में २० तारीख को निकाल दिया कि शहर की यह पोजीशन है । कहीं रायट बनारस में न हो जाय यह अखबार में उन्होंने २० तारीख को निकाल दिया । मोहर्रम का दिन था । एक रास्ते से ताजिया जा रहा था । मन्दिर के पास इन्होंने अलम को गिराकर फसाद खड़ा कर दिया । उस मन्दिर के पास जब कुछ हिन्दुओं ने रोकथाम की तो फसाद बरपा हो गया । श्रीमन्, उस फसाद को हिन्दुओं और कुछ मुसलमानों ने रोका मगर उसके साथ जो पुलिस जा रही थी उसमें एक मुसलमान डी० एस० पी० थे, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । वहीं पर फसाद हो गया । कुछ लोगों ने उसको रोका । उस फसाद को रोकने के लिये अमन और शान्ति कायम न हो जाय, उस फसाद को बढ़ाने के लिये उन्होंने समय चाहा और ताजिया को वहीं का वहीं रोक दिया । वह लोग वहां से हनुमान फाटक पर आये जहां पर २० हजार आदमी जमा थे । उन २० हजार आदमियों से उन्होंने जाकर मशविरा किया । २ घंटे के बाद जहां पर ये ताजिया रखे हुये थे, उन लोगों ने आकर हिन्दुओं के घरों पर हमला बोल दिया । अब क्या पूछना था जिनके घर में टेलीफोन थे टेलीफोन खड़कने लगे । २, ४ मिनट के अन्दर जितनी जगह वह करते थे, वहां पर सूचना गई और मेरे पास भी खबर आई । मुझको भी लोगों ने फोन किया । मैं भी गया और क्या कहूं शहर कोतवाल, जो सम्पूर्णानन्द जी को लाने गये थे, वे भी फौरन पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे ।

[श्री विश्वनाथ प्रसाद]

उसने चाहा कि उस भीड़ को रोकें मगर वह भीड़ न रुकी। तब उसने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज का बदला उन लोगों ने पत्थर से दिया और पत्थरों ईंटों की जब वहां पर काफी बौछार होने लगी और ३३, ३४ पुलिस वाले घायल हो गये, सिटी कोतवाल को चोट आई, थानेदार को चोट आई और मजिस्ट्रेट को भी चोट आई तब उन्होंने उस जगह पर फायर का हुकुम दिया। और फायर करने में तीन आदमी वहीं मरे और पचासों घायल हुये इस में कोई शुबहा नहीं। उस नजारे को देख कर कौन कह सकता था कि इस प्रदेश में भी कोई सरकार है। वहां पर रुस्तम सैटिन साहब मौजूद थे। उन को पता चला कि गोली चल गयी है और हमारे भाई मारे गये हैं तो वे मौके पर आये और वहां एक तरफ पच्चासों हजार मुसलमान खड़ा था, एक तरफ पुलिस खड़ी थी। उसी जगह सयत्यनारायण सिंह जी ने लेक्चर देना शुरू कर दिया जिस से मुस्लिम जनता का दिमाग खराब हुआ।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद---

अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया हूं। आप कहें तो मैं यूं ही बैठ जाऊं।

श्री अधिष्ठाता---

आप दो मिनट वैसे भी ज्यादा ले चुके हैं। अच्छा एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री विश्वनाथ प्रसाद---

और उन्होंने अपने लेक्चर में यहां तक कह डाला कि जिन लोगों ने इस बल्बे को दबाने में सहायता की है उनको सजा दी जायगी, उन को निकाल दिया जायगा। मुस्लिम जनता इससे और भड़क उठी। श्रीमन्, हमने और पुलिस अधिकारियों ने बहुत प्रयत्न किया। मैं रात को दो बजे की गाड़ी से यहां आया और चौधरी साहब से मिलने के लिये एक मिनट चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक मिनट का भी समय नहीं है। मैंने बहुत कहा कि मैं अपने भाइयों को आग में जलते छोड़ आया हूं, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, लेकिन उन्होंने मुझे एक मिनट का समय नहीं दिया। यह मुख्य मंत्री हैं। मैं फिर बनारस लौट गया और जिस दिन लौटा उस दिन बल्बे का उग्र रूप था। पता लग रहा था कि ३७-३८ के बल्बे से यह कहीं अधिक भयानक होगा। "अल्लाहो अकबर" और "हर हर महादेव" के नारे शहर भर में गूंजने लगे। पुलिस अधिकारियों ने लाउड स्पीकर से एलान किया कि जो हल्ला मचायेगा अथवा बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जायगी। किसी तरह एक रात बीती। तो श्रीमन्, यह हाल है हमारी पुलिस, वरिष्ठ अधिकारियों तथा उपमंत्री जी की और चौधरी साहब इतने मदमस्त हैं कि किसी विधायक को एक मिनट का समय भी नहीं दे सकते। मैं उनसे यह आशा कभी नहीं रखता था। पर उस समय मेरा अर्थ था, अपना दुख दर्द उनसे कहना चाहता था और केवल यह कहना चाहता था कि यह रायट बढ़ने न पाये। पर उन्होंने मेरी एक बात न सुनी। श्रीमन्, सैटिन साहब ने जो-जो कहा था वह सब कराया। कोई भी अधिकारी वहां बचा नहीं डी० आई० जी० से लेकर दरोगा तक जिस का तबादला न कर दिया गया हो। जिन्होंने ७२ घंटे जाग-जाग कर, रात दिन एक कर के उस रायट को रोका, और उन्होंने बयान भी दिया है परिषद् में कि अधिकारियों ने बहुत मेहनत के साथ उस रायट को रोका, उन सबका तबादला कर दिया गया। और कितने नयों को उन्होंने कुकर्म कराने के लिये वहां तैनात कर दिया, वह भगवान ही जानते हैं। वह अधिकारी भले भी हो सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

*श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, कल से पुलिस विभाग के अनुदान पर बहस चल रही है और दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस पर काफी विचार व्यक्त किये हैं और काफी आलोचना भी हुई है। मैं भी जानता हूं कि पुलिस में काफी खामियां हैं और पुलिस के रवैये में काफी परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन उसके लिये कैसे कदम उठाये जायेंगे ? यह बहुत मनोवैज्ञानिक प्रश्न है और इसको गहराई से सोचना होगा। पुलिस में जो लोग जाते हैं वह हमारे समाज के अंग हैं। जब हम आवाज लगाते हैं कि पुलिस वाले भ्रष्ट हैं तो क्या पुलिस में भ्रष्ट लोग ही जाते हैं ? अच्छे खानदान के लोग भी जाते हैं, लेकिन "काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाय, एक लीक काजल की लागि है पै लागि है।" आज नारा लगाया गया है कि पुलिस में जितने लोग हैं सब भ्रष्ट ही हैं। तो हमें सोचना होगा कि वह कौन सी चीज है जिससे सारी पुलिस पर ही लोग उंगली उठाते हैं। आजादी को २० वर्ष व्यतीत हो गये और बराबर इस सदन में, मैं तो नया विधायक हूं, मैं अखबारों में पढ़ता था और ऊपर गैलरी में बैठकर भी सुनता रहा हमेशा इस सदन में पुलिस की आलोचना होती रही है। लेकिन कोई सुधार की बात पुलिस के रवैये में विशेष नहीं दिखाई पड़ी। नयी सरकार जब से बनी है मैं इस बात को मानता हूं कि पुलिस का जो दृष्टिकोण है जो उससे जन सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिये, जो उसका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिये वह उसमें नहीं आया है, लेकिन जब से चौधरी चरणसिंह ने गृह विभाग संभाला है तो चाहें पुलिस के लोग ईमानदार हों या न हों, उनके डर से, दहशत से भ्रष्टाचार कम हुआ है (व्यवधान)। अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि हमें इसका मनोवैज्ञानिक हल ढूंढना होगा कि पुलिस में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो और इसके लिये सदन में एक ही दिन चर्चा कर देने से वह सम्भव नहीं होगा। जो वरिष्ठ सदस्य हों और उप गृह मंत्री बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा संगठन करें, कोई ऐसी कमेटी बनायें जो सोचे कि कौन सी नीतियां अपनायी जायं जिनके द्वारा पुलिस का रवैया जनतांत्रिक बनाया जा सके और पुलिस में भ्रष्टाचार की शिकायत काफी हद तक दूर की जा सकें।

मान्यवर, जहां तक मैं जानता हूं कि पुलिस विभाग के जो कायदे कानून बने हुये हैं और पुलिस प्रशिक्षण के जो नियम हैं वे किस हद तक पुलिस में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायक हैं। पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बातें हुई हैं। कुछ कायदे कानून ऐसे बने हुये हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहे तो वह कर ही नहीं सकता है। उसे झूठी शहादत, व झूठी बातों का सहारा लेना पड़ेगा तभी उसका केस बन सकेगा। इसीलिये मैं चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री, पुलिस इस पर विचार करें कि पुलिस के उन कायदे कानून में कुछ परिवर्तन करें जिससे पुलिस सही बातों को लेकर आगे चले। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और सही बातें भी जनता के सामने आवेंगी।

पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में भी मुझे कहना है। मेरे एक गुरु थे जो पढ़ाते थे। वे बहुत ही ईमानदार और सभ्य आदमी माने जाते थे। संयोग से पोलिटिकल सफरर होने का लाभ उठा कर वे दारोगा बन गये थे। मेरी उनसे जब पुलिस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बातचीत हुई तब अक्सर उनके मुंह से गाली निकल जाया करती थी। मैंने उनसे पूछा कि मास्टर साहब, यह क्या बात है कि आप तो इतने जेंटिल थे और नम्र शब्दों में बात किया करते थे, आज इस तरह से हर बात में गाली दिया करते हैं ? इस पर उन्होंने बतलाया कि मैं क्या करूं इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह तो पुलिस प्रशिक्षण का दोष है। पुलिस प्रशिक्षण का वातावरण ही ऐसा है कि वहां जाकर कोई आदमी दूसरी चीज सीख ही नहीं सकता। अधिष्ठाता महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय उप मंत्री, पुलिस विभाग से कहना चाहता हूं कि वे उन सारी बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। पुलिस में दोष है, लेकिन केवल उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज बहादुर द्विवेदी]

नारा लगाने से ही वह दोष दूर होने वाला नहीं है । हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि पुलिस में दोष है । कल तक जिस पुलिस में हम दोष मानते थे, आज कैसे मान सकते हैं कि उसमें दोष नहीं है लेकिन उनके दोषों को दूर करने के लिये गम्भीरता पूर्वक मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया जाय । जो दोष काफी दिनों से व्याप्त है वह केवल एक, दो दिन में केवल चौधरी चरण सिंह की सरकार बन जाने से दूर नहीं होने को है । कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में ही उनको दूर कर दें । उनको दूर करने का प्रयास किया जाय और उसके लिये हर कदम बढ़ाया जाय ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं । जैसे काफी गर्मी के बाद बरसात आती है, गर्मी में तो कीड़े-मकोड़े नहीं दिखलाई पड़ते, लेकिन जब बरसात आती है तो उस समय तमाम कीड़े-मकोड़े की भरमार हो जाती है । उसी तरह से काफी वर्षों तक गुलामी के वातावरण में रहने के बाद आजादी रूपी बरसात का वातावरण हमारे सामने आया और उसके साथ जहां तमाम चीजें आयीं वहीं भ्रष्टाचार व नैतिक पतन रूपी तमाम कीड़े हमारे समाज के बीच में आये जिससे हमारे समाज में नैतिकता का अभाव हो गया । जिस तरह बरसात के अन्दर कीड़े-मकोड़ों को कोई मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता जब तक कि पछुवा हवा बह कर न उनको समाप्त न कर दे, उसी तरह से इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये काफी प्रयास करना होगा और इस भ्रष्टाचार रूपी कीड़े को मारने के लिये चौधरी चरण सिंह द्वारा पछुवा हवा चलाना होगा, तभी जाकर यह कीड़ा मर सकेगा । अधिष्ठाता महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब से चौधरी चरण सिंह जी इस कुर्सी पर बैठे हैं तब से यहां के वातावरण में पछुवा हवा चलने लगी है और आशा है कि भ्रष्टाचार के जो कीड़े-मकोड़े हैं वे अपने आप ही समाप्त हो जायेंगे ।

श्रीमन्, मैं अन्य बातों में न जाकर कुछ अपने जिले की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं । फैजाबाद के सम्बन्ध में वहां के एक माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, आपके माध्यम से मैं उप मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि पुलिस बड़ा अत्याचार कर रही है, वहां पी०ए०सी० पड़ी है, उसकी तरफ भी उन्होंने इस सदन का ध्यान दिलाया । मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे जिले में अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पहले से अपराध बढ़े हैं । लेकिन मैं यह भी बतला दूं कि फैजाबाद के जिस क्षेत्र की चर्चा माननीय सदस्य ने की वहां की शान्ति व व्यवस्था को बिगाड़ने में किसी खास पार्टी का हाथ है । आपके माध्यम से सरकार तक मैं यह बात पहुंचा दूं कि उस क्षेत्र को नक्सलबाड़ी बनाने की योजना चल रही है । वहां एक दरोगा को मारा जाता है और कांस्टेबिल को पकड़ कर बल्लम की नोक पर, लाठी की नोक पर उठाया जाता है और जब एक शख्स पेशाब करने जाता है तो कहा जाता है कि "साले तुम पेशाब करोगे, खड़े हो बल्लम की नोक पर" । वहां इस तरह की बातें की जायेंगी और अगर पी० ए० सी० लग जाएगी तो उसको कहा जायगा कि किसानों को भयभीत करने के लिए पी० ए० सी० लगाई गई है । वहां हमारे माननीय मुख्य मन्त्री हो आए हैं । वे स्थिति से भिज्ञ हैं । मैं उनसे आशा करूंगा कि ऐसे तत्व जो शान्ति और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से दो बातें जेल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । हमारे उप मन्त्री महोदय जो जेल से सम्बन्धित हैं वे यहां बैठे हुए हैं । जेल के प्रोबेशन केसेज जो आते हैं उन पर सरकार बड़ी देर से विचार करती है । मैंने माननीय उप मन्त्री महोदय से फैजाबाद जिले का जिक्र किया है और उन्होंने मुझे बताया कि आज तक प्रोबेशन के केसेज को जितनी ढिलाई के साथ करने की कोशिश की गई थी उससे ये दिक्कतें पड़ी हैं । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही ध्यान दे रहा हूं । श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जेल से जो प्रोबेशन केसेज आयें, उनको यथाशीघ्र देखने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झाँसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा कि माननीय चौधरी चरणसिंह के आने के बाद पुलिस में एक भय पैदा हुआ है और उस भय से भ्रष्टाचार रुकने की ओर कदम उठा है। हमारे यहां झाँसी में खास तौर पर कोई छुरेबाजी और कत्ल की घटनायें नहीं होती थीं। हमारे रुस्तम सैटिन साहब उसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन पांच ६ महीनों में झाँसी में भी छुरेबाजी और कत्ल की घटनायें हुई हैं। यह घटनायें दो-तीन महीने पहले से और बढ़ गई हैं। श्रीमन्, कानपुर में जनसंघ के अध्यक्ष का बयान है कि कानपुर में डकैतियों का आतंक फैल गया है। यह सब कैसे हुआ? असल में इसका कारण, इसके जन्मदाता, इसको प्रोत्साहन देने वाली सरकार है जिसके मुख्य मन्त्री माननीय चौधरी चरणसिंह हैं। माननीय चौधरी चरणसिंह जी आज से आठ वर्ष पहले झाँसी गए थे। जहां सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि न्याय शासन और व्यवस्था तीन बातों पर आधारित है। ईश्वर का भय, समाज का भय और शासन का भय। इसकी उन्होंने व्याख्या भी की थी। ईश्वर का भय इसलिए कि हम इस बात को मानते हैं कि हमको स्वर्ग और नरक मिलता है। इसलिए हम बुरे कामों से डरते हैं। हमको वहां पर स्वर्ग मिले, इसलिए हम डरते हैं। समाज में इस लिए बुरे कामों से डरते हैं कि समाज हमको बहिष्कृत न कर दे। तीसरा सरकार का भय इसलिए होना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हम पर मुकदमा चले और हमको जेलखाना जाना पड़े। अगर इन तीन बातों का डर समाप्त हो जाय तो शासन और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। माननीय चरणसिंह ने पहली अप्रैल के बाद सारी बातों को तिलांजलि दे दी है। उनका जन्म हुआ है भ्रष्टाचार से। एक दारोगा ने हमारे यहां २०० रुपए रिश्वत ली। मैंने कहा कि यह क्या किया है तो उसने कहा कि यह रिश्वत नहीं है क्योंकि अब तो रिश्वत का प्रश्न ही नहीं है। जब हमारे चौधरी चरणसिंह साहब बीस साल मिनिस्टर रहे, चालीस साल की जिनकी कांग्रेस सेवा थी, मेरी तो दस वर्ष की सेवा है, जब वे सत्तरह आदमी लेकर जनकांग्रेस में मिल सकते हैं और भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो ये दो सौ रुपए कोई रिश्वत नहीं है। अब भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार तो समाप्त हो गया, पुलिस में है नहीं, इस प्रदेश में ही नहीं है। किस तरह से भ्रष्टाचार के द्वारा विधायकों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। हमारे जिले के एक माननीय सदस्य पर ४२० का एक मुकदमा ए० डी० एम० (जे०) के यहां दायर है, उस पर हाई कोर्ट का जजमेंट हो चुका। मुकदमा चल सकता है यह श्रीमन्, जनकांग्रेस में आ गए वह चाहते थे कि उनकी मदद की जाय, अदालत पर असर डालने का प्रयास किया जाय। मेरे पास मुकदमे की कापी भी मौजूद है। उनके ऊपर हमारे जिले के अनेकों आदमियों की कुर्सियां और डिग्रियां मौजूद हैं, किसी की २५० रुपए की है, किसी की २०० रुपए की है। उनके ऊपर वारन्ट तक जारी हो चुके हैं। इन सबसे बचने के लिए जनकांग्रेस का ही रास्ता खुला है। दूसरी ओर श्रीमन्, मेरे खिलाफ सी० आई० डी० की जांच पहुंची। पहली सरकार की भी २७ अगस्त, १९५९ को मेरे यहां छापा मारा गया, स्पेशल आडिट हुआ, सुचेता सरकार ने भी २४ मई को मेरे यहां सी० आई० डी० भेजी, तो मैं तो इन सबका आदी हूं, लेकिन श्रीमन्, इस सबका परिणाम यह हुआ कि मैं यहां पर जीत कर आया। यह क्या सिद्ध करता है? मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया गया कि मैंने पुरातत्व विभाग की तमाम मिट्टी और पत्थर उठा लिए हैं। आप पुलिस का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य सीधा करने के लिए, जनता में भय और आतंक पैदा करने के लिए करना चाहते हैं, सुव्यवस्था कायम करने के लिए नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मान्यवर, पुलिस में जो खामियां हैं उनको ठीक करने की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। पहली अप्रैल से जब से यह सरकार बनी है उसका प्रभाव, यहां की कार्यवाही का प्रभाव, जन-जन पर पड़ा है। श्रीमन्, मेरे ऊपर यह भी चार्ज लगाया गया और उसकी जांच हुई कि मेरा एक लड़का रमेशचन्द्र गोस्वामी है जो भोपाल इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ता है। न मेरा कोई लड़का रमेशचन्द्र गोस्वामी है, और न वह भोपाल इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ता है। इस तरह के गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जाते हैं।

मैं इस पुलिस की कुछ कार्यों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। २३ अप्रैल को थाना तालबेहट में एक प्रधान जी रिपोर्ट लिखाने गए, उनके पास एक गुमनाम पत्र धमकी भरा हुआ आया था। उस थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वह जो जबानी कहना चाहते थे वह भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनसे कहा गया कि अब तो चौधरी चरणसिंह जी का जमाना है, आप तो कांग्रेसी हैं, आपको और कांग्रेस वालों को थाने के अन्दर नहीं घुसने दिया जायगा, उनको थाने से निकाला गया और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उनको गालियां देकर भगा दिया गया। वह मेरे पास आए। उनकी यह मेरे पास शिकायत है जिस पर कई आदमियों के दस्तखत हैं। इसके बाद ६ जून को दो आदमी थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उलटे चीफ साहब लट्ठ लेकर निकले और उनको मारना शुरू कर दिया। वे मेरे पास आए। उनके तमाम चोट लगी हुई थी। मैंने उनको तुरन्त अस्पताल भेजा और उनकी डाक्टरी करायी। एस० पी० को फोन किया। मैं पुलिस से डरता नहीं, उनका मुकाबला करने में बहुत मशहूर हूं। इसी जनसंघ के रघुनाथ सिंह को जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गायब कर दिया था तब मैंने उनकी मदद की थी और मैंने उनके लिए अनशन किया था। मैं पुलिस की धमकियों से दबने वाला नहीं हूं। मैंने जब एस० पी० को फोन किया तो मैं जानता नहीं उन्होंने चीफ साहब को सस्पेंड किया या क्या किया, वे वहां गए और कुछ कार्यवाही की। इस पुलिस से आप क्या काम लेना चाहते हैं यह आप समझ लें। आप पुलिस के द्वारा वे काम करना चाहते हैं जिससे यह सरकार यहां बनी रहे। मुबारकबाद है आपको। फरवरी में कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और ढिंढोरा पीटा कि यह बहुत अच्छी है और ५२,००० वोटों से जीत कर वह यहां आए। लेकिन मार्च में कांग्रेस खराब हो गई। पहली अप्रैल को दैनिक अखबारों में उनका बयान था कि हम और हमारे साथी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कांग्रेस में रहने के लिए और ४ बजे यहां छलांग मार दी। यह चरित्र है इस सरकार के मुख्य मन्त्री का। जिस सरकार के मुख्य मन्त्री की यह दशा हो उससे पुलिस क्या सबक ले सकती है?

हमारे जिले में पुलिस ने बहुत से डकैतों को मारा और जनता का भी सहयोग उन्हें मिला। लेकिन आज पुलिस का ध्यान उधर से खींचकर राजनैतिक आदमियों की ओर लाया जाता है उन्हें अपने दल में मिलाने के लिए। इससे किसी तरह भी इस सरकार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती है।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय सदन में मन्त्रि-परिषद् का कोई भी वरिष्ठ मन्त्री यहां विद्यमान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपमन्त्री इस विभाग के हैं और एक मन्त्री भी हैं।

(श्री गिरीशचन्द्र तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

आप नए सदस्यों को मौका नहीं देते हैं चाहे उन्हें कुछ जरूरी बातें भी कहनी हों।* क्या मैं आशा करूं कि आप नए सदस्यों को भी अवसर देंगे?

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिए पहले ही व्यवस्था हो चुकी है और माननीय गिरीशचन्द्र तिवारी भी नए सदस्य हैं। पुराने नहीं हैं।

*श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पुलिस विभाग करीब १५० वर्ष पहले अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कायम किया था। जिस दिन हमें स्वतन्त्रता मिली उसी दिन से हमने अपने देश के बड़े-बड़े नेताओं को कहते सुना कि अब पुलिस में बदलाव आवेगा, नयी परम्परायें डाली जावेंगी, जो पुलिस हमारे अभी तक भक्षक के रूप में थी वह अब रक्षक का काम करेगी और घर-घर में चोरियां बन्द होंगी लेकिन इस २० साल के कांग्रेसी शासन के बाद भी किसी तरह का जनता को आराम नहीं मिला है। परन्तु इस समय भी कोई किसी प्रकार की तब्दीली पुलिस में नहीं दिखाई पड़ी है। उनका वही व्यवहार है, वही पुलिस ट्रेनिंग कालेज की ट्रेनिंग है, जब ढाई महीने पहले यह नयी सरकार बनी थी जनता में बड़ी आशा का संचार हुआ था कि अब कोई तब्दीली आवेगी। मगर कुछ नहीं हुआ और आतंक ही फैला है। मैंने एक आदरणीय दरोगा जी को कहते सुना कि अब ऐसा लगता है कि थाने के हर दरवाजे और खिड़की पर माननीय चरणसिंह बैठे हैं। वे आतंकित हैं कि गलत काम करने पर उनके ऊपर कोई अंकुश लगाया जायगा, लेकिन उनके व्यवहार में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। उनके रिपोर्ट लिखने, जांच करने और मुकदमा चलाने के वही पुराने ढंग हैं। पहले दीवान जी २ रुपए में रिपोर्ट दर्ज कर लेते थे मगर अब १० रुपए लगते हैं। रिपोर्ट लिखने पर जांच होती है। उसकी भी वही पुरानी परम्परायें चल रही हैं। मैं ऐसे बहुत से मामले जानता हूं जहां थानेदार ने घर बैठे ही तहकीकात कर ली, मौके पर एक बार भी नहीं गए, घर पर बुलाकर सारे गवाहों के बयान ले लिए और मुकदमा चालू कर दिया। यदि पुलिस को सन्तोष हो गया तो चालान करके भेज दिया जाता है। जब मुकदमा अदालत में जाता है तो पब्लिक प्रासीक्यूटर की राय ली जाती है। उसकी राय आजकल नहीं मानी जाती है। थानेदार, डी० एस० पी० और एस० पी० अपनी मर्जी से मुकदमा चालू कर देते हैं और पब्लिक प्रासीक्यूटर की राय पर ध्यान नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, आजकल गांवों में दफा १०७ बहुत दिखाई देती है। जिस गांव में कुछ झमेला दिखाई दिया, दोनों पार्टियों से मिलकर १०७ चालू कर दिया। दोनों पार्टीज से पैसा लेकर १०७ का समझौता दाखिल कर देते हैं। बहुत आवश्यक है कि जिन गांवों में १०७ बढ़ रही है पुलिस वहां अपना रवैय्या बदले। जब कमलापति त्रिपाठी जी पुलिस के मन्त्री थे तो उन्होंने इस तरह की व्यवस्था चलायी थी कि हर हफ्ते में दरोगा जी किसी गजटेड अफसर के साथ गांवों में आव और आपस के झगड़ों को शान्ति के साथ सुलझवा दें। लेकिन इस व्यवस्था का ठीक ढंग से अनुकरण नहीं किया गया। अगर इसे ठीक से चलाया जाय तो गांवों के बहुत से झमेले शान्ति के साथ हल हो सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों के दौरे जाड़े के दिनों में होते हैं। व्यापक रूप से होते हैं। लेकिन वे मनोरंजन और विलास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे गांवों में जाकर जनता के हित की दृष्टि से दौरे नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि कप्तान साहब के दौरे में एक दरोगा का २०० रुपया रोज खर्च होता है, और डी० एस० पी० के दौरे में १०० रुपया रोजाना का खर्चा होता है। जब कप्तान साहब आते हैं तो दरोगा जी को गोश्त की फिक्र करना पड़ती है, शराब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीशचन्द्र तिवारी]

की बोतलें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और उनके लिए तरह-तरह के मिष्ठान इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक झगड़ा हमारे क्षेत्र में चल रहा है। कप्तान साहब के आने पर जो बावर्ची रखा गया था, १४० रुपए उसके ठहरे थे। और सबका तो भुगतान हो गया लेकिन उसका नहीं हुआ। वह शायद बाहर से अच्छा गोश्त बनाने के लिए बुलाया गया था। ये लोग दौरों में जन-सम्पर्क स्थापित नहीं करते हैं, गांव-गांव में नहीं जाते हैं। इस समय भी लोग डाक बंगलों में जाकर ठहरते हैं, शिकार पर जाते हैं। दरोगा जी इसकी खोज करते हैं कि कौन-सी झील में अधिक चिड़ियां आती हैं जहां शिकार हो। इन्हें सरकार जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करना सिखावें और ये अपने को जनता का सेवक समझें।

रिपोर्ट उसी थानेदार की राय से लिखी जाती है जो उसकी तफतीश करता है। वह रिपोर्ट में एक वाक्य यह भी लिख लेता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर पहचान सकता हूं। इससे पुलिस को भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। वह गांव में जाकर जगह-जगह से लोगों को पकड़ता है और कहता है कि तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो। इससे उनके भ्रष्टाचार का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसके अलावा एक और बात मुझे यह कहनी है कि इस विभाग में प्रासीक्यूटिंग विभाग की बहुत उपेक्षा की जाती है। उनकी तरक्कियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब कि दूसरे विभाग के हाई स्कूल पास आर० आई० और सी० आई० ५ साल के अन्दर डी० एस० पी० हो जाते हैं, एक ए० पी० पी०, एस० पी० पी० नहीं हो पाता है। ये लोग ला ग्रेजुएट हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी प्रगति का दरवाजा बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे भी दक्षता से काम कर सकें।

मुकदमों की पैरवी में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। गवाहों को बड़ी मात्रा में ले जाया जाता है और उनको जो खूराक आदि का पैसा मिलता है, कुछ नहीं दिया जाता, अथवा बहुत कम दिया जाता है। इसमें हर साल लाखों रुपया खर्च होता है। गवाह जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और शाम को कह दिया जाता है कि मुकदमे में तारीख बढ़ गयी। गवाह उतने ही जाने चाहिए जिन की जरूरत हो। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलाल (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, पुलिस के बजट के बारे में दो दिन से चर्चा चल रही है। उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। माननीय उपमन्त्री महोदय का प्रारम्भिक वक्तव्य भी बड़े गौर से सुना। माननीय उपमन्त्री जी एक बहुत ही प्रगतिशील दल से सम्बन्ध रखते हैं। मुझे बड़ी आशा थी कि उनके वक्तव्य में कुछ ऐसे सुझाव होंगे और कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिनके द्वारा पुलिस के कार्यकलापों में कुछ परिवर्तन संभव हो सकेगा। लकिन उनका भाषण सुनने के बाद मुझे निराशा हुई। उसमें कोई ऐसा संकेत नहीं था। आज पुलिस की स्थिति यह है कि वह गरीबों को सताती है और ताकत वालों का समर्थन करती है। आज यह संकेत मिलना चाहिए था कि जो गरीब हैं, जो विपन्न हैं उनकी रक्षा पुलिस करेगी। आज समाज के अन्दर गरीब को और सताया जाता है। चकबन्दी के अन्दर ही जिसके पास २,४,१० बीघा जमीन थी, वह पुलिस और गांव के कुछ बड़े लोगों की साजिश से उनसे छीन ली गयी और जो गरीब हैं उनको बिल्कुल ही विपन्न बनाया जा रहा है।

(इस समय २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुए।)

लेकिन अब उस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। अब गरीबों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब किसी तरीके से पुलिस के विभाग में परिवर्तन लाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा। मन्त्री जी को उसके रवैये में बदलाव करने के लिए कोई संकेत इस बजट में अथवा अपनी स्पीच में देना चाहिए था। लेकिन अगर संकेत यही मिला कि जो चल रहा है वही चलता रहे तो उससे कोई भी बड़ी बात पैदा नहीं हो सकती। सरकार की ओर से इस प्रकार की घोषणा होनी चाहिए कि जो गरीब हैं, संतप्त हैं, उसकी सुनवाई होगी, उसकी रक्षा होगी, उसको ठोकर नहीं लगायी जायगी। इन थानों और पुलिस के द्वारा उन की सुरक्षा का इन्तजाम होना चाहिए।

जहां तक माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात है उस सम्बन्ध में मुझे एक शतपथ ब्राह्मण की कथा याद आती है कि दो मनु और श्रद्धा पति-पत्नी थे और वे एक संयमित जीवन व्यतीत कर रहे थे और निर्वाण की साधना कर रहे थे, लेकिन आकुलि और किलात २ दस्युओं ने उनको अपने प्रभाव में और विचारों के अनुसार परिवर्तित किया और उनसे बलि कराई। मुझे निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब तक कांग्रेस के प्लेटफार्म पर थे तो वह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और स्वराज्य के बाद इस प्रदेश का उनके माध्यम से और यहां के अधिनियमों के द्वारा बहुत कल्याण हुआ, इस प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए वह ऐसे-ऐसे अधिनियम लाए और जमींदारी उन्मूलन कानून भी उनकी एक देन है। सन् ४६ में उस अठारहवीं सदी की व्यवस्था को समाप्त करके उन्होंने हमारे समाज को बीसवीं सदी की प्रगति के साथ लाकर खड़ा किया, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि जाने कौन-सी माया उनके सिर पर घूमी कि आज उनका साहस नहीं है कि कोई ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठा सकें जिससे किसानों का कल्याण हो सके। तो उस शतपथ ब्राह्मण की कथा है कि वह इन दो राक्षसों के ऐसे चंगुल में फंसे कि उन के सारे पुण्यों की बलि हो गई।

दो खास कदम उन्होंने इधर उठाए, पहला तो यह कि उन्होंने किसानों के ऊपर लेवी लगाई उन ८ करोड़ किसानों पर जिन को कि मैं आज भी ऋषि कहता हूं, वह किसान जो आतप, धूप में अपने खेतों में तपस्या करते हैं, जो २ बैलों की जोड़ी को लेकर १८ घंटे खेत में भूखे प्यासे काम करते हैं और जो बिजली, पंखे, पक्की सड़कों को छोड़कर खेतों में तपते हैं वह वास्तव में हमारे ऋषि हैं। त्रेता की बात है कि रावण ने ऋषियों पर कर लगाया था मैं कोई वैसा संकेत तो नहीं करता, लेकिन ऐसे उदाहरण बार-बार आते हैं कि यह लेवी का कर उन करों से भी भयानक कर है जो ऋषियों पर लगाया गया था। आज शहर के लोगों को खिलाने के लिए उनके ऊपर लेवी लगाई जाती है, शहर के लोगों के भूमि भवन कर और तरह-तरह के लैंड टैक्स माफ किए जाते हैं, लेकिन १८ घंटे धूप में हल चलाने वाले किसान और अपना खून पसीना एक करने वाले किसानों पर जबरदस्ती गल्ले की वसूली लादी जाती है लेकिन उन को सुविधा देने की और सिंचाई की व्यवस्था की प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि आज मुख्य मन्त्री जी ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि वह अपने को सम्भाल नहीं पा रहे हैं।

मुझे अपने फैजाबाद जिले के बारे में भी कुछ निवेदन करना है। माननीय राजबली यादव पर घातक हमला किया गया और उपमन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसके अलावा मुझे उस घटना की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना है जिस में २ किसान बराबर डाकुओं से लड़ते-लड़ते मारे गए, वह निहत्थे थे और ईंट और खपरों से उन की लड़ाई चली। उन का साहस सराहनीय है कि उन्होंने जमकर इस तरह से डाकुओं का मुकाबला किया और कोई हथियार पास न होने के कारण वह वहीं पर लड़ते-लड़ते धराशयी हो गए। गांव धारूपुर से केवल एक मील के फासले पर पुलिस मौजूद है, लेकिन एक भी आदमी नहीं पकड़ा जा सका, केवल एक बार वहां गई, लेकिन कोई गहराई से मामले की जांच नहीं हुई। इस के अलावा राहजनी की घटना होती है और आदमी हत्या कर के भाग जाते हैं और सामान लूट लेते हैं। इस के अलावा ३० हजार की एक चोरी एक किराने के रोजगारी की, की गई। वह तमाम सामान बेचकर दूसरा सामान लेने के लिए जाता था उस का सारा सामान और धन छीन लिया गया। थाने के केवल एक फर्लांग की दूरी पर यह हुआ, लेकिन उस की भी कोई जांच-पड़ताल

[श्री रामलाल]

नहीं हुई। इसका कारण यह है कि मुख्य मन्त्री जी की यह पुलिस संत्रस्तों के लिए नहीं है। श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि जब कांग्रेस सरकार आयी थी तो उसने पुलिस प्रशासन में कुछ सुधार लाने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज वह बात ही चली गयी। इस सरकार का दृष्टिकोण ही कुछ और है। वे प्रशासन के अंकुश को कड़ा रखने के साथ-साथ मानवीय (ह्यूमेनिटेरियन) दृष्टिकोण को भी ऊपर रखते थे। वे लोगों के अन्दर सद्भावनाओं का ध्यान रखकर सुधार लाना चाहते थे। मैं यह मानता हूं कि सृजन निर्माण और टैरर से नहीं होता। तो अगर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई सुधार भी करना चाहें तो वह टैरर पैदा करके नहीं कर सकते हैं। टैरर के द्वारा किसी प्रशासन का उदय होने वाला नहीं है।

अन्तिम बात जो मुझे पुलिस विभाग के सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि आज जो रिपोर्ट लिखाने का ढंग है, यद्यपि उसकी प्रति मिल जाती है, वह अत्यन्त असन्तोषजनक है क्योंकि उसमें कम से कम बातों को लिखने की चेष्टा पुलिस वालों की ओर से की जाती है। रिपोर्ट लिखाने वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनको वास्तविक रिपोर्ट नहीं दिखायी जाती हैं। यह सब इसलिए किया जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी जांच आदि की न उठानी पड़े। इस सम्बन्ध म जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसका केवल समर्थन ही नहीं करता हूं बल्कि माननीय मन्त्री जी से यह भी प्राथना करता हूं कि वे इस ओर सारे बजट को फिर से दुहरावें और एक नया बजट बनायें, जिनमें इन सब चीजों का समावेश किया जाय।

कल माननीय उपमन्त्री जी ने अपना भाषण पुलिस अनुदान के सम्बन्ध में दिया था उससे ऐसा आभास हुआ कि जैसे वे पुलिस कल्याण की बात कर रहे हों। इस समय केवल पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों का ही प्रश्न सरकार के सामने नहीं होना चाहिए बल्कि समाज की और जनता की जो आज समस्याएं हैं, उनकी सेवा करने की बात है, उसकी ओर इस सरकार का ध्यान होना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक कविता है जो इस प्रकार है:

"अब गांव ने ली अंगड़ाई,
उसकी छाती पर बैठे सुख के दीवानों दूर-दूर हो,
थाने और कचहरी नैतिकता के शत्रु,
अनाचारों के प्रहरी गरम ढीठ बाजार घूंस के
मेरी कमजोरी के बल पर,
जीने खाने और कमाने वालों दूर-दूर हो।
मोटी यह तनख्वाहें उस पर,
सुविधाओं के नए जखीरे, मुफ्त चिकित्सा शिक्षा पेंशन,
पेंशन अर्थी उठने तक,
बोली राम नाम की सत्य है सुनने तक,
निश्चित व्यवस्था के ओ पुतलों,
ओ फरेब का जाल बिछाने वालों दूर-दूर हो।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुलिस वालों को सुविधाएं हैं, वे कुछ कम नहीं हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, पेंशन, सर्विस की सिक्योरिटी, ये सब तीनों पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मिल रही हैं। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है और अस्वस्थ होने पर चिकित्सा की पूरी-पूरी व्यवस्था है, वृद्ध होने पर वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है और फिर भी काम नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको उसके अन्दर विवेक जगाना होगा कि वह ईमानदारी से काम करे। लेकिन यह तब होगा जब पहले मंत्री अपने अन्दर वे गुण पैदा कर, तभी पुलिस भी ठीक होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समथन करता हूं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला झांसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। कल उपमंत्री महोदय ने जो कुछ विचार रखे उनमें, जो माननीय सदस्यों के दोनों पक्षों के विचार आ रहे हैं, वह समाहित हैं। उन्होंने यह बात मानी कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, उसमें कमियां हैं और केवल पिछले २० वर्ष का ही शासन नहीं अपितु अंग्रेजों के समय से, पिछले डेढ़ सौ वर्ष से जो हमारे भारत के समाज को निरस्त करने की व्यवस्था की गयी है और दबाया गया है उसका भी एक प्रभाव है। मान्यवर, मैं केवल दो सुझाव रखना चाहता और चाहता हूं कि मंत्रि मंडल उस पर भली प्रकार विचार करे क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर हमको पुलिस की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। यदि ऐसा हमने न किया तो भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा, हम नियंत्रण कितना भी करते जायं, कानून कुछ भी बनाते जायं परन्तु हम नियंत्रित कर नहीं सकेंगे।

आज एक भावना फैली हुयी है कि अस्त्र-शस्त्र पर नियंत्रण लगाया जाय। शहरों में चाकू चल रहा है तो चाकुओं पर भी प्रतिबन्ध हो। परन्तु क्या किसी देश में अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण है? उन अस्त्र शस्त्र को छोड़कर जो शिकारी के उपयोग में आते हैं? अभी सन् १९४७ के पहले इसी देश में जो ५०० रियासतें थीं क्या उनमें बन्दूकों पर लाइसेंस थे। हमें जो पुलिस की प्रवृत्ति है समाज की रक्षा की उसे समाज के मन में खुद जगाना पड़ेगा। अगर हम यह नहीं कर पाते तो आज जितनी पुलिस हम रख रहे हैं, आज जितना अनुदान लिया जा रहा है, कितना भी खर्च हम करते जायं, क्राइम बढ़ते ही जायेंगे। उसके लिये हमें समाज के मन में खुद अत्याचार को रोकने का प्रयत्न खड़ा करना पड़ेगा और पिछले डेढ़ सौ साल से इस समाज को अशक्त बनाने के लिये अंग्रेजों ने निरस्त किया था और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा है कि जहां हमारे सुनने में यह बात आती है कि लाइसेंस फ्री होना चाहिये हम समझते कि देश में बड़ा बवंडर खड़ा हो जायगा। परन्तु ऐसी बात नहीं है।

मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। १८४० के बाद एक क्षेत्र जिसमें मानसिंह गैंग ने आपरेट किया है उसमें कितने डाकू रहे और जब से हम स्वतंत्र हुये तब से डाकू समस्या कितनी बढ़ गयी। १८४० से लेकर १४ अगस्त, १९४७ तक ३११ दस्यु उस क्षेत्र में रहे और १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १९६० तक ३८४ तथा १९६० से लेकर अभी तक ५१०। लगभग १०० वर्ष की गुलामी में जितने डाकू वहां नहीं थे उस से अधिक आज वहां हो गये हैं। माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि जो क्षेत्र डाकूग्रस्त वहां रियासतें थीं और वहां बन्दूकों पर कोई लाइसेंस नहीं था और समाज का हर व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं कर सकता था, लेकिन उस दृष्टि से हमने कभी विचार नहीं किया। यदि किसी से भी इस संबंध में बातचीत की जाती है तो वह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लोग आपस में लड़ कर मर जायेंगे। लेकिन मान्यवर, ऐसा होगा नहीं। कत्ल तो चाकू, घूंसे, लकड़ी से भी होते हैं, तो उन पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। पुलिस विभाग की जो विज्ञप्ति निकली है उसके कुछ आंकड़े मैं रखना चाहता हूं। पुलिस ने ६६ में जो डाकुओं से ११५ एंकाउन्टर किये उसमें २७ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों अपने कर्तव्य पालन करने में प्राण उत्सर्ग किये और पुलिस ने ९१ डकैत मारे। स्वतंत्र रूप से नागरिकों ने डकैतों से जो एंकाउन्टर किये, जिन पर सरकार का कोई धन व्यय नहीं हुआ उनमें ३३० मुठभेड़ें सुसज्जित एवं संगठित डकैत गिरोहों से हुईं जिनमें ३४ डकैत मारे गये और कुल १३० घायल हुये। इन मुठभेड़ों में १०८ ग्रामीण हताहत हुये तथा ५८९ घायल हुये। इस प्रकार नागरिकों ने संघर्ष अधिक किये हैं। वास्तविकता यह है कि हमको मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करना होगा। यह सोचना ही गलत है कि पुलिस की संख्या बढ़ाने से समाज की रक्षा हो सकेगी। जो रक्षा अपनी स्वयं नहीं कर सकता उसकी सरकार के माध्यम से रक्षा नहीं की जा सकती।

मैं डाकू क्षेत्र का निवासी हूं। वहां पुलिस आपरेशन में लगी हुयी है। वह कोई रक्षा नहीं कर पाती है। मेडल प्राप्त करने के लिये पुलिस डाकुओं से मिली रहती है और उन्हीं के द्वारा दूसरे गिरोह के लोगों को मरवा कर एंकाउन्टर बतला देती है। मुझे निजी जानकारी है

[श्री रघुनाथसिंह]

कि एक कम्पनी कमान्डर एक सेक्शन पी० ए० सी० ले कर रात में एक पिकअप में जा रहे थे। वह जंगल का क्षेत्र था। जो ठेले जंगलों में चलते हैं कोयला और लकड़ी ढोने के लिये उन ठेलों में देवी सिंह और उसके गैंग के डाकू ५० मील तक चले जाते थे। कम्पनी कमान्डर को हाथ देकर उस गैंग ने रोका और उसकी हिम्मत नहीं हुयी कि वह उनको पकड़ ले और उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर ली और मदनपुर चले गये और उन कम्पनी कमान्डर को जब एक नागरिक की लड़की ने, जिसका उस डाकू से संबंध था, उसको पकड़ कर अपने पिता के सहयोग से उस डाकू को मार डाला, उस डाकू की लाश उस कम्पनी कमान्डर को दे दी गई तो उन्होंने डाकुओं के साथ अपना एंकाउन्टर दिखा दिया और जिसमें उनको राष्ट्रपति का पदक प्राप्त हुआ। इस तरह की चीज वहां पर चल रही है। इसी डाकू क्षेत्र में एक दौलता गैंग ने खंगार बना रखा था। छतरपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा मिली हुयी है। वहां पर पुलिस ने एक एंकाउन्टर किया जिसमें ९० से ज्यादा पुलिस वाले थे और वे डाकुओं को घेरे हुये थे। डाकू लोग मकबरा के एक सेठ को पकड़े हुये थे। उस समय गैंग में केवल ८ आदमी थे। दोनों में गोलियां चलीं। पुलिस वाले ऐसी गोली चलाते हैं कि बगल से निकल जाय और पता न चले। ऊपर बन्दूक करके नीचे लेटकर फायरिंग होती है। चारों तरफ गोलियां चलने के बाद जब डाकुओं ने समझ लिया कि अब वे बच नहीं सकते हैं तो एक दम खड़े हो कर भागे और दो पुलिस वालों को मारते हुये निकल गये। यह पुलिस का किस्सा है। हमारे क्षेत्र में बड़ी अराजकता फैली हुई है। एक राज्य तो इस सरकार का है जिसको हम रेवन्यू देते हैं। दूसरा राज्य डाकुओं का है। (लाल बत्ती होने पर।) मुझे ५ मिनट का समय चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दो मिनट बोल लें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री रघुनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं पहली बार बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

समय बहुत कम है इसलिये मजबूरी है।

श्री रघुनाथ सिंह---

आलोचना के रूप में मैं नहीं कहता हूं। कुछ व्यवस्था तो समाज को कमजोर बनाने की अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, कुछ इसलिये है कि इन २० वर्षों में शासन ने ध्यान नहीं दिया और कुछ परिपाटी के कारण ऐसी चीज खड़ी हो गई है। प्रान्त में बन्दूकों के लाइसेंस समाप्त करने की घोषणा सरकार को करना चाहिये।

दूसरी बात माननीय उप गृह मंत्री ने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे जिससे भ्रष्टाचार दूर हो। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जांच पड़ताल विभागों से अलग हो कर विजिलेंस कमीशन द्वारा हो क्योंकि आज हर विभाग का अधिकारी अपने विभाग के लोगों का संरक्षण करता है और उनकी एक जाति बन गई है। इस तरह से वे अपने विभाग के आदमियों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। प्रदेश की तरह जिले में विजिलेंस कमीशन की शाखा खुलनी चाहिए। उप गृह मंत्री ने पुलिस को सुविधा देने के लिये कहा है। जरूर देनी चाहिये मंहगाई के हिसाब से। लेकिन विजिलेंस कमीशन वालों को वह सुविधा प्राप्त नहीं है। इस कमीशन को व्यापक बनाया जाय। तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। इन दो सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

में पुलिस ग्रांट पर इसलिये बोलना चाहता हूं कि इन ढाई महीने से संयुक्त विधायक दल की सरकार यानी खिचड़ी सरकार आयी है तब से पुलिस पर से नियंत्रण हट गया है। जैसे बिना नकेल के ऊंट हो जाता है उसी तरह की इनकी पुलिस की हालत है। माननीय सैनिन नहीं हैं वह होते तो अच्छा था क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि वह खुश होंगे अगर पुलिस की अच्छाई और बुराई दोनों कही जाय। मैं आपकी आज्ञा से दोनों बातें कहूंगा। पुलिस के कर्मचारी कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वह हमारे ही भाई भतीजे होते हैं। लेकिन वह भ्रष्ट इसलिये हो जाते हैं जब उनके ऊपर अंकुश हट जाता है और यह सरकार अंकुश विहीन हो गयी है यह सरकार स्वयं भ्रष्ट है एक से एक इसमें भ्रष्ट है। कल मालूम हुआ कि जनसंघ के लोग किस तरह से कोआपरेटिव बैंक और फेडरेशन में नामिनेट किये गये। मेरे यहां शाहजहांपुर में भी कोआपरेटिव बैंक और फेडरेशन में जनसंघ के लोगों को नामिनेट किया गया है।

इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का है। जब फूड ग्रांट पर मैं बोला था तो मैंने बतलाया था कि उनकी एक सरकार यहां है और दूसरी पैरेलेल सरकार जिलों में चलती है। वह हर लाइसेंस कोटा वालों से चन्दा मांगते हैं और अगर वह नहीं देते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। मैं शाहजहांपुर की बात बता रहा हूं वहां लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं। इसी तरीके से जब १९५७ में केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी नम्बूदरीपाद की तो कम्युनिस्ट भाई पहले बैठ जाते थे थाने में। रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थी और अगर लिखी जाती थी तो ऐसी जिसमें कार्यवाही हो नहीं सकती थी। वह कम्युनिस्ट सरकार, सारी जनता ने विद्रोह करके केरल से हटा दिया। जो केरल में हुआ वह उत्तर प्रदेश में हम कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। शर्म की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री के घर पर महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और इस तरह से हुआ कि गर्भपात हो गया, हड्डियां टूट गयी हैं। इस से बुरी घटना क्या हो सकती है। यह इस सरकार का चित्र है। माननीय हरीश कुमार गंगवार ने अपना प्रस्ताव वापस कर लिया पांच सौ रुपये जुर्माने का विशेष धिक्कार का, हिम्मत नहीं पड़ी! वापस लेना पड़ा। माफ कीजियेगा, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से एस०वी०डी० ने आपका चुनाव नहीं होने दिया वह भी बड़ा अशोभनीय है। क्या अच्छा होता कि आप चुनकर आये होते, जो जनतंत्र की परम्परा है यह उसके अनुकूल होता। जिस तरह से जयेन्द्र सिंह को भड़काया गया, जयेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव के रूप में वापस लिया। जब इतिहास लिखा जायगा तो जयेन्द्र सिंह के नाम पर जो कलंक लगाया गया है वह कभी धुल नहीं सकता। वह रूलिंग चीफ हैं। कांग्रेस ही ऐसी देवी थी जिसने रूलिंग चीफों से मान्यता का छुटकारा दिलवा दिया, उनकी स्टेट्स खत्म कर दीं। मैं समझता हूं कि उनकी प्रीवीपर्स भी खत्म होने वाले हैं। वह जरूर खत्म होनी चाहिये। इनको कुछ पता नहीं रहता है सिवा इसके कि मोटर पर बैठें। ऐसी गिरी हुयी बात रूलिंग चीफ पर नहीं सकते हैं यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

मैं पुलिस के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो दरोगा की तारीफ में कहूंगा। माननीय पुलिस उपमंत्री तो हैं नहीं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, वह चाहें तो नोट कर लें। एक हमारे यहां हाकिम राय दरोगा हैं। पहले परौर थाने में थे अब कांठ थाने में हैं। वह एक पैसा रिश्वत नहीं लेता है। परौर थाने वाले कहते हैं कि हमारे यहां उसको भेज दो। पिछले महीने में डाकुओं से एकाउन्टर हुआ। दूसरे थाने में पहुंच कर उसने वहां डाकुओं का मुकाबला किया। डाकुओं ने फायर किया। उसके पेट में गोली लगी। इस तरह के दरोगा थाने में हो जायं तो बहुत सी समस्यायें हल हो जायं। इसके विपरीत में बतलाता हूं जैतीपुर थाने में कृष्णपाल सिंह दरोगा है। निहायत बेईमान और बदमाश आदमी है। बहुत दिनों से हैं। (व्यवधान) ढाई महीने और बीस साल की बात नहीं है। आप वही कहना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था और मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १८ फरवरी को बडियाकलां ग्राम में एक बड़ा बलवा हुआ जिसमें लाठी, कांतें और बल्लम खुलकर चले और बन्दूक चली उसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गई। यदि यह झूठ हो तो इसके जो भी कान्सीक्वेन्स हों वे मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन इस संगीन मामले में दरोगा ने २ हजार

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

रुपये की रिश्वत लेकर अपनी फायनल रिपोर्ट लगा दी। इसी तरह से मेरे घर के सामने से घड़ी चोरी चली गयी, जिसका चालान तो मेरे और एस० पी० के कहने से दरोगा ने कर दिया किन्तु अब उसने अपराधी से एक हजार रुपया रिश्वत ले लिया है और उस मुकदमें को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है।

(व्यवधान)

हमारे गांव से एक बार एक बैल, एक मर्तबा ३ बैल चोरी चले गये, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नवादा के रामभरोसे के घर में अगरौली के रघुबर अहीर बन्दूक लेकर आये और उसका सारा अनाज भर लाये। इस मामले की रिपोर्ट लिखाने खुद मेरे भाई गये, किन्तु मुझे अफशोस है कि उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी। एक मामला नहीं अनेक मामले ऐसे हैं जब थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब कोई डाक्टर मरीज के पास जाये तो यदि डाक्टर मरीज को यदि दवा भी न दे तो उसे सान्त्वना के दो शब्द तो कह दे। किन्तु यहां यह भी नहीं होता है जब पीड़ित व्यक्ति थाने में लिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट न लिखकर उल्टे उसको हतात्साहित किया जाता है और उससे मां, बहिन का रिश्ता उससे जोड़ लिया जाता है। मैं नही समझता हू जनतंत्र में यह कहां तक ठीक है, ऐसे दरोगा का आचरण इस जमाने में कहां तक ठीक है। वे इस तरीके से नाजायज फायदा उठाते हैं। इस तरह से एक किस्सा सन् ५७ का मेरे यहां का है। एक दीनदयाल गुप्ता थानेदार थे मैंने उनके बारे में बहुत सी शिकायतें उच्च अफसरों से समय समय पर कीं किन्तु उस पर किसी भी अधिकारी ने विश्वास नहीं किया और उसकी तारीफ ही करते रहे, किन्तु जब वह उसी थाने से एक मुकदमें में फंसे और उनको ५ साल की सजा हुई तो अधिकारियों की आंखें खुलीं कि मैं बात कितनी ठीक कह रहा था। ऐसे ही हमारे यहां के कृष्णपाल सिंह राठौर दरोगा हैं उनका भी कार्य ठीक नहीं है रिश्वतखोरी और तरह तरह के उनके खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन ऊपर के अफसर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने क्षेत्र की हालत बहुत खराब कर रखी है। उन्होंने मुरादाबाद में एक कोठी बनवा ली है जो कम से कम ७५–८० हजार की लागत की कोठी है। आप विजिलेंस कमीशन को उसका मामला दें और आप देखें कि इतना पैसा उनके पास कहां से आया। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसने अवश्य गलत ढंग से धन कमाया है।

एक बात और कह दूं। देहाती थाने में और हर थाने में पुलिस के कुछ दलाल होते हैं जो दरोगा जी का बैग उठा कर कचहरी वगैरह में साथ साथ जाया करते हैं। ये लोग दरोगाजी के घोड़े के दाने का इन्तजाम और उनकी भैंस के चारे का इतंजाम किया करते हैं। दरोगा जी को भैंस की जरूरत होगी तो ये दलाल ५ सौ की भैंस ३ सौ में जोर डालकर दिलवा देंगे और दरोगा को खुश रखेंगे। मैं दो दलालों के नाम मंत्री जी के सामने लेना चाहता हूं। उनमें से एक तो हैं सुरेन्द्र पाल सिंह—

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ठीक नहीं होगा कि इस तरह से लोगों का सदन में नाम लिया जाये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

तो ठीक है मैं उनके कमरे में जाकर नोट करा दूंगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपका और आपके भाई का रिपोर्ट लिखाने जाने में क्या इन्ट्रेस्ट था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

नहीं, आप खामोश रहें मुझे नहीं मालूम कि यदि किसी गरीब आदमी की सुनवाई थाने में नहीं होती है तो उसके साथ यदि कोई चला जाता है, तो यह आपको क्यों बुरा लगता है ? बड़ी पुरानी मसल है काने को काना कह दिया जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यह संयुक्त विधायक दल की सरकार है, यदि यह एक पार्टी की सरकार होती तो इसका कोई सिद्धांत होता और जनता के सामने सरकार की कोई इमेज होती, लेकिन यह तो सब दिखावा और भ्रम है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे ढुलमुल सिद्धान्त कब तक चलेंगे ? मुझे याद है जब एक बार कांग्रेस सरकार में चौधरी चरण सिंह जी पुलिस मंत्री थे तो पुलिस में बड़ा सुधार आ गया था। वही चौधरी साहब अब बेकार हो गये हैं क्योंकि उनकी चलती चलाती नहीं है। एक हिस्सा अलग हो जाय तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी। वे जनसंघ वालों से दबे हुये हैं और उसका कारण है कि अगर वे अलग हो जायं तो वे मुख्य मंत्री कैसे रह जायेंगे। जनसंघ तो फिर लड़ लड़ाकर आ जायेगा लेकिन जन कांग्रेस वालों का क्या होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये ९, ९ पार्टियां अगर मिडटर्म एलेक्शन हो जायें तो क्या करेंगे ? क्या नवों के कैंडिडेट्स खड़े होंगे ? जब संयुक्त विधायक दल की एक सरकार बनाई है और जब विधान परिषद् में कांग्रेस के मुकाबले में संयुक्त विधायक दल का एक कैन्डीडेट खड़ा कर लिया है क्या वैसे ही मिडटर्म्स में जब कभी एलेक्शन होगा अपने कैन्डीडेट्स खड़ा कर पायेंगे। और मैं तो कहता हूं कि जनतंत्र को जिन्दा रखना है तो एक कैन्डीडेट लाकर खड़ा करना कांग्रेस के मुकाबले में क्या उस वक्त नौ, नौ आदमी लड़ेंगे। लेकिन यह सब नहीं होगा क्योंकि आप में इसकी हिम्मत नहीं रह गयी। मैं कहता हूं कि जब जिम्मेदारी ली है तो हिम्मत होनी चाहिये बातों को स्वीकार करने की। लेकिन यहां तो हिम्मत नहीं है। सब चीजों को छिपाया गया कालागढ़ में लाठी चार्ज चलाई, फाइरिंग की गयी, महिलाओं पर लाठी चलाई गई, बनारस में फायरिंग की गयी। समय नहीं है इसलिये एक शेर सिर्फ कहना चाहता हू, मैं उर्दू का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं एक शेर अर्ज कर दूं।

उन्हें बहरे हवादिस में कभी साहिल नहीं मिलता,
सफीने जिनके तूफानों से टकराया नहीं करते।

तूफानों से क्या ये तो अब हवाओं से डरते हैं, यह क्या प्रदेश का प्रशासन चलायेंगे।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा––(जिला सीतापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत पुलिस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल्कुल सत्य है कि २० साल के भ्रष्ट कांग्रेसी कुशासन के कारण यह वर्तमान पुलिस के कारनामे बने और मैं जानता हूं कि जनता और पुलिस के बीच में जो खाई खड़ी हो गई है वह इतनी जल्दी खत्म होना असंभव है। यह जरूर है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इस जनप्रिय सरकार से उनको थोड़ी-सी घबराहट है। मेरे उधर के भाई जरा सोचें। कल कृष्णानन्द राय जी ने जब कुछ घटनाओं का जिक्र किया जो अभी हाल में हुये हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि यह सरकार उनमें से प्रत्येक की जांच करा रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वे इस सदन के सदस्य भी नहीं थे १५ अक्तूबर, सन् १९५५ की बात है। अगर उनके दिल है तो मजाक न उड़ायें जरा शांति से और जरा कलेजे पर हाथ रखकर सुनें और जब वे कांग्रेस जमाने की पुलिस के अत्याचारों को सुनेंगे तो अगर उनका दिल पत्थर का नहीं है तो उनका दिल पिघल जायगा। भरी सभा के अन्दर मेरे लड़के सियाराम वर्मा को जिसकी उम्र २२ साल की थी पुलिस के सामने दिन दहाड़े मारा गया। उसी सभा के अन्दर श्री अवध शरण उर्फ लल्ला भी मार डाले गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्ति रखें ।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा—

उनके भाई माननीय राम आसरे जो सदन में बैठे हुये हैं उस समय उस क्षेत्र के एम०एल०ए० थे । लल्ला जी बहुत सीधे थे । पूरी तरह से देखा जाय और कांग्रेस के लोगों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया वह जानते होंगे कि वे कैसे थे । वह पूरे सन्त थे । उन्होंने अपने जीवन काल में किसी का बुरा सोचा भी नहीं । "अरि हुं का अनभल कीनन रामा" वाली बात लल्ला जी में थी । अगर आप मानव हैं तो इस बात को देख लें कि पुलिस किस प्रकार की कांग्रेस शासन में रही है । इस कांग्रेस कुशासन में उन दोनों आदमियों को लल्ला और सियाराम को उन आततायियों ने दिन दहाड़े मार डाला था । जमींदार, पुलिस और कुछ बदमाशों ने मिलकर उस मीटिंग में जहां पर जनता की सभा हो रही थी हजारों आदमियों के बीच में हमला किया और हमला ही नहीं हुआ बल्कि लल्ला जी को जिन्दा जला दिया गया । इतना ही नहीं हुआ जिनकी पैरवी में हमारे कांग्रेसी मंत्रियों ने आकर पूरा हिस्सा लिया और उन अत्याचार करने वाले अपराधियों को छुड़वाने की कोशिश की । यह सब लोग जानते हैं कि माननीय सदस्यों ने उनकी मदद ही नहीं की बल्कि हर तरह से सहायता पहुंचाई । आजतक वह कांग्रेसी सरकार सत्याग्रह करने वालों को उच्च श्रेणी नहीं दिला सकी । जपर उन अपराधियों को जिन्होंने दिन दहाड़े घटना की उनको बी० क्लास दी गई । मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं हुआ बल्कि आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह पुलिस कैसी है कि जिसकी रपटों पर अपराधी वैसे ही जेल से जैसे कोई नौकरी पर हो और अफसर से छुट्टी लेकर अपने घर आते जाते हैं । जो हमारे भाई उधर के बैठने वाले हैं आज तीन दिन के अन्दर इस तरह की बातें कर रहे हैं । क्या कांग्रेस कुशासन में जो हुआ है और कभी हुआ है इसको जरा याद करने की जरूरत है ? कांग्रेस के एम० एल० ए० भगवती प्रसाद जी भी जिले के अन्दर पुलिस की देख रेख में उनके हाथों कत्ल कर दिये गये । एक गुट बना हुआ है उसने उनका भी कत्ल करा दिया । वह चूंकि कांग्रेसी थे लिहाजा छिपकर तरह तरह से मुलजिमों की मदद की गई । पर हमारे यहां तो मंत्रियों ने खुलकर मदद की । कांग्रेसी पुलिस शासन कोढ का रोग है जो जल्दी से हटने वाला नहीं है । यह कोई मामूली रोग नहीं है कि दवाई पीने से जल्दी छुटकारा मिल जाय। मैं कहने सुनने वाली बात यहां पर निवेदन नहीं करता जैसा कि हमारे भाई उधर से किया करते हैं जिस वक्त सन् १९३४ में मेरा घर खोदा गया वह जमींदारों का जमाना था । उस समय यहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी । अंग्रेजी सरकार के बाद इन गांधी जी के कांग्रेस वालों की सरकार आई । ये उन गांधी जी की भी रक्षा नहीं कर सकें । इनको बोलते हुये शर्म नहीं मालूम होती है । आज इस तरह की बात करते हैं । उस कांग्रेसी राज्य में बहुत से जमींदारों ने कांग्रेस के ज्वाइन किया । अब वही कांग्रेसी हो गये हैं । अब भी उन की क्या हालत है ? आपको बताऊं कि मुझे किसानों की मदद करने की वजह से उन्हीं के द्वारा मैं बुरी तरह पीटा गया । रिवाल्वर छीना गया । इतना ही नहीं मैं यह भी बताऊं कि अगर वह अपनी बात करते हैं तो जरा अपने कलेजे पर हाथ कर देखें । इस समय यहां पर गुप्ता जी मौजूद नहीं हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर सब से प्रथम रक्षा दल कैम्प मेरे यहां था । मैंने उन में क्या काम किया वह गुप्ता जी जानते हैं । सम्पूर्णानन्द जी मेरे यहां गये वह जानते हैं कि मैं सूबा कौंसिल का व डिस्ट्रिक्ट मेम्बर था, लेकिन मैं अंग्रेजी राज्य में मैं डाकू नहीं बना । मगर इस बुढ़ापे में भी कांग्रेसियों का विरोध और किसानों का हित करने की वजह से मेरे खिलाफ गिरानी खोल दी गई ।

मैं १९५७ में विधान सभा में आया था । तो यह हैं सत्य की विजय कांग्रेस सरकार के कारनामे, अगर आप के कलेजा है, तो कलेजे पर हाथ रख कर देखें । अगर वाकई कलेजा है, तो आप को भी चौधरी साहब की तरह से इधर ही आ जाना चाहिये । इस के बाद कांग्रेसी कुशासन में मेरी निगरानी खुली और उन्हीं आततायी जमींदारों की वजह से जाने कितने केस

मुझ पर चलाये गये। लेकिन आज वहां किसानों की विजय हो रही है और उन हत्यारों के घर हाय हाय हो रही है। लेकिन इस के बावजूद आज भी उनके कारनामे वही हैं क्योंकि जब बुरी आदत पड़ जाती है तो वह आसानी से छूटती नहीं।

साथियों, १९३६ में विधान सभा के सामने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप शान्तिपूर्वक विवाद चलने दें।

एक सदस्य--

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो "साथियों" शब्द का उच्चारण किया है, क्या वह उचित है? क्या यह शब्द संसदीय है?

श्री उपाध्यक्ष--

साथियों कहना अनुचित नहीं है और यह पूर्णतया संसदीय है। केवल इतना है कि सदन में जब वह भाषण दे रहे हैं तो वह मुझे सम्बोधित करते हुए देना चाहिये। "साथियों" शब्द अत्यन्त संसदीय है।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा--

अभी १० मई को इसी विधान सभा के सामने उन्हीं लल्ला जी के भाई राम आसरे वर्मा विधायक और राम सेवक यादव और राजनारायण जी, लोक सभा के सदस्यों आदि को पीटा गया और उसकी जाच तक नहीं की गयी। जिस मुहम्मदाबाद क्षेत्र से मैं चुन कर आया वहां की हालत यह है कि वहा उन पुलिस वालों ने कुत्ते पाल रखे हैं और सीधे-सीधे किसानों से रिश्वत लेने की आड़ में कुत्ते छोड़े जाते हैं। मैं अपने मन्त्रियों से कहना चाहता हूं कि उनके कारनामे बदलना असम्भव है, लेकिन मनुष्य ही है जो असम्भव को सम्भव कर के दिखाता है कड़ाई के साथ अपने शासन को चलाने के लिए आप पुलिस पर कड़ी निगाह रखें। सन् ३४ में जब मेरा घर खोदा गया था उस समय मैं एक कप्तान के पास गया। बाद में वह दिल्ली में पुलिस कप्तान हुआ। नाम था छन्नू लाल। उसने मुझसे कहा कि देखो, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। मैंने निवेदन किया कि ठीक है, लेकिन हम ने तो राणा प्रताप और शिवाजी का इतिहास पढ़ रखा है। मैं मुसीबत में घबड़ाने वाला नहीं। मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन मैं ने अपना काम जारी रखा। श्रीमन् उच्च अधिकारियों के दिमाग बहुत गन्दे हैं। पुलिस मन्त्री जी नहीं, लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वे पुलिस पर कड़ी निगाह रखें।

अब मैं इस पुलिस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जो ग्रामीण पुलिस अधिकार, है वे ग्राम सभा और पंचायत के मातहत किये जाने चाहिये। जिला अधिकारी जिला परिषद् के मातहत किये जाये। तीसरी बात यह है कि डी० आई० जी० का पद समाप्त किया जाय। पुलिस में अच्छे भी सिपाही, खराब भी। हर सिपाही को, छोटे से छोटे कर्मचारी को सौ रुपये से कम वेतन नहीं होना चाहिये और उन्हें अपने यूनियन बनाने का अधिकार मिलना चाहिये। उनके भत्तों में तरक्की होनी चाहिये। पुलिस अस्पताल में उनके रहने के लिए चारपाई नहीं वह बढ़ायी जानी चाहिये और प्रत्येक गांव में सुरक्षा समितियां बनाये जायं, उन्हें असलहा दिये जायं। अगर ऐसा न होता तो कोई भी ऐसा गांव न रहे जहां किसानों के पास कम से कम १-२ असलाहन हों। आज चोरों, डकैतों के पास तो अनगिनत हथियार होते हैं, लेकिन जनता के पास न हों, यह दुःख है। मैं सीतापुर से चुनकर आया हूं, वहां यह व्यवस्था है कि ३-३ साल तक किसानों की असलहा की दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, उनका पता ही ठीक नहीं चलता है। पचासों बार जाते हैं। आपके द्वारा

[श्री भगौती प्रसाद वर्मा]

यह भी सुझाव है कि हर गांव में असलहा जारी किये जायें और कमेटियां बन जायं तो फिर क्या कहना है। भारत सरकार से आपके द्वारा मांग करता हूं कि पुलिस प्र.ासन में परिवर्तन किया जाय। जनहित को देखते हुये दफा १०९–११० का जो तमा.ा है यह समाप्त किया जाय, जनता को परेशान करने का यह साधन है। मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो ईमानदार हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिये, सभी लोग खराब नहीं। रामदेव पांडेय, शायद वह सी० आई० डी में चला गया है जहां जहां रहा है जनता उसे याद करती है। तो आज अगर पुलिस ठीक हो जाय तो गांधी जी की सारी मुरादें पूरी हो सकती हैं। वैसे तो सारे विभागों में रिश्वत चलती है, लेकिन अगर पुलिस विभाग राहे रास्त पर आजाय तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सजा दी जाय।

हमारे जिले में सिधौली ऐसी जगह पर है कि उत्तरी इलाका ३० मील पर है। ३० मील के अन्दर सड़क का कोई नमूना नहीं है। रास्ता ऐसा है वहां पर कोई सवारी जा नहीं सकती है। तो जब पुलिस का जुल्म होता है तो लोगों की चारपाई अगर किसी अस्पताल में भेजना चाहें—महमूदाबाद, सिधौली या सीतापुर—तो पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से पुलिस को जुल्म करने में सहूलियत है। वह समझती है कि यहां की सूचना ही कहीं नहीं मिल पायेगी। तो मैं श्रीमन्, आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारे पुलिस मन्त्री बैठे हैं? वह इस बात को महसूस करें कि हमारे ऐसे जो सीधे-साधे विधायक हैं उनको तो जनहित से छुट्टी ही नहीं मिलती है। शायद मन्त्री लोग मुझे जानते भी नहीं हों। मुझे इतना अवकाश ही नहीं मिलता है कि किसी मन्त्री के यहां जा सकूं या बतला सकूं। मैं यह सत्य कहता हूं।...

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

कौन जाता है?

श्री भगौती प्रसाद वर्मा—

चौधरी साहब कहते हैं कि कौन जाता है? वहां तो इतनी भीड़ होती है कि आप भी व्याकुल हैं और दूसरे मन्त्री लोग भी व्याकुल हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी तरफ भी मन्त्रियों का ध्यान होना चाहिये।

(श्री गंगास्वरूप भटनागर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दलबहादुर सिंह (जिला राय बरेली)—

उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के बाहर जा रहा हूं, क्योंकि कल से मुझे बोलने का कोई मौका नहीं मिला है।

(श्री दलबहादुर ने सदन का परित्याग किया।)

श्री गंगास्वरूप भटनागर (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष जी, आज आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आप का शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, मैं जिला सीतापुर के उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जो कि इस कदर पिछड़ा है कि वहां पर न तो सड़कें हैं और न कोई पहुंचने के साधन ही है। मेरे क्षेत्र में दो थाने हैं। कम्बौड़ और थानागांव। यह गांजरी का इलाका है। वहां की व्यवस्था ऐसी है कि सैकड़ों और हजारों वर्ष से जो हालत वहां चली आती थी वही अब तक चली आती है। मान्यवर, पिछड़ा इलाका होने की वजह से वहां पर लोग उसी तरह से परेशान रहते हैं। शासन इसलिए होता है कि ताकतवर इन्सान के लिये कम और कमजोर के लिए ज्यादा होने की उस में जरूरत होती है। ताकतवर तो अपना काम किसी न किसी तरह से बना ही लेता है, लेकिन वह गरीब और कमजोर जिस पर जुल्म और ज्यादती हुआ करती है, उस इलाके

में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे पुलिस के हों, चाहे और विभाग के हों, वे यही समझते हैं कि हमारे यहां आफिसरान पहुंच ही नहीं सकते, लिहाजा वहां पर मनमानी हुआ करती है। हम एक मिसाल आप के सामने रखते हैं।

एक काश्तकार को २० किलो गल्ला दिया गया लेकिन सरकारी कागज में उसके १२० किलो लिखा गया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने बी० डी० ओ० से कहलाया। उन्होंने कहा कि ठीक हो जायगा, लेकिन, वसूलयाबी का जो कागज गया था तहसील से वही १२० किलो की कीमत वसूल करने के लिए दी गयी थी। वह आदमी जब फिर मेरे पास आया तब मैंने खत लिखा और कहा कि आप मुझे लिखित जवाब दें जिससे कि मैं यह आवाज ऊपर उठा सकूं। तब वसूली के अमीन को लिख कर दिया गया कि अभी इस आदमी से वसूली न की जाय, क्योंकि इस के हिसाब-किताब में कुछ गड़बड़ी है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस का ध्यान रखें कि जिस विषय का अनुदान है उसी पर बोलना चाहिये। पुलिस से सम्बन्धित यह अनुदान है इस लिए उसी पर आप अधिक बोलें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बंशीस्वरूप भटनागर—

वहां की दिक्कत के बारे में मैं कह रहा था। वहां पर पुलिस का आतंक है। सारे प्रदेश की यही हालत है। जब आजादी आयी तो पुलिस घबड़ाई हुई थी। कुछ अरसे से घबड़ाहट के बाद वह समझ गयी कि शासक पुलिस पर ही निर्भर रहते हैं। और उसने अपने उसी तौर तरीके से सोच समझ कर काम करना शुरू कर दिया और अपने को हमवार कर लिया कि शासन का कोई भी कार्य बिना पुलिस की ताकत के नहीं चल सकता।

ढील हुई, शासन में, और आज भी वही रवैया चला आ रहा है। यह कहा जाता है कि २० साल से यह खराबियां चली आ रही हैं। मैं कहता हूं कि अगर यह ठीक है तो अब आप की सरकार बनने पर तो यह नहीं रहनी चाहिये। इन तीन महीनों के अन्दर यदि उन सब खराबियों का सफाया नहीं हो सकता था तो उस दिशा में एक कदम तो उठाया जा सकता था। मगर आप ने उस दिशा में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता यह समझ सके कि आप के आने के बाद पुलिस में कुछ सुधार हुआ है। जो भी शासन आता है वह यही समझता है कि पुलिस बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। यही कारण है कि पुलिस में सुधार नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि वे कोई ऐसी चीज लावें जिस से एक नया वातावरण हो और जनता को कुछ राहत मिले। उस के लिए आप को कोई स्टाफ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि आप ५-७ आदमियों की एक टोली बनायें और २०-२५ टोलियां ऐसी बनायें जो गांव गांव जा कर जनता की परेशानियों को नोट करें और उन्हें शासन के समक्ष रखें। जिस तरह से यहां सवाल-जवाब होते हैं उस में हर आदमी अपनी बचत का रास्ता निकाल लेता है। उस से समस्या का कोई हल नहीं होता। ज्यादती बदस्तूर चलती रहती है। शासन चाहे कम दिन चले या ज्यादा दिन चले, मगर उसका वजन होना चाहिये। अगर कम दिन भी कोई सरकार चलती है और उसका वजन ज्यादा होता है तो वह ज्यादा दिन चलने वाली उस सरकार से अच्छी है जिस का कोई वजन नहीं होता। पुलिस में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के आदमी हैं, मगर अच्छे नहीं के बराबर हैं। इस लिए जहां पर यातायात तक के साधन न हों, वहां के प्रशासन में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये।

*श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन साथ ही साथ गृह मन्त्री जी ने जो बजट की तकरीर की है, उसकी भी मैं थोड़ी आलोचना करना चाहता हूं। जो बजट की तकरीर आयी थी उसको मैंने बड़े गौर से सुना। मैं उन की दो-तीन बातों का जरूरत स्वागत करूंगा। उन्होंने अपने बजट के भाषण में घोषणा की है कि वे पुलिस वालों को राहत देने जा रहे हैं, डी० ए०, टी० ए० के अन्दर इजाफा करेंगे उनको यूनीफार्म की भी सहूलियत देंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वे जब से पुलिस मन्त्री (उप मन्त्री) हुये हैं तब से दफ्तर में बैठकर भी उन्होंने बहुत काम किया है। लोगों की शिकायतें बड़े गौर से सुनी हैं और उन को निपटाया है। जैसा कि बजट के भाषण में कहा गया कि पुलिस के लिए कुछ अस्पतालों और टी० बी० क्लिनिक्स का भ इन्तजाम किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह तो अंग्रेजों के जमाने में भी होता था। अगर पुलिस में वे यही सुधार करना चाहते हैं जो बीस साल तक कांग्रेस के जमाने में भी किया गया तो हम उनकी इस बात का स्वागत नहीं करना चाहते। अंग्रेजों के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में बीस साल तक राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाया गया, नेशनल लीडर्स को बन्द कर देते थे। लेकिन अब इस सरकार में भी पुलिस के तौर तरीके हैं और उन के पकड़ने के तरीके हैं वे अब भी वही हैं जो कांग्रेस के जमाने में थे। तो इन्होंने भी कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। पुलिस उसी तरह है।

मैं यहां निवेदन कर देना चाहता हूं कि १९५७ में केरल में सरकार बनी। उन्होंने पुलिस के कर्त्तव्य बताये। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरीके से होनी चाहिये। उपमन्त्री मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो माननीय मन्त्री बैठे हैं वे मेरी बात सुन लें और उप मन्त्री जी को बता दें कि किस तरह से केरल में नम्बूदरीपाद ने कहा था कि पुलिस की जो शक्ल है वह जनता की सेवा के रूप में होनी चाहिये। जनता के ऊपर दमनकारी हाथ के रूप में नहीं होनी चाहिये बल्कि इसलिए कि वह जनता की सेवा कर सके, जनजीवन को सुरक्षित रख सके, अपराधों को रोक सके। आज जो पुलिस है क्या वह ऐसा कर रही है? जनता का विश्वास उन पर नहीं है। श्रीमन्, आप देखे कालागढ़ का उदाहरण। सरकार कहती है कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया। अगर वहां लाठी चार्ज नहीं हुआ तो सरकार को क्या परेशानी थी? जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दें। मैं उन से कहना चाहूंगा कि अगर यह सब मान लें कि फायरिंग नहीं हुआ, पर आप वहां पुलिस से लाठी चार्ज करके और जूतों से ही अगर इतना पिटवायें कि जनता मर जाय तो क्या वह कम है फायरिंग से? औरतों को बेइज्जत किया गया और उन को तरह-तरह की तकलीफें दी गयीं, आप कहते हैं कि फायरिंग हुआ नहीं, जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं बैठनी चाहिये इसलिये...

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्टिंग में आपके भाषण में दिक्कत हो रही है। जरा धीरे बोलने की कोशिश करें।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

हमारा कहना यह है कि पुलिस ने काम किया या नहीं किया जो उन्हें करना चाहिये था। लोगों को पीटकर बेहाल कर दिया, आज मजदूरों के नेता मारे जाते हैं, हाथ टूटे हुये जिनके हैं वे मौजूद हैं, वारन्ट हैं जिन के वे मौजूद हैं पर आप मसला हल नहीं करना चाहते। आप ने कहा कि फायरिंग नहीं हुआ इसलिए हम जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करवाना चाहते। चार हजार मजदूरों की मांग है कि पुलिस की इन्क्वायरी होनी चाहिये। यह क्या जनता की पुलिस है कि इस तरह से लाठी चार्ज करे और इन्कार कर दे कि लाठी चार्ज नहीं हुआ ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा चार्ज औरतों के मारने का है। पिछले साल ही विधान भवन के अन्दर जब कर्मचारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ था तो भी इन्कार कर दिया गया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। उस वक्त की सरकार उस समय उसूलों से गिरी हुई थी। यह सरकार भी उसूलों से गिर जायेगी तो हम समझेंगे कि यह सरकार भी वैसी ही है। जनता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये, किसी भी जगह किसी भी सरकार में औरतों पर लाठी चार्ज नहीं कराया जाता, वहां महिलायें बहोश हो गयीं, इसलिए कि वहां धक्कामुक्की हुई। ऐसी बातें कही जाती हैं। इस पर अगर प्रदेश की जनता का यह मुतालबा है कि इन्क्वायरी करायी जाय और अगर आप ने कोई काम नहीं किया है, तो इन्क्वायरी करा देने में, मैजिस्ट्रेट के सामने जाने में क्यों हिचकते हैं? लेकिन आप उस से इन्कार करते हैं। इस तरह से अंग्रजों ने जो किया, कांग्रेस ने जो किया, वही आप भी कर रहे हैं। आप में और उन में फिर फर्क क्या रहा? अगर आप ने इन तौर-तरीकों को नहीं बदला तो टी० बी० क्लिनिक खोल देने से, कुछ क्वार्टर बना देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है।

हमारे देश में और प्रदेश में बहुत से नौजवान लड़के नौकरी की तलाश में घूमते हैं। बस पुलिस उन को पकड़ कर थाने में बन्द कर देती है और उन पर धारा १०९ लगा दी जाती है। आप यह जानते हैं, आप वकील रह चुके हैं कि ये १०० फी सदी झूठे होते हैं, फिर आप इस को क्यों खत्म नहीं करते हैं? जब आई० जी० या डी० आई० जी० दौरे पर जाते हैं तो सब से पहले पूछते हैं कि दफा १०९ के कितने मुकदमे हैं? अगर उन को १०० के बजाय १५० बता दिये जाते हैं तो कारगुजारी अच्छी, लेकिन अगर ७५ बताये तो कारगुजारी खराब। इस लिए जब आप जानते हैं कि इस धारा का मिस्यूज होता है तो फिर इस को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं?

पुलिस के बारे में जब हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा कहने से उन की हिम्मत टूट जायगी। पुलिस अगर लाठी चार्ज करे और हम कहें कि उस में इन्क्वायरी करायी जाय, इससे पुलिस का साहस नहीं टूटता। साहस उन का तब टूटता है जब आप उसको सकाडयू नहीं देते हैं। आप ईमानदारी से बतायें कि आपने अपने विभाग में किसी को अनडयू प्रमोशन नहीं दिया है, किसी का हक नहीं मारा है? इस ढाई महीने के अन्दर आई० जी० एक ऐसे आदमी को बना दिया गया है जो एक साल जूनियर था और सीनियर का आपने हक मार दिया। जब आप इस बात को मानते हैं कि वह आदमी ईमानदार है, काम करने वाला है, फिर आप की पसन्द और नापसन्दगी कोई माने नहीं रखती। जहां तक आई० जी० जेल्स की बात है, अब तक यह तरीका रहा है कि सिविल सर्जन ही रखा जाता था, लेकिन आपने हरिशचन्द्र सक्सेना, डी० आई० जी को आई० जी० जेल्स बना दिया। यह ट्रेडीशन आप ने नया बनाया है। आप अपने मन के लोगों को रखना चाहते हैं, फिर हम आपका समर्थन क्यों करें? यही काम तो अंग्रेज करता था, यही कांग्रेस वाले करते थे और यही अब आप भी करने लगे। इस तरह से जिन दो आदमियों का हक था उन को आपने उनका हक नहीं दिया। आज से नहीं, पिछले २० सालों से, चौधरी साहब जब कांग्रेस में ही थे, तब से मेरा विश्वास था कि चौधरी साहब ईमानदार आदमी हैं। लेकिन जब से मैंने इन दो चीजों को सुना है, तब से मुझे यकीन हो गया है कि ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जिस को जो पसन्द आता है वही करता है।

माननीय उपमन्त्री जी इस समय यहां नहीं हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। उन्होंने माननीय चौधरी साहब की नीति का समर्थन कर दिया। यह गलत किया। यह नीति हमारी नीति कभी नहीं हो सकती। हम मार्क्सिस्ट हैं, प्रगतिशील हैं, मजदूरों और किसानों का काम करते हैं। लेकिन माननीय उपमन्त्री जी ने कहा दिया कि घेराओ बुरा है। यह हमारी पार्टी की नीति के खिलाफ है। मजदूरों को पैसा न दिया जाय, उन की छटनी कर दी जाय, उन की ग्रैचुइटी पेन्शन रोक दी जाय, किसानों को जमीन न दी जाय, उन की उचित मांगों को न माना जाय और फिर कहा जाय घेराओ भी

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

मत करो। गांधी जी लेट कर सत्याग्रह करते थे और हम बैठकर घेराओ करते है तो क्या बुरा करता है? उस से प्रभावशाली हथियार मजदूरों के पास और है ही क्या? यू० पी० के किसानों को, मजदूरों को अपनी मांगों के लिये घिराव करना चाहिये और हम जानते हैं कि इसके बिना उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकतीं। (लाल बत्ती जलने पर) आप मुझे ३ मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय तो हो चुका है, आप २ मिनट में समाप्त करें।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

आप पुलिस की और कारगुजारी सुन लीजिये। हमारा नेपाल के साथ बोर्डर है और हमारे यहां से पुलिस की साजिश से गल्ले का तस्कर व्यापार चलता है और माल उधर जाता है, रोज शक्कर, मिट्टी का तेल, चावल, गल्ला उधर से पास होता है यह कितनी शर्म की बात है, जब कि मुल्क में तमाम खाने के सामान की कमी है? आपने चौकियां कायम की हैं, लेकिन कोई असर नहीं है और माल बराबर नेपाल स्मगिल होकर जाता है। सहारनपुर से भी माल बाहर निकलता है। दिल्ली से लड़कियां भगा कर वहां लाई जाती हैं और दिल्ली की पुलिस वहां की पुलिस का सहयोग उनको पकड़ने में चाहती है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वहां की घूसखोर पुलिस ने लड़कियों को बरामद कराने में कोई साथ दिल्ली की पुलिस का नहीं दिया। आधे से ज्यादा लड़कियों का आज तक यू० पी० में पता नहीं लगा, इसी पुलिस पर आप को गर्व है तो हो, लेकिन हमारी गर्दन तो शर्म से ऊपर नहीं उठती और यह कितनी शर्मिन्दगी की बात है? आप उनके लिये चाहे जितने अच्छे मकान बनायें, अच्छे वेतन उन्हें दें, भत्ते दें और उनके बच्चों के लिये तालीम का इन्तजाम करें लेकिन अगर आपकी पुलिस के वही पुराने तौर तरीके नहीं बदले तो सूबे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़ी-बड़ी अमनोअमान की बातें कही जाती हैं और नक्सलबाड़ी का जिक्र किया जाता है, लेकिन नक्सलबाड़ी में क्या है वहां पर सिर्फ जो छोटे-छोटे किसानों की जमीन बड़े-बड़े काश्तकार दबाये हुये हैं उसको वह वापस लेना चाहते हैं। इसके सिवा वहां और कोई बात नहीं है। एक बड़ा हौवा वहां का खड़ा किया जा रहा है और उस जनता की आवाज को कुचलने की साजिश की जा रही है। अगर इस तरह की कार्यवाही की जायगी तो हम नहीं मान सकते कि उस आवाज को दबाया जाय।

वायर कटिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह खास तौर से पश्चिमी प्रदेश के जिलों में होता है और उसकी वजह से हजारों मुसाफिर बैठे रह जाते हैं और गाड़ियां लेट चलती हैं। वह लोग पकड़े नहीं जाते चार-चार और ५-५ घंटे गाड़ियां नहीं पहुंचती। मैं तो कहूंगा कि वह लोग जो वायर कटिंग का काम करते हैं उनका सम्बन्ध पुलिस वालों से रहता है और उनकी साजिश से ही यह काम होता है। अगर इसी तरह से चला तो पुलिस की हुकूमत चल सकती है, लेकिन जनता की हुकूमत नहीं चल सकती। और इस तरह से देश को चलाना मुशकिल हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस पुलिस के अनुदान पर वाद-विवाद हो रहा है और बहुत से भाग में भाषण हुये हैं दोनों तरफ से। अभी एक माननीय सदस्य का भाषण हुआ है हमारे सामने, लेकिन उसी वक्त जब बोल रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि उनसे कहूं हाथ जोड़कर कि वह जितनी शांति से बोलेंगे उसका ज्यादा असर होगा सदन पर भी और सब पर भी, लेकिन जिस गुस्से और आवेश में उन्होंने अपनी बातें कहीं उनसे ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का स्वभाव है कि गुस्से में अगर माकूल बात भी कही जाय तो दूसरे आदमियों पर उसका असर कम हो जाता है।

पुलिस की जो नुक्ताचीनी की गई है कि पुलिस वाले गलती करते हैं यह गलती करते हैं वह गलती करते हैं। गलती तो सब करते हैं, हमने यह कभी नहीं कहा और न मेरे सहयोगियों में से ही किसी ने कहा है कि पुलिस कोई गलती नहीं करती। हमारा ऐसा दावा न पुलिस वालों के लिये और न किसी अन्य विभाग के लिये न आज है और न कल होगा कि उनकी तरफ से कोई गलती कभी नहीं होती। ८५ हजार आदमी पुलिस में काम करते हैं, वे सब हमारे समाज के ही अंग हैं। अगर हमारे समाज में कोई किसी से गलतियां न हों और हमारा समाज देवताओं का हो जाय तो पुलिस के लिये भी कहा जा सकता है कि उनसे कोई गलती नहीं होती या नहीं हो सकती। गलती होती हैं इससे कोई इन्कार नहीं, लेकिन शिकायत इस बात से है कि किसी सब-इन्सपेक्टर की या एस० पी० की कोई गलती या दस-बीस गलतियां इतने बड़े फोर्स में से किसी की नोटिस में आईं तो सारे सूबे की ८५ हजार पुलिस के बारे में एक जनरेलाइजेशन कर देना और एक नतीजा निकाल देना कि ऊपर से नीचे तक सब बेईमान हैं, पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मैं इसको हरगिज-हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि सब ईमानदार हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पुलिस की जो शिकायतें हों वह मेरे नोटिस में लाई जायं तो उन पर ऐक्शन होगा और कार्यवाही की जायगी। हो सकता है कि उसमें मेरी या मेरे किसी सहयोगी की कोताही हो जाय। लेकिन हमारा कभी भी कोई इरादा पुलिस को शील्ड करने का नहीं है। शायद यह शिकायत हो कि कार्यवाही करने में देर होती है। देर हो सकती है और देर होगी भी, क्योंकि किसी एक आदमी के कहने पर आम तौर से सजा नहीं दी जा सकती है। उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत होती है, सफाई का मौका दिया जाता है। जहां तक तहकीकात का सवाल है, न मैं तहकीकात करता हूं न माननीय सैटन साहब और न ही हमारे सचिव करते हैं। हम सीधे सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को ही लिखते हैं। सीधा तरीका यह है कि मैं या उप-मंत्री सचिव को लिखते हैं, सचिव आई० जी० को लिखता है और आई० जी० सुपरिन्टेन्डेन्ट को तहकीकात के लिए लिखता है। इसलिए देर लग जाती है। तहकीकात के बाद जब रिपोर्ट आती है तो आमतौर पर उसके बारे में आई० जी० की रिकमेंडेशन होती है। तब हमारा फर्ज होता है कि अगर रिपोर्ट में कोई कमी रह जाती है या किसी पहलू की उपेक्षा की गयी हो तो उसे हम देखें। तो इस सबमें देर लग जाती है। लेकिन बेलगाम किसी फोर्स को एज-ए-हल कन्डेम कर देने से तो दुनिया में कोई काम नहीं चल सकता है। गल्तियां हम भी करते हैं। मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे, हम लोग पब्लिक में काम करते हैं। हम भी उन स्टैन्डर्डस में पूरे नहीं उतरते हैं, जिन्हें हम लेकर चलते हैं। तो क्या इससे कहा जाय कि सब पब्लिक मैन खराब हैं, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। पुलिस वालों के सामने भी बड़ी कठिनाइयां हैं। उनको क्रिमिनल्स से, गुंडों से वास्ता पड़ता है। इसलिए वे काबिले रहम हैं, काबिले मजम्मत नहीं है। सन् १९६१ में भी मेरा पुलिस विभाग से सम्बन्ध रहा था और अब भी है। मैं कहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो निहायत ईमानदार और जिनमें पैट्रियोटिज्म किसी से भी कम नहीं है। आप जरा उनकी लिमिटेशन्स को तो देखिए। आज अगर एक भाई मैजिस्ट्रेट हो जाता है और उसका ही सगा भाई एस० पी० या डी० एस० पी० हो जाता है तो दोनों के काम करने का जो एन्वायरेन्मेंट है, उनको जिन कन्डीशन्स में काम करना होता है, वह उनका भेद कर देता है। जो पब्लिक है उसके सामने पूरे वाकियात नहीं आ पाते हैं इसलिए वे पूरी बातों को सोचे बिना ही कह देते हैं।

अभी हमारे एक माननीय साथी ने, जो शायद इस वक्त सदन में मौजूद नहीं हैं, कुछ बातें कहीं लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जब इस तरह से किसी आदमी को कन्डेम करने चलें तो यह भी सोचें कि क्या हमारे पास सब वाकये हैं। अभी हमारे एक माननीय साथी ने कालागढ़ के बारे में

[श्री चरणसिंह]

बड़े जोर से जिक्र किया। उस रोज जब मैं इस विषय पर बोल रहा था पूरी बात का जिक्र नहीं कर पाया था। वहां पर सत्याग्रह या हड़ताल करने का एक नोटिस दिया गया। नोटिस की मियाद खत्म होने पर १० रुपया बढ़ा दिया गया और सब को नोटिस भी तकसीम कर दिया गया कि १० रुपये बढ़ा दिए गये और यहां तक २५ प्रतिशत तक भी बढ़ा दिया गया। यह भी उन्हें बता दिया गया कि १० रुपये तो न्यूनतम था। केवल शिकायत इस बात की थी कि सब लोगों को क्यों नोटिस दिया गया। केवल यूनियन को ही क्यों नहीं दिया गया? इससे यूनियन की प्रतिष्ठा कम हो गयी है। यह उनकी गल्ती थी और उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने तस्लीम किया कि गलती है, नहीं करनी चाहिये। लेकिन मजदूरों का ख्याल यह था कि जब नोटिस देने मात्र से १० रु० दे दिये गये तो हड़ताल करने से न मालूम क्या मिल जाय। हड़ताल हुई २ तारीख से। ८ तारीख तक कुछ नहीं हुआ। तब दफा १४४ लगायी गई। २,००० लाठियां थीं और उनके बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर थे। लाठियां लेकर कालोनी का पैट्रोलिंग शुरू हुआ। मैंने कहा नैमशरण जी, यह पैट्रोलिंग किसके खिलाफ कर रहे थे? यह किले के अन्दर किला किस के लिये बन रहा था? और उनका मौजूद था नोटिस एस० पी० बिजनौर के पास कि आप पुलिस कालोनी के अन्दर नहीं भेजें। दस्तखत हैं उस पर डिफेंस मिनिस्टर के। आचार्य दीपंकर जी नहीं हैं, वह इस प्रकार व्याख्यान देते हैं जैसे उनको सारी बातें मालूम हैं और यह फर्ज करके दूसरे पर अटैक करते हैं। उनकी भाषण शैली की मैं तारीफ करता हूं, बहुत तीखी है, दूसरे को बिलबिला देने वाली है और अज्ञान पर आश्रित। कहा जाता है कि मजदूरों के लीडर्स यहां १४, १५ तारीख को मिनिस्टर्स के पास मौजूद और उन पर मुकदमा चल रहा है। यह वाकया है कि लखनऊ में मौजूद थे। लेकिन क्या ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि आदमी लखनऊ में मौजूद हों और फिर भी जुर्म करके आये हों? मुकदमा चल सकता है, और चलना चाहिये। १० तारीख को उन्हीं में से एक का बयान है कि चीफ इंजीनियर की कोठी को आग लगा देंगे, प्रोजेक्ट को आग लगा देंगे। लॉयल वर्कर्स को पकड़ कर पीटा, १२, १३ तारीख को इंजीनियर्स को पकड़ कर पीटा। पुलिस वाले चुपचाप देखते रहे। अगले रोज पुलिस ने कुछ फोर्स मंगाया, दफा १४४ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया। दो आदमियों की लाठी पुलिस वालों ने छीन ली, इस पर २ हजार लठबन्द निकल आये लाठी लेकर और कुल ६०० पुलिस वाले थे। और तीन फर्लांग की चौड़ाई में २-३ हजार लेबरर्स ने लगातार मुकाबला किया। कहीं आज तक लेबर ने इस तरह आर्गेनाइज्ड होकर पुलिस का मुकाबला नहीं किया। मेरे इंस्ट्रक्शन्स थे कि आखिरी दम तक गोली मत चलाना, जब तक कि कोई पुलिस वाला न मारा जाय। इसलिये वे लाठी ले गये थे। ७ ऐक्सप्लोसिव्ज छोड़े गये, ऐसिड बल्ब्स छोड़े गये, बाकायदा छतों पर बैठ कर हुक्म हुआ, छतों से ब्रिक बैटिंग हुई और बाकायदा पूरी प्रीपरेशन के साथ, आर्गनाइज्ड वे में अटैक किया गया। पुलिस ने तब लाठी चलायी और अश्रु गैस छोड़ी गयी। उसके इन्तजाम पहले से मौजूद थे। मालूम यह हुआ कि गीला कपड़ा अगर आदमी पहन ले तो अश्रु गैस का असर नहीं होता। ऐसा ही मजदूरों ने किया। हुक्म यह दिया जाता था कि फलानी टुकड़ी अब अटैक करेगी। तो मैं माननीय मित्रों से जानना चाहता हूं जब लेबर इस तरह अटैक करेगा और ला ऐंड आर्डर अपने हाथ में लेगा और जब लीडर्स कहें कि आग लगा देंगे, लायल वर्कर्स को पीटा जायगा और सेक्शन १४४ को तोड़ा जायगा तो पुलिस चुप बैठी रहेगी? क्या अमन उस सूरत में रहेगा? नहीं रह सकता। ऐसी सूरत में पुलिस का फर्ज है कि इंटरफीयर करे। हम चाहते हैं कि ला ऐंड आर्डर मेन्टैन रहे। लेबरर्स हमारे भाई हैं.... ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—

मैं प्रश्न नहीं सुनना चाहता। आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नेता सदन बैठ जाते तो मैं आपको समय दे देता । नेता सदन खड़े हुये हैं और आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

एक सदस्य—

अभी मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, तो उनके ये शब्द कहां तक उचित अथवा मुनासिब थे ?

(श्री चन्द्रबली के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री चन्द्रबली—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस कानून की रक्षा के लिये बनी हुई है और जनता के हित के लिये ही कानून बना हुआ है । जनता के प्रतिनिधि और जनता कहती है कि पुलिस ने कालागढ़ में ज्यादती की है और वहां जनता के साथ अन्याय हुआ है और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर न्यायिक जांच बैठाने में आपको आपत्ति क्यों है ?

श्री चरणसिंह—

आपने कोई नई बात नहीं कही । यह तो रिजवी साहब तथा एक, दो अन्य दोस्त कह चुके हैं । उसका जवाब मैं दूंगा । जनता की नुमाइन्दगी का ठेका केवल आपने ही नहीं लिया है । मैं कह रहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है जो लखनऊ में मौजूद थे और उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है । क्योंकि उन्होंने स्पीचेज दीं । अगर मुकदमा इस बात का चले कि १६ तारीख के वाकये में वह सम्मिलित थे तो मुकदमा गलत, लेकिन दूसरे जरायम भी हैं जैसे एबेटमेंट भी एक चीज है । मैंने कोई चार्ज शीट देखी नहीं है, एफ० आई० आर० मैंने पढ़ा नहीं है ।

(इस समय ३ बज कर ४२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आचार्य दीपंकर ने कहा कि गोली नहीं चली । कोई हमला अथवा अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ नहीं हुआ, लेकिन आतंक पुलिस का ऐसा था कि दुनिया में कहीं नहीं छाया होगा । ३, ४ घंटे मजदूर लड़े । ७८ पुलिस मैन और ८१ लेबर घायल हुए । जब लेबरर्स मकानों में घुस कर छतों पर चले गये तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की । स्त्रियों ने दरवाजे बन्द कर लिये । दरवाजे तोड़े गये । दरवाजे तोड़ने का उसको हक था और पुलिस को ऐसी सूरत में दरवाजे तोड़ने चाहिये थे । अब यह कहा गया कि पुलिस ने स्त्रियों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया । कोई स्त्री छुड़ाने आई और पुलिस ने झटक दिया । यह व्यवहार स्त्रियों के साथ हुआ, इसे खराब व्यवहार कहा गया ? ७८ और ८१ आदमियों की चोटें दर्ज हैं । एक भी महिला अस्पताल में नहीं गयी अपनी चोट दिखाने और कोई चोट किसी महिला के नहीं लगी । उस पर कहा गया कि आतंक छा गया । इसका मतलब यह है कि आतंक के मानी आतंक के नहीं हैं, मेरे भाई की डिक्शनरी में कुछ और है । यह कहानी कालागढ़ की है ।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक बात कही । मैं उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करूंगा । उनके पास कहने को तो कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने कहने की कोशिश की । जब केस कुछ न हो और गलत केस को प्लीड करने भेज दिया जाय तो बड़ी मुश्किल होती है । लेकिन खैर उन्होंने कुछ बातें कहीं मस्लन कालागढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि तहकीकात क्यों नहीं कराई ? आपके कहने का मतलब यह था कि मैं शील्ड करना चाहता हूं यानी पुलिस की हिफाजत की वजह से नहीं कराई । लेकिन दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि इसलिये इंक्वायरी नहीं कराई

[श्री चरणसिंह]

कि वहां की यूनियन एस० एस० पी० के द्वारा स्पोंसर्ड है। इसके माने यह हैं कि मैंने लेबरर्स के हक में इंक्वायरी नहीं कराई। इसका क्या मतलब है? वाराणसी में फायरिंग हुई और मैं इस बात के हक में नहीं था कि इसकी तहकीकात कराई जाय। लेकिन दोस्तों ने कहा कि जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये। इसलिये मैं राजी हो गया। इतने में मेरे पास दो दरख्वास्तें वाराणसी से आती हैं पोलिटीकल और बड़े बड़े आदमियों के पास से कि इसकी तहकीकात न कराई जाय। इससे पुराने जख्म फिर हरे हो जायंगे और आपस में कटुता बढ़ जायगी। मैं उन दोनों नामों को लेता हूं। एक तो माननीय श्री प्रकाश जी और दूसरे माननीय सत्यनारायण जी। माननीय सत्यनारायण जी लेफ्ट कम्यूनिस्ट ग्रुप के हैं और हमारे साथी माननीय रिजवी साहब की विचारधारा के हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लिखा कि जूडीशियल इंक्वायरी मत कीजये और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी लिखा। इसलिये हमने जुडीशियल इंक्वायरी कराने के विचार को छोड़ दिया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैंने वाराणसी के लिये नहीं कहा। मैंने तो कालागढ़ और मुरादाबाद के लिये कहा था।

श्री चरणसिंह—

मैंने तो वाराणसी के मामले में यह कहा कि लेफ्ट कम्यूनिस्ट विचार धारा से जिनका ताल्लुक है, उनकी राय यह थी कि तहकीकात न करायें। इसलिये जुडीशियल इंक्वायरी नहीं कराई।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई और चन्द्रबली सिंह जी ने कही कि जब जनता चाहती है तो जांच क्यों न कराई जाय? कौनसी जनता चाहती है? आप जनता की नुमाइन्दगी करते हैं, यह भी करते हैं, वह भी करते हैं और मैं भी करता हूं। तो क्या इसमें जनता की वोटिंग होगी कि इंक्वायरी हो या न हो। लेकिन जुडीशियल इंक्वायरी कराने का मतलब यह होता कि आफिसर्स को एक एक्यूज्ड की तरह से कटघरे में खड़ा होना पड़ता और यह इंक्वायरी महीनों चल सकती है। आफिसरान को ऐसे मौके पर फायरिंग करनी होती है जब बड़े तनाव का मौका होता है और होश हवास फाख्ता हो सकते हैं और जहां गोली चलाई जाय नहीं चलाई जाती। नतीजा होता है कि कत्ल हो जाते हैं, आग लग जाती है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जितने फोर्स के इस्तेमाल की जरूरत हो उससे १० परसेंट ज्यादा इस्तेमाल हो गया और उस वायुमंडल को देखिये जब फोर्स इस्तेमाल करना होता है। जहां ज्यादती हुई हो वहां तो इंक्वायरी कराई जाय, लेकिन जहां गवर्नमेंट कंविन्स्ड है कि इसमें कोई ज्यादती नहीं हुई बल्कि रेस्ट्रेंट से काम लिया गया है, जैसा कि कालागढ़ में हुआ तो हर मामले में इंक्वायरी से वे डिमारेलाइज हो जायंगे वे काहे को खतरा लेंगे, क्यों गोली चलायेंगे क्योंकि उनको सदन में गालियां मिलेंगी, उनको अक्यूज्ड समझा जायगा उनको पहले से कंडेम कर दिया जायगा। इस लिए गवर्नमेंट को हिचकिचाहट होती है। परमात्मा करे वह दिन न आए और आयेगा ही नहीं जबकि रिजवी साहब की गवर्नमेंट यहां बन जाय। मैं अपने नौजवान मित्र को यकीन दिलाता हूं कि उनके सामने जब यह वाकए आयेंगे तो वह भी हिचकिचाएंगे जुडीशल इन्क्वायरी करवाने में। उनके सामने एक पहलू है, दूसरे पहलू को न देख कर स्पीचेज दे दी जाती हैं उसका असर दूसरे आदमी पर नहीं पड़ता। एक बात आचार्य दीपांकर ने कही। वह नहीं हैं। उन्होंने जिक्र किया शामली का। एक आदमी को मार दिया रिश्वत ले ली, और जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं होती है। कैसे मार दिया, आपके कहने से मार दिया? और उसको सजा दे दी जाय बिना सब-इन्सपेक्टर से पूछे हुए? और पूछने के मतलब हैं कि इन्क्वायरी की जाय और मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है। छः बजे रिपोर्ट होती है। ११ बजे पकड़ के ले जाते हैं। अफीम खाए हुए था, पानी पी लेता है। उस के बाद डेथ हो जाती है। हमने सुना है कि अफीम ज्यादा खा ले और पानी पी ले तो डेथ हो जाती है। चार बजे एस० पी० पहुंच जाता है।

पोस्टमार्टम होता है। डाक्टर कहता है कि रियल काज डेथ का पता नहीं चलता। उसके पेट में जो सामान था उसको कैमिकल एग्जामिनर के यहां भेज दिया। पुलिस वालों ने तहकीकात के बाद अगर मालूम हुआ कि गलती की है तो जैसा मैंने प्रश्नों के समय बताया था, गलती करने वाले को सजा मिलेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपने नोटिस दे दिया, हमने वाकयात कुछ मालूम कर लिए, बस उसको फांसी पर चढ़ा दें। आचार्य साहब का कहना है कि पुलिस वालों को सबको ईमानदार समझते हैं और पब्लिक में सब को बेईमान समझते हैं। हरगिज नहीं। मैं पुलिस वालों को बेशक बिना जांच के हर एक को ईमानदार मानता हूं। यह ठीक है। और किसी भी पब्लिक वाले को बेईमान नहीं समझता हूं। आचार्य दीपंकर जी यह कहते कि मेरे सामने सब-इन्सपेक्टर ने पीटा—और मैं ऐलान किए देता हूं कि कोई माननीय मन्त्री यह कहें कि हमारी आंखों के सामने पुलिस वालों ने ज्यादती की है तो मैं पहले उसको सस्पेंड कर दूंगा और उसके बाद तहकीकात करूंगा। लेकिन यह तो नहीं, कि आपको इत्तला कहीं से मिल गयी, आप मौके पर मौजूद नहीं थे, जिन्होंने इत्तला दी वह भी मौजूद नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से व्यवधान न करें।

श्री चरणसिंह—

आप यह कह दें कि आपके सामने यह जुल्म हुआ, मैं फौरन प्रिलिमिनरी सजा करके, तहकीकात करवाऊंगा। लेकिन आप चश्मदीद गवाह नहीं, आपको इत्तला दी जाती है, बेशक हम तहकीकात करवाएंगे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि उस आदमी को, जबकि आप जाती जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, सजा दे दूं। पुलिस वाले या दूसरे कर्मचारी शासन के सूत्र में बंधे हुए हैं, उनके लिए कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। उनको तहकीकात करके सजा दे सकते हैं, लेकिन नागरिकों को अधिकार है कि जब तक जुडीशल ट्रायल न हो किसी को सजा नहीं मिल सकती है। इस मामले में हर गवर्नमेंट सर्वेन्ट की डिसएबिलिटी है। फिर कैसे कहा जाता है कि हर पुलिस वाले के साथ रियायत हो रही है और हर नागरिक के साथ ज्यादती हो रही है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय ने यह कहा कि पुलिस को मैंने इस बीच में वक्त नहीं दिया और कोई इम्पार्टेंट पालिसी का अनाउन्समेंट नहीं किया। यह ठीक है कि जितना समय पुलिस को पहले दे पाता था अब नहीं दे पा रहा हूं। यह अपनी कमजोरी या गलती या मजबूरी रही है। लेकिन पुलिस के प्रशासन की ओर ध्यान न दिया जा रहा हो ऐसी बात नहीं है। दिया जा रहा है और ज्यादा दिया जा रहा है, मैं स्वयं सन्तुष्ट हूं। वह इरादे की कमी नहीं बल्कि समय की कमी की वजह से है। कृष्णानन्द राय जी ने कुछ ऐसी बात कही जो मैं समझता हूं उन्हें कहनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था झारखंडे राय और रुस्तम सैटिन जी के बारे में, उनको लेकर पता नहीं वह देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कह रहे थे? अध्यक्ष महोदय, जो उनकी आशंकाएं हैं, ठीक हैं, पिछले इतिहास को देखते हुए अगर किसी के मन में ऐसी आशंकाएं हैं तो मैं उनको दोष देने को तैयार नहीं हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अपने इन दोनों सहयोगियों के काम देखे हैं, उसके बाद मेरे दिल में कोई भी, लेशमात्र और तिलमात्र भी सन्देह नहीं है। वे देश की सुरक्षा और आम जनता में अमन चैन रखने के उतने ही हक में हैं जितना मैं और कृष्णानन्द राय जी। रिजवी साहब ने तो सैटिन साहब को एक सार्टीफिकेट दे दिया, उन्होंने कहा यह तो वही भाषा बोल रहे हैं जो चरणसिंह जी बोलते हैं। मैं नहीं समझता कि चरणसिंह कौन भाषा बोलते हैं। चरणसिंह वही भाषा बोलते हैं जो डेमोक्रेटिक है और जब तक डेमोक्रेसी देश में रहेगी यह भाषा रहेगी।

[श्री चरणसिंह]

घेराव की बात आप ने कही। घेराव इल्लीगल है। महात्मा जी कतई घेराव के पक्ष में नहीं थे। घेराव का मतलब है---रांगफुल कन्फाइनमेंट। आप किसी को घेर लें वह न निकल सके तो यह आई० पी० सी० और रूल आफ दि लैंड के खिलाफ है। तो किसी को घेराव करने दिया जायगा यह बिल्कुल अनुचित है। अध्यक्ष जी, रिजवी साहब ने कहा कि घेराव हमारा हक है। घेराव करने का किसी भी सिटीजन का हक नहीं है। यदि हमने इसकी इजाजत दे दी या उसको उचित मान लिया तो देश में अव्यवस्था फैल जायगी और गवर्नमेंट फेल हो जायगी और सूबे में अराजकता पूरी तरह से फैल जायगी।

अध्यक्ष महोदय, वीमेन्स एम्ट्राइज की बात अनेक बार कही गयी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मांग बराबर क्यों दोहराई जा रही है? क्या औरतें जुर्म नहीं कर सकतीं? मुझे तो मालूम हुआ और बड़ा ताज्जुब हुआ कि दो औरतों ने एक तीसरी औरत को स्टैब कर दिया और अब उन पर ३०७ के जुर्म का केस चलेगा। जो माननीय मित्र उनकी वकालत कर रहे हैं, वे यह क्यों नहीं देखना चाहते कि यह वाक्या है या नहीं? दो घंटे तक बन्द रखा उदित नारायण शर्मा जी को, २ घंटे तक उनको कार से नहीं निकलने दिया उन औरतों ने, और जब उनकी कार का ड्राइवर निकला तो उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके काट लिया और उसे लहूलहान कर दिया गया। तो होमगार्ड्स के जरिए से उनको हटा देने का ऐसी दशा में हमें हक हासिल है।

कृष्णानन्द राय जी के पास कोई केस तो था नहीं वह कहते तो क्या कहते। उन्होंने कहा कि १९ प्वाइन्ट में यह भी है कि राजनीतिक बन्दियों और छात्रों को छोड़ देंगे। इस सम्बन्ध में करीब-करीब बहुतों को छोड़ दिया गया है, कुछ केसेज में गौर हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो इस को कन्फ्यूज कर दिया इलाहाबाद के सिलसिले में वह ठीक नहीं है। उसका तो इलाहाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि जिन लोगों ने घेराव किया है अफसरों का, उनके बारे में मेरा बयान है कि वह छोड़ दिए जायेंगे यदि वह अफसोस जाहिर करेंगे, लेकिन कृष्णानन्द राय जी उसको कन्फ्यूज कर गए।

अब मैं उन सुझावों के बारे में कहना चाहता हूं जो यहां पर दिए गए। यह कहा गया कि ३२३ के जुल्म काबिले पुलिस दस्तन्दाजी के मातहत दे दिए जायें। यह नहीं हो सकता। इस के लिए प्राइवेट इस्तगासा दाखिल करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी पुलिस हम नहीं दे सकते कि छोटे बड़े सभी इस प्रकार के मामलों को पुलिस अपने हाथ में ले ले। जब गम्भीर चोट हो, आदमी गिर जाय, तो पुलिस कार्यवाही करे किन्तु मामूली चोट हो तो आप खुद कार्यवाही करें। कुछ लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि फलां आदमी हमारा कत्ल करेगा, लेकिन हम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन अगर कोई आदमी धमकी देता है और यह होता है कि उसे तंग किया जा रहा है तो ला के अन्दर उसका कोई इन्तजाम नहीं है। अगर पुलिस को यह अख्तियार दे दिया जाय कि कोई आदमी दूसरे को तंग करता है, गुंडाइज्म करता है, तो फिर उसके दुरुपयोग के लिए बहुत से रास्ते खुल जायेंगे और माननीय मित्र स्वयं उससे असन्तुष्ट होंगे। लिहाजा पुलिस को इतनी पावर्स नहीं दी जा सकतीं।

माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने कहा कि जो फसलें कट जाती हैं तो उनको काबिल दस्तन्दाजी कर देना चाहिए। उसके लिए ऐक्शन है। होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है कहीं, और माननीय मित्र की नोटिस में हो और मुझे लिखित देंगे तो मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं हुआ, बशर्ते कि रिपोर्ट वक्त पर की गयी हो।

यह कहा गया कि रिपोर्ट थानों की बजाय गांव पंचायतों में हो जाया करे। अगर एफ० आई० आर० गांव पंचायत में लिखी जायगी तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे गांव पंचायतों में कितनी फिरका बन्दी है। फिर सही रिपोर्ट लिखी भी जायगी या नहीं। दूसरी बात यह है कि कानूनी खामियां रह जायेंगी। तीसरी बात यह कि थाने पहुंचते-पहुंचते उन में देर लग

जायगी और जिन मामलों में बहुत जल्द तफतीश की जरूरत है उनमें देर लग जायगी। लिहाजा यह नहीं हो सकता। पुलिस कमीशन ने यह विचार जरूर प्रकट किया था लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा गया, ला डिपार्टमेंट से पूछा और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि रिपोर्ट्स थाने में दर्ज होनी चाहिए न कि गांव पंचायतों में।

एक माननीय मित्र ने फरमाया कि पुलिस को गांव पंचायतों के मातहत कर दिया जाय। बड़े खूबसूरत विचार हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने लायक हैं, लेकिन काबिले अमल नहीं हैं और उन पर अमल नहीं हो सकता। गांव पंचायतें ईमानदारी के साथ जमीन का इन्तजाम नहीं कर रही हैं। यह सब की शिकायत है। हमने गांव पंचायत को इन्तजाम दे दिया जमीन के बारे में, सरपंच को अधिकार दे दिया उसके बारे में, शिकायत करने का और एस० डी० ओ० को इंटरवीन करने का अधिकार दे दिया। गांव पंचायतों की जो जमीन मुश्तरका है उनमें बहुत कुछ खुर्द-बुर्द हो गया है। अगर कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल और सब-इन्स्पेक्टर्स को गांव पंचायतों के अधीन कर दिया जाय तो विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बदइंतिजामी हो जायगी।

रिजर्वेशन आफ सीट्स फार शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात आयी। यह ठीक है, आर्डर्स हैं, होना चाहिए। लेकिन जो ऊंचाई, जो वजन वगैरह कांस्टेबिल्स के लिए मुकर्रर है उसमें अगर कोई रियायत कर दी जाय तो पुलिस फोर्स की एफिसियेन्सी कम हो जायगी। लिहाजा इसमें कोई रिजर्वेशन का विशेष सवाल नहीं है, लेकिन अगर किसी मामले में कहीं कमी है तो उसके लिए आफिसरान को हुक्म है कि जहां कमी हो वहां पूरा किया जाय। सन् ५६ में आई० जी० ने एस० पी० को आर्डर्स भेजे थे और यह रिपोर्ट्स मांगी थी कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लिए गए, बाकी क्यों नहीं लिए गए। मुझे नहीं मालूम कि उस पर क्या कार्यवाही हुई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

पिछले दिनों २५० हरिजन सब-इन्स्पेक्टर्स निकाल दिए गए।

श्री चरणसिंह—

मुझे इसके बारे में नहीं मालूम आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मेरे किसी मित्र ने कहा कि एक पुलिस चेक पोस्ट जो नेपाल की सीमा पर है खीरी जिले में वहां पुलिस के रहने के लिए मकान नहीं है। यह सही है कि जो चेक पोस्ट्स जंगल में होते हैं उनके लिए मकान नहीं होते हैं लिहाजा छप्पर डाल दिए गए हैं। एक तो मकान बनाने के लिए रुपयों की कमी है और दूसरे यह भी है कि मालूम नहीं कि वह चेक पोस्ट कितने दिनों रहेंगे। अगर परमानेन्ट पहले से वहां पर वह हों तो पक्के मकान बनाए जायं और आगे भी अगर परमानेन्ट उनको रखने की बात होगी तो यह बात सोची जा सकती है, लेकिन इस समय वहां पर आरजी इन्तजाम किया गया है और जो भी हो सकता था वह किया गया है।

एक बात यह कही गई कि तहकीकात के लिए और मुकदमों की पैरवी के लिए अलग-अलग स्टाफ हो। यह बात ठीक है। इसके लिए एक सिफारिश भी है। १५ जिलों में जिनकी आबादी १ लाख से ज्यादा है उनके अन्दर गवर्नमेंट अलग-अलग स्टाफ नियुक्त करने जा रही है। उसके बाद जो अनुभव होगा उसके विस्तार करने की बात सोची जायगी।

चौकीदार का वेतन बढ़ाने की बात कही गई। यह पुरानी डिमान्ड है, लेकिन हमारी जो वित्तीय अवस्था है उसको देखते हुए यह नहीं हो सकता है। यह नहीं है कि हमारे इरादे में कोई कमी हो बल्कि हमारी मजबूरी है। इस वजह से हम बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर बात यह है कि चौकीदार पूरे समय के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं है। उसको इजाजत है चाहे जिस काम को वह और करे। गांव में जो कोई जुर्म होते हैं या होने वाले हैं उसकी

[श्री चरणसिंह]

इत्तला वह दौड़कर दे आए यह उसका काम होता है। उसी वजह से उसको कुछ आनरेरियम दिया जाता है।

शायद हुकुमसिंह जी ने चम्बल एरिया की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। एक साहब ने उनकी चम्बल इलाके की समस्या के सिलसिले में एक किताब लिखी है। वह दो बार मुझसे मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ पुलिस की गलती है और वह डाकुओं से मिली हुई है। वह किताब मैंने ले ली है और होम सेक्रेटरी से कहा है कि वह किसी अपने सहयोगी से यह काम लें कि वह इस किताब को पढ़ ले और जहां-जहां पर पुलिस की गलती की तरफ संकेत है उनको नोट कर लें और मुझसे आकर मिल लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि किसी अफसर की गलती पाई जायगी तो उसको सजा दी जायगी।

एक बात यह कही गई कि लिबरेली लाइसेन्स हथियार के दिए जायं। आर्म्स लाइसेन्स के कानून को १९६१ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तब्दील कर दिया है। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून है। उसमें हमारा अख्तियार नहीं है। उसमें किस की माली हालत क्या है इसका लिहाज नहीं रखा गया है। दरख्वास्त देने वाले की चाहे जैसी हालत हो अगर वह लाइसेन्स चाहता है तो लाइसेन्स दे दिया जाता है सिर्फ उसका कंडक्ट देखा जाता है। अगर उससे ऐसा कोई जुर्म हो गया है जो इखलाकी जुर्म हो या अनसाउन्ड माइन्ड का हो तो इस तरह के मुजरिम रहने पर उनको वह नहीं दिया जाता है। इस तरह के लोगों को छोड़कर हर आदमी को हक है लाइसेन्स लेने का सिर्फ कुछ कंडीशन्स को पूरा करना उनके लिए जरूर है। पहले यह था कि किसी आदमी को लाइसेन्स लेने का हक नहीं था जब तक कि वह उन कंडीशन्स को पूरा न करे। अब हर एक आदमी लाइसेन्स ले सकता है जब वह इन कंडीशन्स को पूरा कर देता है। लेकिन लाइसेन्स लेने की इस समय हिम्मत नहीं है क्योंकि आर्म्स की कीमत बहुत ज्यादा है कानून की पाबन्दी नहीं है। हरएक गांव का हरएक आदमी लाइसेन्स ले ले। इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? इसलिए इस सिलसिले में सरकार की पालिसी ऐसी है जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

अब मैं पुलिस की डिसेबिलिटी के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिनको दूर करने के लिए मैं सदन के माननीय सदस्यों का कोआपरेशन चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे यहां पुलिस फोर्स आज जितना है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान में सब से कम पुलिस हमारे सूबे में है। मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं। उनको सुनाकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। जो इंग्लैंड और अमेरिका में पुलिस की संख्या है वह बहुत ज्यादा है। हिन्दुस्तान के हर सूबे में ज्यादा पुलिस की संख्या है। लेकिन हिन्दुस्तान में भी हमारे यहां पुलिस सब से कम है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक आदमी पर जो खर्चा होता है वह बराबर है। इसके अलावा और जितनी स्टेट्स हैं उनमें सब में पुलिस पर ज्यादा खर्च होता है बनिस्बत हमारी स्टेट के। तो पुलिस की जो मजबूरियां हैं उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। पुलिस से हम उम्मीद बहुत करते हैं और उस को गालियां भी देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा पुलिस की एफीशियेन्सी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया?

श्री अध्यक्ष--

आप ५, ६ मिनट में समाप्त कर लें। मुझे साढ़े चार तक सब समाप्त करना है।

श्री चरणसिंह--

बहुत अच्छा। तो कुछ थाने के पास में बिजली जलती है, लेकिन कुछ थाने में चिराग जलता है। वहां बिजली नहीं है। हर थाने में बिजली लगनी चाहिए। इस के अलावा टेलीफोन उन के पास नहीं है। रिंगअप करना है सुपरिंटेंडेंट को अथवा हेड क्वार्टर, तो कोई चारा नहीं है। उनके पास आने जाने के साधन भी नहीं हैं। पहले वे घोड़ा रखा करते थे,

लेकिन अब वह बड़ा कीमती हो गया है, लिहाजा मैं समझता हूं कि हर थाने में एक जीप होनी चाहिए और इसके लिए १ करोड़ ६० लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर सदन चाहे कि हमारी एफीशियेन्सी बढ़े तो यह रुपया हमको कहीं न कहीं से निकालना होगा। इसी तरह से पुलिस या पी० ए० सी० अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और रास्ते में गाड़ियां पुरानी होने के कारण फेल हो जाती हैं, रायट्स होने पर अगर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंच पाती है तो वह भी कमी हमारे में है। वेपन्स की बात मैं कहना नहीं चाहता।

इसके अलावा जैसा रुस्तम सैटिन साहब ने कहा था कि कायदे के अनुसार मैरिड एकोमोडेशन ६० प्रतिशत होना चाहिए जबकि हमारे यहां मैरिड एकोमोडेशन केवल ७ प्रतिशत है। ९३ प्रतिशत लोगों को एकोमोडेशन नहीं मिलता। वे बेचारे अपने बच्चों और गृहणी के बिना रहते हैं। तो यह सब मजबूरियां हैं पुलिस की, जिन को हमें दूर करना चाहिए। पुलिस की १/३ इनएफीशियेन्सी ट्रेसेबिल है जिन्हें हम दूर नहीं कर पाते, उन्हें अच्छी तरह से इक्विप नहीं कर पाते। इस के अलावा तहकीकात करने के जो साइंटिफिक तरीके हैं वह हमारे पास नहीं हैं। पुराने तरीकों पर ही डिपेंड करना पड़ता है। दूसरे हमारे यहां ला का प्रिजम्प्शन यह है कि वह पुलिस का यकीन नहीं करता। दूसरे देशों में पुलिस कांस्टेबिल के सामने का कंफेशन एडमिसेबिल है, यहां सुपरिंटेंडेंट के सामने का कंफेशन भी ऐडमिसिबिल नहीं है। अदालतें कदम कदम पर बेल कर देती हैं। आज कोई अनबेलेबिल केस ही नहीं रह गया है। डकैती करो, चोरी करो, कत्ल करो, दूसरे दिन अदालत में बेल हो जाती है। ऐसा भी हुआ है कि आज बेल पर छूटे, कल ही दूसरे कत्ल में चालान हुआ, और फिर वह बेल पर छूट गया। तो मैं पुलिस की इनएफीशियेन्सी की एक तिहाई जिम्मेदारी अपने लीगल सिस्टम पर डालता हूं। यदि मुझे समय मिला और हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को राजी कर लिया तो मैं आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करने की अनुमति सदन से भी मांगूंगा। इस के बाद ही काफी सहूलियत पुलिस को हो सकती है।

५ मिनट हो गये, बातें बहुत कहनी थीं लेकिन बावजूद इसके कि बहुत सी बातें तरह तरह ही गयी हैं जिनमें मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत अन्याय भी उनके साथ हुआ है। लेकिन यहां पर हर एक माननीय सदस्य को हक है अपनी बात कहने का, तो वह उस जोश में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जब कोई आदमी पुलिस की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनके बारे में कुछ कहता है तो उसे एक चैरिटेबिल जजमेंट लेना चाहिये क्योंकि उसके पास पूरे फैक्ट्स नहीं है। बिना दूसरी साइड को सुने ही किसी को कंडेम कर देना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं कि सदन इस अनुदान को मंजूर करे।

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस की मांग पर हुये दो दिन के वाद-विवाद में एक चीज बहुत स्पष्ट हो गयी है कि माननीय मुख्य मंत्री की जो नीतियां हैं उनके ऊपर इस सदन के किसी सदस्य के दिल में विश्वास नहीं रह गया है। यह दूसरी बात है कि हमारे कानपुर के भाई बदरेऐसे सदस्य जो मुख्य मंत्री की कुर्सी के आस-पास बैठते हैं वह भले ही कहें कि मुख्य मंत्री की नीतियों पर बड़ा भारी जनता में विश्वास है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संयुक्त विधायक दल में जो सच्चा और वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं वह आचार्य दीपंकर करते हैं, भाई बदरे नहीं। आचार्य दीपंकर ने आपके सन्मुख कहा है कि मुख्य मंत्री जी की नीतियों से उनका दम और उन्हीं का नहीं, इस प्रदेश के सभी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का दम घुट रहा है। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में केवल एक घोषणा की कि अगर कोई सदस्य स्वयं आरोप लगाता है कि उसकी निजी जानकारी में पुलिस के विरुद्ध शिकायत है तो वह पहले ससपेंड उसको कर देंगे। यहां पर राजबली सिंह यादव जो हमारे विधान सभा के सदस्य हैं वह अपने सर पर पट्टियां बांध कर खड़े हुये थे और आर.प

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

लगाया था कि स्थानीय पुलिस के कारण से उनका सर फटा है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे कटौती के प्रस्ताव पर तो मने एक शब्द नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं देखूंगा कि कोई व्यवधान नहीं होगा और मैं आशा करूंगा कि अगर कोई बात हो तो माननीय सदस्य मुझ से कहें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं तो आदी हूं, इंटरफीयर कर सकते हैं । तो मैं निवेदन कर रहा था कि संयुक्त विधायक दल का सही प्रतिनिधित्व आज राजबली सिंह यादव करते हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के जमाने में ऐसा नहीं हुआ और चरण सिंह के राज्य में उनका सिर लाठियों से तोड़ दिया गया । संयुक्त विधायक दल जिसका प्रतिनिधित्व करके वह आज मुख्य मंत्री बने बैठे हैं उसका सही प्रतिनिधित्व करते हैं माननीय भारतसिंह चौहान, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेसी राज्य में पुलिस का इतना आतंक नहीं था जितना कि चरण सिंह के राज्य में हो गया है । मुख्य मंत्री जी, मैं आपकी लाचारियों को जानता हूं और आपके ऊपर अन्याय करूंगा अगर उनको न रखूं। आप जिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें रहकर आप न तो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं और न पुलिस में ऐसी क्षमता ला सकते हैं । भारत सिंह के हृदय में जो आग थी उसको जानने का आपने प्रयास नहीं किया । इटावा का यह केस है औरैया का । एक इंटर कालिज के अध्यापक की लड़की भगाई गयी और वहीं के एक दो अध्यापकों का उस लड़की के भगाने में हाथ था । यह उनका सौभाग्य था कि रामस्वरूप वर्मा जी जो मंत्रिमंडल में सबसे सीधे सदस्य लगते हैं वह उनके संबंधी लगते थे । जब ८ तारीख को मंत्रिमंडल ने चार्ज लिया तो उन्होंने एस० पी० को फोन किया कि जो अपराधी हैं जिन्होंने एक साथी की लड़की को भगाया था उनको छोड़ दिया जाय और इनके फोन पर वहां के एस० पी० ने उस पुलिस के दारोगा को जिसने लड़की को बरामद किया था और उनके नातेदारों को गिरफ्तार करने जा रहा था उसे लाइन हाजिर कर दिया । इस तरह से राजकीय इंटरफियरेन्स मंत्रिमंडल के लोग किया करते हैं । हम मंत्रिमंडल के ऊपर आक्षेप करें, यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे सामने जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है हमें मजबूरन कहना पड़ता है । सभी मंत्रियों का यह रवैया बन गया है कि कलेक्टर, एस० पी० के यहां फोन करेंगे । स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में यदि मुख्य मंत्री जी चाहें भी तो न तो पुलिस प्रशासन को ठीक कर सकते हैं और न शान्ति व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं ।

मैंने बहुत से आंकड़े दिये तीन महीने के जिसमें केवल ५ या ६ जिलों में ७०-८० हत्यायें हुई थीं । माननीय मुख्य मंत्री के प्रशासन काल में, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने एक शब्द भी सफाई के तौर पर उन आंकड़ों के बारे में नहीं कहा । तो जितने अपराध पुलिस के संबंध में मुख्य मंत्री जी के सन्मुख लाया था वह इसलिये नहीं लाया था कि मैं पुलिस को कंडैम्न करूं इसको हम इसलिये नहीं लाये हैं कि तीन महीने के अन्तर्गत जिस काम को करने का आपने वादा किया था उसको नहीं करा सके, इसलिये आपको कंडैम्न करें । लेकिन इन आंकड़ों को तो हमने इसलिये उपस्थित किया था ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तथ्य से अवगत हो जायं कि जिस परिस्थित में आये हैं और जिस माहौल में वे काम कर रहे हैं उसमें इस प्रदेश का साधारण प्रशासन नहीं हो सकता, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, वह प्रशासन धीमे धीमे समाप्त हो रहा है ।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सफाई देते हुये कहा कि कालागढ़ में क्या हुआ, उनके बंगले पर क्या हुआ है जिसके लिये न्यायिक जांच कराने की मांग की जाती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक जिन्दगी में

आश्वासन, वचन और वादों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। १९ सूत्रीय कार्यक्रम संयुक्त विधायक दल ने स्वीकार किया था और उन्होंने इस सदन में उस १९ सूत्रीय कार्यक्रम को पास कराने में मदद दी थी और उनको वोट दिया था। १९ सूत्रीय कार्यक्रम में वित्तीय प्रश्न सम्बन्धी प्रश्न जिस सूत्र में इनवाल्व है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री का यह कहना ठीक हो सकता है कि उसका सही समाधान एक, दो महीने या इस बजट वर्ष में नहीं हो सकता है, लेकिन वह प्रश्न जिसका केवल नैतिक आधार है, उन प्रश्नों को स्वीकार करने में क्या एतराज है ? आप उन प्रश्नों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिनके तहत में आप मुख्य मंत्री बने हैं, जिनकी तहत में संयुक्त विधायक दल ने इस प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि इस नयी सरकार के आने से सारी तरक्की हो जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से क्या यह पूछ सकता हूं कि अगर उनको सार्वजनिक जिन्दगी की मान्यताओं मे भी विश्वास नहीं है तो उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिये ? क्या आपने पहले मांग नहीं की थी कि जब जब गोली चले तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये ? क्या संयुक्त विधायक दल ने यह नहीं कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गयी तो जितने गोली कांड हुये हैं उनकी न्यायिक जांच करायी जायेगी ? श्रीमन्, माननीय उग्रसेन, माननीय झारखंडे राय आदि सब ने बहुत सोच समझकर ही क्या इस प्रस्ताव को जनता के सम्मुख नहीं रखा था कि अगर कांग्रेस राज्य समाप्त हो गया और हम लोगों का राज्य आया तो उसमें १९ सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने का प्रयास किया जायगा ? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का लोकतंत्रीय परम्परा में विश्वास नहीं है और वे सार्वजनिक जिन्दगी की मान्यताओं को भी मानने के लिये तैयार नहीं है तो सिवा इसके कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कृष्णानन्द राय जी, आप मेरी तरफ भी देखें। आप जल्दी समाप्त कर दें क्योंकि साढ़े ४ बजे तक ग्रान्ट को पास करना है।

श्री कृष्णानन्द राय---

ऐसा प्रशासन जिसके द्वारा प्रान्त को एक नयी दिशा देने की बात की जा रही थी, उसकी एक भी झांकी नहीं मिलती। जब पुलिस की कोई शिकायत होने पर उसकी निष्पक्ष जांच कराने की बात की जाती है तो उसको भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी से ही उसकी जांच करायेंगे। गोलीकांड तक की आप न्यायिक जांच कराने को तैयार नहीं हैं। आपको कम से कम उस संयुक्त विधायक दल के प्रतिनिधियों की बात तो मान ही लेनी चाहिये जिसके बल पर आप यहां मुख्य मंत्री बन बैठे है।

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)---

माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया, जो उन्होंने कहा उस से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो ऐसा मेरा कोई संबंधी नहीं है। माननीय सदस्य इस सदन में होने का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वे सब कुछ कहने के लिये स्वतंत्र हैं। अगर वे इस बात को कहीं सदन से बाहर कहें तो उन्हें अदालत का मुंह देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय उप गृह मंत्री जी ने आज ग्रान्ट को पेश किया था, क्या वे कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री चरणसिंह---

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १५--पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५--पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,६४,४३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय सरजूप्रसाद त्यागी की है जो उन्होंने पीतमसिंह की मृत्यु के सबंध में दी है। उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है किन्तु माननीय मंत्री जी के पास उनकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिया है।

इसके बाद मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय राज राजेश्वर शुक्ल, माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय चन्द्रबलीसिंह की सूचनायें हैं, इन तीनों को भी मैंने अस्वीकृत कर दिया है, कारण उस पर लिखे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, हमारा प्रश्न बड़े महत्व का है। आप मंत्री जी को भेज तो दें.....

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे आशा करता था, आपका कर्त्तव्य बोलने का है, मेरा सुनने का है, मगर इस तरह से बोलना उचित नहीं है। ..(व्यवधान) जब मैं किसी माननीय सदस्य से प्रार्थना करूं तो वह सारे माननीय सदस्यों से प्रार्थना मानी जाय। कृष्णानन्दराय जी के बारे में जो बात सही है वही सब पर भी लागू होती है। जितनी नियम ५१ की सूचनायें मेरे पास आई हैं उनको अस्वीकार करने के बाद माननीय सदस्य खड़े हो जायं, तो उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि उनकी दृष्टि से वे सूचनायें अवश्य महत्वपूर्ण होंगी। अगर चर्चा करने लग जायं तो अच्छा नहीं होगा।

अनुदानों पर सरकारी भाषण के समय कटौती के प्रस्तावों में दी गयी विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रतीक कटौतियों के सिलसिले में यह जानना चहता हूं कि प्रतीक कटौतियां जिनकी तरफ से हों और खास तरीके से जिन विषयों पर कटौतियां होती हैं उसी के अन्दर रहकर बोलने का नियम है प्रक्रिया नियमावली में, अगर मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मंत्रिगण को यह आदेश करें कि कम से कम जिन पर बातें नहीं हो सकीं हों और प्रतीक कटौतियों में आया हो उन पर वे सफाई दे दें ताकि उनका महत्व तो आ जाय। विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में प्रतीक कटौतियां और मितव्ययिता कटौतियां रखने का मतलब नहीं निकल रहा है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने उचित और अपनी जगह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। प्रश्न यह है कि कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखता है और उस पर विशिष्ट बातों की चर्चा करता है। एक कटौती का प्रस्ताव जिसमें सारी नीति पर चर्चा होनी होती है वह प्रस्तुत हो जाता है। आपका सुझाव अच्छा है। मैं सरकार से यह अवश्य कहूंगा कि जो कटौती के प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत नहीं भी हों और जिनमें विशिष्ट शिकायत की तरफ ध्यान दिलाया हो, जो सम्बन्धित मंत्रि महोदय हों वे कृपया देख लिया करें और उन पर जवाब देते समय यदि आवश्यक समझें और उस पर जवाब देने की बात हो तो जवाब देने का इस पर अवश्य कष्ट किया करें।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)---

अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कटौती के प्रस्ताव पर हम विचार करें और जो ऐसी बात है स्वीकार करने योग्य उस पर अमल करें। लेकिन यह सम्भव नहीं है कि सब मंत्री सभी कटौती प्रस्तावों का जिक्र कर सकें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने जो अभी कहा उसमें स्वयं स्पष्ट किया कि सब बातों का जवाब मंत्रिगण नहीं दे पाते हैं। जितनी बातों का जवाब देना सम्भव हो वह दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव देते हैं वे यह भी उम्मीद रखते हैं कि आप दो, चार मिनट समय दें ताकि हम उनका भाषण सुन सकें। यह भी संसदीय परम्परा है। माननीय चन्द्रबली सिंह, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव किया है आप उतना समय उन को नहीं देते।

श्री अध्यक्ष---

मैं आभारी हूं उग्रसेन जी का और यथाशक्ति इस ओर अवश्य ध्यान दिया करूंगा।

फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

(माननीय राजस्व मंत्री से) माननीय मंत्री जी, आपने सूचना दी थी कि जो जानकारी है उस से अधिक जानकारी आप कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो जब पूरी सूचना आ जाय तो सदन के सामने रक्खें और उसके लिये समय दे देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मुझे पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जितनी सूचना मेरे पास है वह मैं जरूर रखूंगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन का परामर्श चाहूंगा। माननीय मंत्री ने जो परिपाटी अपनाई उसे तो मैं अच्छा समझता हूं। जो सूचना आई है वह स्वयं उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। जितनी सूचना आ सकी, उतनी उन्होंने मेरे पास भेज दी है और शायद आप लोगों में भी वितरित हुई है या नहीं मैं नहीं जानता। या तो जो सूचना आई है उसी के आधार पर वक्तव्य हो जाय और अगर माननीय सदस्य और सूचना संकलित कराना चाहें तो अन्य कोई समय निश्चित किया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपने तो स्वयं ही यह कहा कि अगर मंत्री जी चाहते हैं तो पूरी सूचना आ जाय। तो मेरा निवेदन होगा कि जल्दी हो जाय चूंकि जुताई बुवाई का सवाल इसमें है।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर पूरी सूचना आने के बाद हो जाय। ऐसा मैं समझता हूं। जितनी सूचना उन्होंने दे दी है वह प्राप्त कर लें। बाद में माननीय मंत्री जी से पूछकर कोई समय इसके लिये नियत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इसलिये हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
४ जुलाई १९६७।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५१ एल० ए०—१९६७—८४६।